कुरुक्षेत्र

फरवरी 1991

मूल्य : तीन रुपये

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष–36, अंक 4, माघ-फाल्गुन शक-1912

सम्पादक : राम बोध मिश्र
सहायक सम्पादक : गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

विज्ञापन प्रबंधक : बैजनाथ राजभर
व्यापार व्यवस्थापक : जसवंत सिंह
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : शकुन्तला
सहायक उत्पादन अधिकारी : के. आर. कृष्णन्
आवरण पृष्ठों की साज सज्जा : अलका
चित्र : फोटो डिवीजन

एक प्रति : तीन रुपये वार्षिक चंदा : तीस रुपये

विषय सूची

ग्रामीण रोजगार समस्या : दीर्घकालीन उपाय आवश्यक 2
मधुसूदन शर्मा एवं मोहन लाल अगवायमावर

विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्व-रोजगार की संभावनाएं 5
कमल टावरी

पर्वतीय कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय में विसंगतियां 9
महिताप सिंह सजवान

राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विकास कार्यक्रम 13
राजेश कुमार गौतम

ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम 15
लक्ष्मी भूषण प्रसाद

राजस्थान में ग्रामीण विकास की अंत्योदय योजना 18
प्रो. माधोलाल मीणा

ग्रामीण बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन—एक चुनौती 21
वासुदेव लवानियां

ग्रामीण विकास में लोक सहयोग और कापार्ट 25
डा. अजय जोशी

ग्राम्य विकास की योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका 27
ममता

ग्रामीण विकास एवं प्रशासनिक समस्याएं 30
डा. अभय कुमार

ग्रामीण विकास की समस्याएं एवं सुझाव 32
डा. एन.एस. बिष्ट एवं एम.सी. सती

आह्वान कर रहे हैं ग्रामीण बैंक 'चलो गांव की ओर' 36
केवल आनन्द जोशी

पसीने की कमाई (कहानी) 38
प्रभुनाथ सिंह 'प्रजेश'

मेरे गांव में (कविता) 40
सत्यदेव चूरा

राठ क्षेत्र का विकास : कल, आज और अब 41
राजपाल सिरोहीवाल

गोबर गैस : ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत 44
अरविन्द कुमार जैन

पुरुष प्रयास एवं पहाड़ी कामकाजी महिला 45
डा. एस.एस. खनका

पुस्तक समीक्षा 48
डा. भगवती प्रसाद निदारिया

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार : सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।
दूरभाष : 384888

ग्रामीण रोजगार समस्या : दीर्घकालीन उपाय आवश्यक

मधुसूदन शर्मा,
मोहन लाल अगदायमावर

भारत एक विकासशील देश है जहां प्राकृतिक व मानव संसाधन अप्रायोगिक एवं अर्द्ध-प्रायोगिक स्थिति में है। इस स्थिति का प्रमुख कारण तकनीकी ज्ञान व पूंजी की कमी एवं इनकी उपलब्धता का अधिकतम उपयोग न होना है। संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके तीव्र गति से विकास करने के उद्देश्य से भारत ने विकास का आधार नियोजन रखा जिसके तहत 40 वर्षों का लम्बा सफर तय किया गया। कई प्रमुख समाजार्थिक समस्याओं का समाधान हुआ। विकास की किरणें विविध स्थान व स्तरों पर पहुंची। विश्व मानचित्र पर भारत की साख कई दृष्टियों से बढ़ी। प्रायः अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों व अंगों का विकास हुआ। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुखी कहा गया। ग्राम प्रधान देश होने के कारण ग्रामोन्मुखी शब्द से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया। योजनाबद्ध विकास का मुख्य आधार रोटी व रोजगार होने के कारण भारतीय आर्थिक नीति को रोजगारोन्मुखी कहा गया।

योजनाबद्ध विकास के दीर्घ समय में गरीबी, बेरोजगारी जैसी आधारभूत व बुनियादी समस्याओं का समाधान करने हेतु विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास किए गए। कई प्रकार के आयोग बिठाए गए। कई प्रकार के कार्यक्रम भिन्न-भिन्न नामों से अलग-अलग समय पर नए-नए जोश व संकल्पों के साथ प्रारम्भ किए गए। भारत की यह सहनशील जनता अति आशावाद की मृगतृष्णा में फंसी रही। भारतीय जनसंख्या का अधिकांश भाग गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, सामाजिक व आर्थिक शोषण, सामन्तवादी प्रवृत्ति के अवशेष बड़े-बड़े आला अफसर व राजनीतिज्ञ तथा आर्थिक अपराधियों के शिकार हैं। ऐसे कमजोर, शोषित, भाग्यवादी एवं निर्धन वर्ग से जन चेतना, जागृति की आशा करना काल्पित लगता है।

बुनियादी समस्याओं का समय पर उचित निराकरण न होने से व्यापक निराशा से समाज ग्रसित हो गया है। मानव की पहली आवश्यकता रोटी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रथम, व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो; द्वितीय, उस रोजगार से पर्याप्त आय हो; तृतीय, रोजगार में अनिश्चितता, अनियमितता न हो एवं रोजगार प्राप्त युवक किसी की दया का पात्र न हो। काम करने वाले का शोषण न हो। रोजी-रोटी के लिए अर्थात जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाले युवक को यह नहीं समझना चाहिए कि वह मजबूर है, काम करना उसका अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा व सम्मान का दायित्व नियोजक को निभाना चाहिए, साथ ही काम करने वाले युवक को काम करना अपना परम कर्तव्य समझना चाहिए। तभी वह अपने काम के अधिकार को प्राप्त कर सकता है।

ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण योजनाबद्ध विकास में ग्रामीण विकास को विशेष तरजीह दी गई किन्तु ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी ज्यों-ज्यों दबा दी त्यों-त्यों बढ़ती गई। ग्रामीण बेरोजगारों का सुनियोजन हमारी योजनाओं का प्रमुख आधार होना चाहिए तभी इन विकराल समस्याओं का समाधान उचित समय में हो सकेगा।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की 76.27 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है जो कि देश के लगभग 7 लाख गांवों में निवास कर रही है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अभी भी कृषि पर ही आधारित है। केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार लाने और वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु अनेक कार्यक्रम बनाए हैं जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीनों को रोजगार गारंटी कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रमुख हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले अधिकांश व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनको कुछ दिनों के लिए रोजगार खेतों में उपलब्ध होता है किन्तु फसल कट जाने के उपरान्त ये लोग पुनः पूर्णतः बेरोजगार हो जाते हैं। इस बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में जनसंख्या वृद्धि दर का

अधिक होना, कृषि का पिछड़ापन, लघु उद्योगों का धीमा विकास, ग्रामीण विकास की असंतोषजनक प्रवृत्ति, शिक्षा प्रणाली व सामाजिक परम्पराएं एवं मान्यताएं हैं जिनके परिणामस्वरूप शिक्षित वर्ग शारीरिक परिश्रम करने से कतराते हैं और सरकारी नौकरियों की ओर आशा बांधे बैठे रहते हैं। इस सम्पूर्ण समस्या से निजात पाने के लिए गम्भीर चिन्तन व मनन करना समय की पुकार है।

ब्रिटिश शासकों की शोषणपूर्ण नीति के कारण भारतीय ग्रामोद्योगों का विकास अवरुद्ध हुआ। अंग्रेज सरकार भारत से कच्चा माल अपने देश ले जाकर वहां के उद्योगों द्वारा निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपत हेतु प्रस्तुत करने लगी। ब्रिटिश माल आटोमेटिक मशीनों द्वारा निर्मित होने के कारण अच्छी किस्म, कम लागत का होता था। ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित माल प्रतिस्पर्द्धा में टिक न पाने के कारण धीरे-धीरे उद्योग समाप्त होने लगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का ताण्डव बढ़ने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त इस दिशा में सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए गए। 19 जुलाई 1969 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते हुए स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश में कहा था कि बैंक जैसी संस्थाएं करोड़ों लोगों की जिन्दगी से जुड़ी हुई हैं। एक महान सामाजिक कार्य के प्रति सजग और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों में इनका सहायक होना जरूरी है। देश के विकास में विविधता लाने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अधिक गतिशील करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तत्पश्चात् 'बैंक समाज के लिए' विचारधारा को बल मिला। इसी संदर्भ में एक और कदम उठाया गया। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया। इन बैंकों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निसन्देह भारी विकास हुआ है। अपितु वर्तमान में भी ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में कई खामियां विद्यमान हैं जिनमें तुरन्त प्रभाव से सुधार लाना अनिवार्य है। तभी ये अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं।

ग्रामोद्योग की स्थापना और उसके संचालन में बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। ये उद्योग लघु स्तर पर स्थापित होने के कारण इनकी स्थापना हेतु गहन अनुभव व प्रशिक्षण भी जरूरी नहीं होता है। इनमें कम पूंजी से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार के द्वारा स्व-रोजगार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस सम्बंध में बहुत पहले ही मार्ग निर्देशन प्रारम्भ कर दिया था। हमारे संविधान के अंतर्गत राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई। भारत सरकार ने 1955 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की जिसे 1957 में खादी ग्रामोद्योग आयोग का नाम दिया गया।

केन्द्र सरकार ने ग्रामोद्योग के विकास के लिए अनेक ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जो इन उद्योगों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। इस प्रकार की प्रमुख संस्थाओं में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और केन्द्रीय रेशम बोर्ड आदि हैं। इन बोर्डों के द्वारा सम्बन्धित उद्योगों को तकनीकी, मार्केटिंग, कच्चा माल तथा वित्तीय सुविधाएं जैसी अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

लघु एवं ग्रामोद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक ओर तो ये उद्योग बेरोजगारी से राहत प्रदान करते हैं तो दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करके हमारे निर्यातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। योजनाकाल में रोजगार अवसरों के सृजन के विविध प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। बेरोजगारी के परिणामस्वरूप निर्धनता, अभाव, कुपोषण तथा बीमारी एवं आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है। इनको दूर करने के लिए सरकार को समुचित प्रयास किए जाने चाहिए।

ग्रामीण जीवन कृषि व सम्बद्ध व्यवसायों की खुशहाली तथा प्रगति पर निर्भर करता है। खेत व खलिहानों की खुशहाली में ही हमारे देश की खुशहाली निर्भर करती है। अतः कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों को विकास यात्रा में सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह तभी संभव है जब भारतीय नौकरशाही ग्रामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाए चूंकि सामन्तशाही प्रवृत्ति व क्रीम पाउडर कलचर ने इस क्षेत्र को अधिक आघात पहुंचाया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो भी ऋण आदि दिए जाते हैं चाहे वे कृषि कार्य हेतु हों या ग्रामोद्योग के लिए, इनकी समय पर वसूली नहीं हो पाती है। आज भी यह प्रतिशत 50 से 60 के मध्य है। परिणामस्वरूप ये संस्थाएं आगे ऋण देने में आर्थिक कठिनाइयां महसूस करती हैं। अतः इन संस्थाओं को इस बात का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि वितरित किए गए ऋणों का अनुत्पादक कार्यों पर तो व्यय नहीं हो रहा है। साथ ही ऋण प्रयोग के लाभ से भी लाभार्थियों को अवगत कराना चाहिए। अज्ञानतावश, परिस्थितिवश व अशिक्षित होने के कारण प्राप्त ऋणों का दुरुपयोग कर देते हैं तथा उनके दीर्घकालीन लाभों से वंचित होकर ऋण में रहने की मजबूरी को

स्वतः आमंत्रण देते हैं। लोक शिक्षण व चेतना द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है।

हमारी शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि शिक्षा के दौरान ही विद्यार्थियों को उद्योग का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सके और शिक्षा समाप्ति के उपरान्त उसे अपना उद्योग स्थापित करने में कठिनाई महसूस न हो। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकासार्थ कारगर प्रयास किए जाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र का समुचित व तेजी से विकास हो जो कि बेरोजगारी समस्या के निवारणार्थ अत्यावश्यक है। इस क्षेत्र की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। स्वतः रोजगार के लिए वित्तीय सहायता अधिक आसानी से, कम ब्याज दर पर व लम्बे समय के लिए प्रदान की जानी चाहिए तथा उद्योग स्थापना की तकनीकी जानकारी भी सम्बंधित संस्था द्वारा ही दी जाए तो ज्यादा लाभकारी होगा।

अंत में, ग्रामीण बेरोजगारी एक भयावह विकराल व जड़ समस्या बन गई है जिसका निदान सरल उपाय या तरीके से तथा शीघ्र संभव नहीं है। उपयुक्त नियोजन, समयबद्ध कार्यक्रम को ईमानदारी से अपनाकर लम्बे समय तक संघर्ष करेंगे तभी इस निर्यात रूपी समस्या का निदान हो सकेगा। आवश्यकता सुदृढ़ संकल्प शक्ति की है न कि मात्र आश्वासनों की। कठोर परिश्रम की आवश्यकता है,कार्यक्रमों का मात्र प्रचार करने की नहीं।

116-ए, वसुन्धरा कालोनी
टोंक रोड, जयपुर-302015

सस्ते मकान, स्वच्छ पानी

प्रकाश चन्द्र थपलियाल

उत्तर प्रदेश का जिला चमोली हालांकि उद्योग शून्य जिला माना जाता है लेकिन यह कभी उद्यमी-शून्य जिला नहीं रहा। विकट भौगोलिक परिस्थिति और बिजली की भारी कमी के बावजूद कुछ उद्यमी यहां लगातार ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जिससे यहां के पर्यावरण का क्षरण रुके और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो।

ऐसे उद्यमियों में ऋषिकेश-बदरीनाथ मोटर मार्ग पर स्थित कर्णप्रयाग से 7 कि. मी. दूर सिमली के श्री राजेन्द्र प्रसाद पुरोहित का नाम अग्रणी है। सैंतालीस वर्षीय श्री पुरोहित ने पूर्व निर्मित मकान का डिजाइन तैयार किया है जो सीमेंट के पतले स्तम्भों, स्लेटों, बल्लियों और ईंटों से बनता है। यह सामान सीमेंट, बालू और चूने से तैयार होता है। पहाड़ की जलवायु और नमी से बचाने के लिए इनमें ब्यूरो मिल और ब्यूरो प्लास्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। श्री पुरोहित की ईंटें आकार में सामान्य ईंटों से लगभग आठ गुनी हैं जो अन्दर से खोखली हैं लेकिन मजबूत अधिक हैं। इन ईंटों को 'हॉली ब्रिक' नाम दिया गया है। श्री पुरोहित का दावा है कि इन पूर्व निर्मित मकानों की लागत सामान्य भवनों से 40 प्रतिशत कम है और इनके निर्माण में 50 से 60 प्रतिशत समय की बचत होती है। इनके उपयोग से पत्थरों का खनन रुकेगा जो कि पर्यावरण संवर्धन में मददगार साबित होगा।

साथ ही, श्री पुरोहित ने पेयजल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सीमेंट के 'क्लोरिनेटर' तैयार किए हैं जिनसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का घोल निश्चित मात्रा में पानी के टैंक में जाता रहता है और इस काम के लिए अलग से किसी आदमी को जलाशय तक जाने की जरूरत नहीं होती। इस उपकरण के माध्यम से पानी में ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा बराबर बनी रहती है। यह क्लोरिनेटर विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में लोकप्रिय हुआ है। उत्तर प्रदेश जल निगम करीब 4 लाख रुपये मूल्य के 400 क्लोरिनेटर खरीद चुका है।

सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के श्री पुरोहित सीमेन्ट उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में कैसे आए यह जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 1978-79 में मिट्टी की पारम्परिक ईंटें बनानी शुरू की थी। यह जनपद में उनका ऐसा पहला उद्योग था। लेकिन वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हो गया और उन्हें अपने भट्टे के लिए लकड़ी मिलनी बन्द हो गई। लाखों कच्ची ईंटें लकड़ी न मिलने के कारण बरबाद हो गईं। भट्टे के लिए विभिन्न संस्थाओं से जो ऋण लिया था उसकी वसूली के तकाजे भी शुरू हो गए और एक बार तो वे बिल्कुल विचलित हो गए थे।

लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मिट्टी की ईंट का विकल्प ढूंढ निकाला। श्री पुरोहित अब राहत महसूस कर रहे हैं और अब उन्हें उम्मीद है कि वे प्रति वर्ष करीब 30-40 लाख रुपये मूल्य का करोबार कर सकेंगे। अभी उनके उद्योग में 10 लोगों को रोजगार प्राप्त है। इस वर्ष के अन्त तक उन्हें 20 और लोगों की जरूरत होगी।

श्री पुरोहित छोटे परिवार में विश्वास रखते हैं। उनके तीन बच्चे हैं, जो खाली समय में अपने पिता के काम में हाथ बंटाते हैं। ये बच्चे अपने पापा को ही अपना आदर्श मानते हैं। □

विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्व-रोजगार की सम्भावनाएं

कमल टावरी

इस समय हमारे देश के सामने बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है। यदि यह कहा जाए कि बेरोजगारी ही गरीबी का भी पर्याय है तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में संसाधनों की उपलब्धता ही नियोजन प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु होता है और उपलब्ध संसाधनों को दृष्टि में रखकर ही प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। नियोजन की कुशलता इसी में है कि सीमित संसाधनों का विनियोजन इस प्रकार किया जाए जिससे देश का संतुलित विकास हो, समाज का हर वर्ग उससे लाभान्वित हो, सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विषमताएं कम हो, वास्तव में नियोजन की आवश्यकता एवं सार्थकता ही इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है अन्यथा विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया तो अपने आप चलती ही रहती है जिसमें जंगली न्याय (सशक्त का साम्राज्य) के अनुसार अमीर हमेशा गरीब को दबाने का प्रयास करता रहता है।

बेरोजगारी दूर करने के दो प्रमुख माध्यम हैं—प्रथम नौकरी, दूसरा स्व-रोजगार। जहां तक नौकरी का प्रश्न है, सरकारी नौकरी सबसे अधिक आकर्षक हो गई है क्योंकि इसमें अन्य अनेक बातों के अतिरिक्त भविष्य की सुनिश्चितता का सबसे बड़ा घटक विद्यमान है किन्तु सरकारी क्षेत्र में पदों के सृजन की संभावनाएं सीमित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि अपने देश में यह सीमा पहले ही पार हो चुकी है और अब इससे अधिक पदों का सृजन आत्मघातक सिद्ध हो सकता है। सरकारी विभागों के अधिष्ठान संबंधी व्यय को देखने से स्पष्ट है कि आयोजनागत मदों में प्राविधानित जो धनराशि लक्ष्य वर्ग तक पहुंचनी चाहिए थी उसका अधिकांश भाग सरकारी सेवकों के वेतन-भत्तों आदि पर व्यय हो जाता है। सरकार के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए अब यह समय आ गया है कि हम इस संबंध में गंभीरता से विचार करें और ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था खोजें जिससे रोजगार के ज्यादा-से-ज्यादा अवसर भी उपलब्ध हों तथा विकास कार्यों के लिए प्राविधानित धनराशि का लाभ उस लक्ष्य वर्ग तक पहुंचे जिसके लिए उसकी व्यवस्था की गई है।

स्व - रोजगार की समस्या का एक हल निजीकरण

सरकारी क्षेत्र में पदों के सृजन को सीमित करने का अभिप्राय यह नहीं है कि विकास की गतिविधियों को सीमित किया जाए। इसके लिए जहां जीरो बेस बजटिंग—प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व सृजित पदों की सार्थकता तथा सततता के औचित्य का परीक्षण आवश्यक होगा वहीं पर यह भी देखना होगा कि विकास कार्यों में सरकारी मशीनरी का हस्तक्षेप किस सीमा तक हो। यदि विभिन्न विकास कार्यक्रमों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो अनेक ऐसे कार्यक्रम मिलेंगे जहां सरकारी तंत्र कार्यान्वयन के स्तर तक लगा है जबकि उन कार्यक्रमों में सरकार की तरफ से पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन ही पर्याप्त होता। ऐसी दशा में उन कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना आवश्यक है जहां पर निजी क्षेत्र अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं।

निजी क्षेत्र की विशेषताएं

शासकीय तंत्र के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सामान्यतः दो प्रमुख कमजोरियां दृष्टिगोचर हुई हैं। प्रथमतः कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगी सरकारी संस्थाओं का ग्रामीण जनता के मध्य सीमित पहुंच, दूसरे संसाधनों के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के कारण पूर्ण सहायता लक्ष्य वर्ग तक न पहुंच पाना। संक्षेप में उक्त दो ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी वजह से गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्रों की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकतानुसार सरकारी नियमों तथा प्रतिबंधों को शिथिल करना होगा। सरकारी तथा क्षेत्रीय विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप उनमें संशोधन करना होगा। सरकारी नियमों की ऐसी दृढ़ता तथा कठोरता जो विकास की गति में बाधक हो, को शिथिल एवं सरल किए बिना विकास की रफ्तार को तेज करना संभव नहीं है। वस्तुतः गैर सरकारी संगठनों की यही विशेषता ही उनका सबल पक्ष है क्योंकि स्थानीय परिस्थितियों एवं जन आकांक्षाओं के अनुसार वे कार्यहित में कोई भी परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं। लक्ष्य वर्ग की समस्याओं की जितनी अच्छी परख उनके आस-पास रहकर कार्य कर रही संस्था की

हो सकती है उतनी अधिक शासकीय तंत्र की नहीं हो सकती है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों का स्वरूप एवं ढांचा किस प्रकार का हो। कार्यक्रम अथवा क्षेत्र के अनुसार यह संगठन लाभार्थियों का समूह हो सकता है, सहकारी संस्था हो सकती है, गांव सभा हो सकती है अथवा कोई स्वैच्छिक संगठन हो सकता है। निजी क्षेत्र के स्वरूप का चयन कार्य की प्रकृति के अनुसार बड़ी ही सावधानी से करना होगा।

निजीकरण की संभावनाएं

निजीकरण की यह परिकल्पना विकास के क्षेत्र में नई नहीं है अपितु सामुदायिक विकास कार्यों में जनसमुदाय को साथ लेकर तथा उनकी अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात पहले से ही की जा रही है किन्तु अब समय आ गया है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उन कार्यों का अभिज्ञान किया जाए जहां सफलतापूर्वक निजीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार की विस्तृत सूची प्रत्येक विभाग अलग-अलग तैयार कर सकते हैं और प्रयोग के तौर पर ऐसे कार्य निजी क्षेत्र में तुरन्त लिए जा सकते हैं जिनका क्रियान्वयन आसान हो तथा जिनमें सरकारी तंत्र की उपादेयता भी पर्यवेक्षक तथा मार्गदर्शक के रूप में बनी रहे। ऐसे कार्यों की एक अनन्तिम सूची अगले प्रसारों में देने का प्रयास किया जाएगा।

स्व-रोजगार में परम्परागत समुदायों का योगदान

हमारे देश की पुरातन से चली आ रही सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था के कुछ ऐसे सशक्त पहलू रहे हैं जिन्हें हम आधुनिकता के दौर में नजरअंदाज करते जा रहे हैं। यद्यपि सामाजिक दृष्टिकोण से जाति पर आधारित व्यवस्था को समाप्त करना वांछनीय है किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से यह देखना आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यवसाय विशेष में उसी समुदाय के व्यक्तियों को नियोजित किया जाए जो परम्परागत रूप से पहले से ही उस क्षेत्र में लगे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आनुवंशिकता के आधार पर उस समुदाय के लोग व्यवसाय विशेष में इतना न्यूनतम ज्ञान एवं अभिरुचि रखते हैं कि बिना किसी प्रारंभिक प्रशिक्षण के वे उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।

पशु पालन

उदाहरण के लिए यदि हमें पशुओं पर आधारित व्यवसायों में वृद्धि करनी है तो पशु पालन विभाग का बजट अधिक न बढ़ाकर हमें इस उद्योग में लगे उन वर्गों को अधिक-से-अधिक आगे लाना होगा जो पशु पालन में आनुवंशिकता के आधार पर लम्बा अनुभव रखते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालन का कार्य यादव, गडरिया, कुर्मी तथा प्रगतिशील कृषक करते आए हैं और उन्हें इस उद्यम में अच्छी तकनीक हासिल है। अतः यदि दुग्ध व्यवसाय अथवा पशु पालन पर आधारित व्यवसायों को आगे बढ़ाना है तो हमें अच्छी नस्ल के पशुओं के वितरण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं को उक्त समुदायों में विशेष रूप से केन्द्रित करना होगा। इसके साथ ही साथ यह व्यवस्था भी करनी होगी कि पशु पालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले तथा उसके विपणन की उचित व्यवस्था हो। अतः पशु पालन विभाग का कार्य मुख्य रूप से इस दिशा में केन्द्रित होना चाहिए और वह स्वयं पशुपालन तथा तत्सम्बंधी व्यवस्था का कार्य अपने हाथ में न लेकर मार्ग दर्शन तथा पर्यवेक्षण कार्य करें जिससे इस व्यवसाय में लगे समुदाय को पशुओं के रखरखाव तथा उनके उत्पादन के विपणन में कोई कठिनाई न हो। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देकर इन समुदायों के लोगों को आधुनिक तकनीक से भी अवगत कराया जा सकता है।

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

एक अन्य क्षेत्र जहां पर स्व-रोजगार की अपरिचित संभावनाएं हैं वह ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का क्षेत्र है। कुम्हारगिरी, बढ़ईगीरी, तेल घानी आदि का कार्य गांव के परम्परागत उद्यमी अधिक दक्षता से कर सकते हैं किन्तु इस क्षेत्र को समुचित प्रश्रय नहीं मिल रहा है। अतः विस्तार होने के बजाय यह उद्यम सिमटते जा रहे हैं। इसी प्रकार विपणन एवं व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ समुदाय के लोग जितनी अधिक दक्षता रखते हैं, उतनी दक्षता अन्य समुदायों में नहीं है। यही कारण है कि आई.आर.डी. योजना के अंतर्गत आई.एस.बी. सेक्टर में जहां कहीं भी दुकानों हेतु ऋण एवं अनुदान ऐसे समुदायों को दे दिया गया है जिन्होंने कभी दुकानदारी नहीं की है, उनमें प्रायः दुकानें या तो चली ही नहीं या कुछ दिनों बाद ठप हो गईं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण वितरण में उन वर्गों को प्राथमिकता दी जाए जो व्यवसाय विशेष में परम्परागत ढंग से पहले से ही लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे उद्योगों की सूची नीचे दी जा रही है जिसमें परम्परागत कतिपय समुदायों के लोग लगे हुए हैं। यह सूची पूर्ण नहीं है अपितु संकेतात्मक है।

वृक्षारोपण

वृक्षारोपण का अधिकांश कार्य ग्राम सभाओं, विद्यालयों तथा व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा सम्पादित कराया जा सकता है। विशेष रूप से सामाजिक वानिकी का कार्यक्रम ग्राम सभाओं द्वारा बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है। वृक्षारोपण के अंतर्गत नर्सरी लगाने से लेकर वृक्षों से पत्ती, फूल एवं फल आदि के

उद्योग	जातियां	समन्वयक विभाग
1. मधुमक्खी उद्योग	नट, माली, कुचवंधिया मुसहर, गूजर, जनजाति, आदिवासी एवं सौंक	फल उद्योग, कृषि, खादी बोर्ड/आयोग, हरिजन एवं समाज कल्याण
2. चमड़ा	अनुसूचित जाति, कसाई कुरेशी, बाल्मिकी	उद्योग खादी बोर्ड/ आयोग, चर्म निगम निर्यात संस्थाएं, सलाहकार
3. कुम्हारगिरी	कुम्हार, दसगढ़ जनजाति	ग्रामीण विकास, उद्योग हैंडीक्राफ्ट, खादी बोर्ड आयोग, डी.आर.डी.ए. राजस्व
4. तेल	तेली एवं साहू	खाद्य एवं रसद, कृषि, खादी आयोग/बोर्ड बैंक
5. लोहारगिरी	लोहार, विश्वकर्मा, अन्य जातियों के अनुभवी व्यक्ति	खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
6. पान	चौरसिया, बरई	उद्यान विभाग
7. दूध	यादव, धोबी, कुर्मी	पशुपालन विभाग
8. भेड़ पालन	गड़रिया, भोटिया	पशुपालन विभाग
9. सिलाई	दर्जी, महिलाएं	ग्राम्य विकास उद्योग

उत्पादन एवं विपणन से व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा संस्थाओं को संबद्ध करने का कार्य बड़े पैमाने पर लिया जा सकता है। इससे सरकारी खर्चे की तुलना में लागत दर में तो कमी आएगी ही, साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के साधन सुलभ होंगे। स्थानीय मालियों की सेवाएं पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त की जा सकती हैं।

भूमि संरक्षण

भूमि संरक्षण का अधिकांश कार्य व्यक्तिगत लाभार्थियों के माध्यम से हो सकता है। ऊसर/बंजर भूमि/सुधार के कार्यों से स्थानीय संस्थाओं तथा लाभार्थियों के समूह को सम्बद्ध किया जा सकता है जो कार्य पर निकट से निगाह रख सकें तथा स्थानीय श्रमिकों के माध्यम से सरकारी मशीनरी की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से कार्य ले सकें। कृषि विभाग का कार्य केवल पर्यवेक्षण तथा तकनीकी मार्गदर्शन तक सीमित रखा जा सकता है। इसके लिए भूमि सेना के गठन तथा भूमि प्रबंधक समितियों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही काफी हद तक निजीकरण सफल रहा है। अधिकांश माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षण संस्थाएं निजी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं। प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी क्षेत्र में लाने का कटु अनुभव समाज का प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में पठन-पाठन की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। यद्यपि यह बहुत बड़ा नीति विषयक प्रश्न है किन्तु इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इससे खराब स्थिति प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में है। इसमें जहां कहीं भी स्वैच्छिक संगठन लगे हैं उनका योगदान उच्च कोटि का है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों की व्यापक भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है और इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है।

पेयजल व्यवस्था

गांवों में जल निगम के माध्यम से बड़े आकार के हैण्डपम्प लगवाए जा रहे हैं जिनकी औसत लागत काफी ऊंची है। इनके रख-रखाव की समस्या अलग से है। यह कार्य निजी क्षेत्र में कम व्यय पर आसानी से किया जा सकता है। अब तक लगभग 80,000 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। इतने बड़े पैमाने पर प्रत्येक गांव सभा को थोड़ा अनुदान देकर हैण्डपम्पों के रख-रखाव का कार्य विकेन्द्रित रूप में किया जा सकता है।

आवास निर्माण

आवास निर्माण का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक जनसमुदाय/लाभार्थियों को आवासों के निर्माण में भागीदार बनाया जा रहा है किन्तु नगरों में बहुत बड़ी संख्या में निर्बल वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु आवास निर्माण सरकारी एजेन्सियों द्वारा कराया जा रहा है जिससे आवास काफी मंहगे हो जाते हैं तथा लक्ष्य की पहुंच के बाहर हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 25,000 आवास इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं। निम्न आय वर्ग हेतु निर्मित किए जा रहे इस प्रकार के आवासों की निर्माण प्रक्रिया में आवंटियों को लगाया जा सकता है, इससे उनको रोजगार मिलेगा तथा मकान के प्रति उनकी आत्मीयता की भावना भी होगी। यह कार्य लाभार्थियों के समूह अथवा उनकी सहकारी समितियों को भी सौंपा जा सकता है।

जन-स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन

सरकारी चिकित्सालयों तथा अस्पतालों में सफाई, भोजन/नाश्ते आदि की व्यवस्था का कार्य निजी क्षेत्र के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से किया जा सकता है।

परिवार नियोजन के बारे में गुणवत्ता आज का सबसे बड़ा प्रश्न चिह्न है। त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग तथा फालोअप के अभाव की

बहुत अधिक शिकायतें हैं। इस कार्यक्रम में बहुत अधिक धनराशि सरकारी तंत्र पर व्यय हो रही है। काफी हद तक इस कार्य को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अधिक विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता के साथ कराया जा सकता है।

स्पष्ट है कि अनेक कार्यक्रमों में निजीकरण की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उपरोक्त उदाहरण केवल संकेतात्मक हैं, इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्रों का अभिज्ञान विभिन्न विभाग अपने विभागीय कार्यक्रमों के बारे में कर सकते हैं। शासकीय तंत्र की प्रमुख भूमिका रेगुलेटरी तथा मार्ग दर्शक की होनी चाहिए और प्रयास यह किया जाना चाहिए कि जो कार्य निजी क्षेत्रों में संभव हों उन्हें पब्लिक सेक्टर में न किया जाए। यदि निजी क्षेत्र किसी कार्यक्रम में स्वयं पर्यवेक्षण का प्रबंध कर सकें तो सरकार को बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि समाज में स्वतः संतुलन एवं सुधार की स्वाभाविक क्षमता होती है, अर्थशास्त्र का अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी इसी विचार धारा की पुष्टि करता है। केवल उन्हीं क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर को आगे आना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र सफल नहीं हो सकते हैं अथवा असंतुलन पैदा कर सकते हैं। निजीकरण से जहां एक ओर सरकार के ऊपर वित्तीय भार कम होगा, वहां पर निजी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अधिक-से-अधिक अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामोद्योग भवन
8, तिलक मार्ग
लखनऊ-226001

फिर मनुज अपनत्व से भर जायेगा

रामेश्वर दयाल पंड्या

कुछ तो होना है, अभी कुछ शेष है।
राह मंजिल पर खड़ा यह देश है।।

क्या हुआ पेड़ों से पत्ते झर गये?
और कुछ पौधे जो यूं ही मर गये?
एक झौंका हवा का जब भी आयेगा।
क्यारियों में केसर-सी खुशबू लायेगा।।

जब-जब भी बसंत यह दोहरायेगा।
हर पेड़ पर कोपलें नई ही लायेगा।।

झूम उठेंगे क्षितिज वनपांखी स्वर।
इस विषम पल से तनिक भी न डर।।
सतत् परिवर्तन के समूचे चक्र से।
सब की सुविधा है, सुखी है चराचर।।

कल ही सावन नेह को बरसायेगा।
फिर मनुज अपनत्व से भर जायेगा।।

पंचायत समिति अ. भ.
राज समद (उदयपुर)

रोजगार एवं आय में विसंगतियां

महिताप सिंह सजवान

पर्वतीय कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय में विसंगतियों का मुख्य कारण पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का है। प्रति कृषक रोजगार दिवस में कमी का मुख्य कारण यहां कृषि में जनाधिक्य है। यदि आय की दृष्टि से देखें तो समुचित कृषि तकनीकों का अभाव सिंचाई व्यवस्था का न होना, कम्पोस्ट खाद की पूर्ति न होना एवं रसायनिक दवाइयों का अभाव है। यदि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि रोजगार दिवसों एवं आय में वृद्धि करना है तो समूची पर्वतीय कृषि प्रणाली में सुधार करना अति आवश्यक है जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

कृषि रोजगार का मुख्य स्रोत है। लगभग 70% व्यक्ति कृषि पर ही आश्रित हैं, 30% व्यक्ति अन्य (द्वितीयक एवं तृतीयक) क्षेत्रों में आश्रित हैं। यदि पर्वतीय क्षेत्र की भू-पृष्ठ एवं जनाधिक्य पर विश्लेषण करें तो यहां की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्र में जिस अनुपात में शक्ति कृषि में कार्यरत हैं उस अनुपात में उन्हें कृषि से आय प्राप्त नहीं होती। अर्थात् कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषक, कृषि कार्य में इतना व्यस्त है कि यदि इस अनुपात में उसे अन्य (द्वितीयक एवं तृतीयक) क्षेत्रों में कार्य करना पड़े तो वह दुगुनी आय प्राप्त कर सकता है। इसका मुख्य कारण यहां की भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां हैं। जिस कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय में विसंगतियां स्वयं अवतरित हुई हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में 'ब्लाक-बागेश्वर' (अल्मोड़ा) के 'आरे गांव' का सर्वेक्षण किया गया। उक्त गांव से 15 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। (सारणी-1)

सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय में विसंगतियों के कारणों का पता लगाना तथा इन विसंगतियों को दूर करने के उपायों को ज्ञात करना है जिससे पर्वतीय कृषि क्षेत्र में रोजगार एवं आय सुधार किया जा सके।

सारणी-1

सर्वेक्षणगत परिवारों की स्थिति

जोतों का आकार (एकड़ में)	जोतों (परिवारों) की संख्या	प्रतिशत	कृषकों की संख्या	प्रतिशत	कुल जन-संख्या
0-0.25	4	26.67	10	19.60	15
0.25-0.75	6	40.00	23	45.10	30
0.75-1.25	4	26.67	11	21.57	14
1.25-से अधिक	1	6.66	7	13.73	8
योग	15	100.00	51	100.00	67

सर्वेक्षणगत परिवारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहां पर कुल जनसंख्या का 76.1% व्यक्ति कृषि में कार्यरत हैं। सारणी-1 से यह भी स्पष्ट है कि 0.25-0.75 एकड़ की आकार वाली जोत का प्रतिशत सबसे अधिक 40% है। जबकि सबसे कम 1.25 एकड़ से ऊपर वाली जोते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में 1.25 से कम जोतें

दृष्टिगत होती हैं जिसमें कृषि जनाधिक्य होने के कारण निम्न विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं।

प्रति कृषक औसत रोजगार दिवस

कृषि में रोजगार कार्य दिवस को कृषक के कार्य के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात् हम 8 घण्टे का एक कार्य दिवस मानेंगे इस आधार पर सारणी-2 में जोतों के आधार पर स्त्री-पुरुष कार्यदिवसों को स्पष्ट किया गया है।

सारणी-2

जोतों का आकार एकड़ में	प्रति कृषक स्त्री	औसत रोजगार पुरुष	दिवस योग	(कार्य दिवस) प्रतिशत
0-0.25	99.75	38	68.88	13.14
0.25-0.75	179.83	85	132.41	25.26
0.75-1.25	218.50	97.25	157.88	30.12
1.25-से अधिक	262.00	68	165	31.48
औसत योग	190.02	72.06	131.04	100.00

सारणी-2 में 0-0.25 एकड़ वाली जोत में प्रति कृषक औसत कार्य दिवस 68.88% है जबकि प्रति स्त्री एवं पुरुष कार्य दिवस क्रमशः 99.75 एवं 38 है। इसी प्रकार 0.25-0.75 एकड़ जोत में स्त्री कार्य दिवस 179.83 तथा पुरुष कार्य दिवस 85 है अर्थात् प्रति कृषक औसत कार्य दिवस 132.41% है। 0.75-1.25 एकड़ जोत में स्त्री कार्य दिवस 218.50 तथा पुरुष कार्य दिवस 97.25 दिन है जबकि प्रति कृषक औसत कार्य दिवस 157.88% है। तथा 1.25 एकड़ से अधिक की जोत में प्रति स्त्री कार्य दिवस 165% है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'आरे गांव' में 190.02 दिन अर्थात् 190 दिन प्रति स्त्री कार्य करती है तथा 72.06 अर्थात् 73 दिन प्रति कृषक कार्य करते हैं। यदि प्रतिशत की दृष्टि से विश्लेषण करें तो सर्वाधिक कार्य दिवस का प्रतिशत 1.25 एकड़ से अधिक वाली जोत में दृष्टिगत होती है जबकि सबसे कम कार्य दिवस का प्रतिशत 0-0.25 एकड़ वाली जोत में है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैसे-जैसे जोतों में वृद्धि होती है गई कार्य दिवसों में बढ़ोतरी होती गई। यहां पर स्त्री-पुरुष कार्य दिवस 2.63:1 है।

आय की स्थिति

कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जिस परिश्रम व लगन से व्यक्ति कार्य करते हैं कृषि से उतनी अधिक आय की प्राप्ति नहीं हो पाती। यही स्थिति 'आरे गांव' की है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण एवं सीढ़ीनुमा खेतों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण निम्न उत्पादकता दृष्टिगत होती है।

प्रति कृषक आय

सर्वेक्षण के दौरान साक्षात्कार व्यक्तियों से उत्पादित फसलों की दर ज्ञात करके सारणी-4 में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति को स्पष्ट किया गया है—

सारणी-4

जोतों का आकार (एकड़ में)	कृषि में कुल आय (रु. में)	प्रति कृषक आय (रुपयों में)	प्रतिशत
0-0.25	2,973.00	297.30	7.48
0.25-0.75	14,896.50	647.67	16.30
0.75-1.25	17,657.50	1,605.23	40.40
1.25 से अधिक	9,960.00	1,422.85	35.82
औसत योग	45,487.00	993.29	100.00

सारणी-4 में 'आरे गांव' का सर्वेक्षणगत जोतों में सबसे अधिक 0.75-1.25 एकड़ जोत से प्राप्त आय 40.40% है तथा सबसे कम 0-0.25 एकड़ जोत में 7.48% है जबकि प्रति कृषक औसत आय 993.29 रुपये है।

विभिन्न फसलों से प्राप्त आय

सारणी-5 में सर्वेक्षणगत परिवारों के विभिन्न फसलों से उत्पादित अनाज को आय में मापा गया है ताकि प्रत्येक फसल से आय का पता लग सके।

सारणी-5 से स्पष्ट है कि 'आरे गांव' के सर्वेक्षणगत जोतों में धान से प्राप्त आय 20,300.00 रु. है जबकि धान में सबसे अधिक आय 0.75-1.25 एकड़ जोत में 7,875.00 रु. है। उसके बाद 0.25-0.75 एकड़ जोत में 6,825.00 रु. है। 1.25 एकड़ जोत से अधिक में 4,375.00 तथा सबसे कम 0-0.25 एकड़ जोत में 1,225.00 रु. है। यही स्थिति गेहूं की फसल में भी है। यहां पर 0.25-0.75 एकड़ जोत में मडुवा का उत्पादन नहीं करते हैं जबकि मसूर सभी जोतों में बोई जाती है। उर्द दाल केवल 1.25 एकड़ से ऊपर वाली जोत में बोई जाती है जिसमें केवल 100.00 रु. आय प्राप्त हुई लेकिन सरसों का उत्पादन समस्त जोतों में किया जाता है। अन्य फसलों में मक्का, गेहूं, भट्ट, सोयाबीन तथा सब्जियां आदि हैं।

सारणी-5

जोतों का आकार (एकड़ में)	धान (रु. में)	गेहूं (रु. में)	मडुवा (रु. में)	मसूर (रु. में)	उर्द (रु. में)	सरसों (रु. में)	अन्य अनाज (रु. में)	
0-0.25	1,225.00	9,00.00	40.00	320.00	–	85.00	403.00	2,973.00
0.25-0.75	6,825.00	5,600.00	–	624.00	-	320.00	1,527.50	14,896.50
0.75-1.25	7,875.00	7,400.00	310.00	880.00		425.00	767.50	17,657.50
1.25 से अधिक	4,375.00	4,000.00	200.00	800.00	100.00	100.00	385.00	9,960.00
योग	20,300.00	17,900.00	550.00	2,624.00	100.00	930.00	3,083.00	45,487.00

कारण

उपरोक्त सर्वेक्षणगत क्षेत्र के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित रोजगार एवं आय में विसंगतियों के कारणों को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

1. सर्वेक्षणगत क्षेत्र से यह ज्ञात हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र में जोतों का आकार छोटा है। यहां पर 1.25 एकड़ से कम वाली जोतों की संख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या का दबाव कम होने के कारण प्रति कृषक रोजगार एवं आय में कमी आना स्वाभाविक प्रतीत होता है।
2. साक्षात्कार के दौरान यह भी अनुभव किया गया कि यहां के व्यक्तियों का पैतृक पेशा कृषि है। जिस कारण सम्पूर्ण परिवार इन सूक्ष्म जोतों में कार्यरत रहता है।
3. यहां पर रोजगार एवं आय में विसंगतियों का कारण उत्पादन की पुरानी तकनीक का होना है।
4. पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत होने के कारण अधिकांश भाग भीड़ा के रूप में अपनाया जाता है तथा यहां के कृषकों द्वारा खेतों के कोने पर स्थित भूमि को नहीं जोता जाता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।
5. कम्पोस्ट खाद (गोबर की खाद) को मिट्टी में न मिलाना जिसका प्रभाव यह होता है कि गोबर को मिट्टी के ऊपर छिड़कने से वर्षा होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति का बह जाना है।
6. यह भी अनुभव किया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में चकबन्दी न होने के कारण खेतों की देखभाल सही प्रकार से नहीं की जाती है।
7. यहां पर सरकार द्वारा कृषकों को ऋण तो दिया जाता है लेकिन वे उसका उचित प्रयोग नहीं करते।
8. यदि कार्य क्षमता की दृष्टि से देखें तो यहां पर पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां अधिक कार्य करती हैं।
9. खेत दूर होने के कारण समय का दुरुपयोग होता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है।
10. यह भी अनुभव किया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्र में पुरुष कृषक वर्ग में आलसी प्रवृति होने के कारण वह कृषि कार्य में अपना हाथ नहीं बटाता है अर्थात कहा जा सकता है कि यहां के पुरुष खेतों में कार्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्त्री का समझते हैं।
11. पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को उचित प्रशिक्षण न दिया जाना।
12. पर्वतीय क्षेत्र का कृषक अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर रहता है क्योंकि यहां पर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है।
13. कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता।
14. उत्तम बीज की उपलब्धता न होना।

उपाय एवं सुझाव

उपरोक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए पर्वतीय कृषि में

रोजगार एवं आय में विसंगतियों को दूर करने के उपाय एवं सुझाव निम्न प्रकार दिए जा सकते है –

1. पर्वतीय क्षेत्र में खेतों का सीढ़ीनुमा होने पर भी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी स्थिति में ऊंचे क्षेत्रों में जहां सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। उन क्षेत्रों में बड़े-बड़े हौज (टंकियां) बनाकर सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है। ट्यूबवैल द्वारा उक्त हौजों में पानी को एकत्रित किया जा सकता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हो सके।

2. चकबन्दी से भी पर्वतीय कृषि को सुधारा जा सकता है। यहां पर खेतों का उपविभाजन एवं उपखण्डन होने के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है जिससे यहां के कृषक कृषि कार्य में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं निभा सकते हैं। हम पर्वतीय कृषि को निम्न तीन वर्गों में विभाजित करके चकबन्दी नियम लागू कर सकते हैं इनमें प्रथम श्रेणी कृषि में, 'सिंचित क्षेत्र' द्वितीय श्रेणी में, 'उपजाऊ क्षेत्र' एवं तृतीय क्षेत्र में, 'बंजर भूमि' में विभाजित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक की अपेक्षाकृत कृषि कार्य में लगा सके। जिससे रोजगार एवं आय में वृद्धि हो सकेगी।

3. प्राय: देखा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र के कृषक निम्न प्रजाति के अनाज (मडुवा, झंगौरा, कौणी आदि) बोते हैं। यदि इनकी जगह पर उत्तम श्रेणी के अनाज (गेहूं, धान, सोयाबीन, सरसों एवं उड़द आदि) बोया जाए तो आय में वृद्धि की सम्भावना हो सकती है।

4. यह भी अनुभव किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु सब्जी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ऐसी स्थिति में सिंचित क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन से आय एवं रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। यही नहीं सम्बन्धित लघु उद्योगों (चिप्स बनाना, पापड़ बनाना, प्याज एवं लहसुन से दवाई निर्माण करना आदि) का विकास किया जा सकता है।

5. यदि पर्वतीय क्षेत्र में कृषक अपनी बंजर भूमि में फलों का बाग (सेव, नाशपाती, नारंगी, संतरा, आडु, अखरोट, पोलम, नींबू आदि) लगाकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सम्बन्धित लघु उद्योग (अचार, मुरब्बा, आदि) का विकास भी किया जा सकता जिससे गैर-कृषि क्षेत्र में कृषक अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग कर सकते हैं।

6. यदि गोबर की खाद को खेत जोतने से पहले तथा जोतते समय दो बार डाल दिया जाए तो खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ रासायनिक खाद का भी उपयोग किया जा सकता है जिससे उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ सके।

7. यह भी अनुभव किया गया कि पर्वतीय पुरुष कृषक आलसी प्रवृत्ति का होता है। वे प्राय: सम्पूर्ण कृषि कार्य का उत्तरदायित्व स्त्री पर छोड़ देते हैं जिससे यहां पर बेरोजगारी की स्थिति अधिक पाई गई है। ऐसी स्थिति में यदि पुरुष को उचित प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए तो कृषि क्षेत्र का विकास सम्भव हो सकता है।

8. कृषकों को सरकार द्वारा अनुदान देकर एवं पुराने ऋण माफ करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कृषकों में कृषि कार्य के प्रति जागरूकता बनी रहेगी जिसका प्रभाव यह होगा कि रोजगार एवं आय वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

9. आधुनिक कृषि तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषि उत्पादिकता में वृद्धि हो सके।

10. कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

11. पशुओं एवं जंगली जानवरों से खेतों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तथा खेतों में गुड़ाई-निराई समय-समय पर किया की जाए।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि उक्त उपायों एवं सुझावों पर ध्यान दिया जाए तो पर्वतीय कृषि क्षेत्र में विसंगतियों को दूर किया जा सकता है जिससे रोजगार एवं आय में वृद्धि हो सकेगी और पर्वतीय कृषि में विकास के कारण यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

वन निगम
चीड़ डिपो, शीशम बाग
हल्द्वानी, नैनीताल, (उ. प्र.)

गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार विकास कार्यक्रम

राजेश कुमार गौतम

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का महत्व वैसे तो सम्पूर्ण भारत के लिए ही है लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में जहां अकाल की विभीषिका ने दशकों से अपने पंजे जमा रखे हों, ऐसे कार्यक्रमों का महत्व कुछ अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान में शायद ही कोई ऐसा दशक बीता हो जिसमें अधिकांश समय तक अकाल न रहा हो। राजस्थान में कम-से-कम ग्यारह जिले तो ऐसे हैं जहां मीलों तक न तो पानी के कुंओं के दर्शन होते हैं और न हरी वनस्पति के। यदि सौभाग्य से वनस्पति के नाम पर वहां कुछ उपलब्ध हो तो वह शमी वृक्ष होगा अथवा कटीली झाड़ियां होंगी। जहां पेयजल की ऐसी समस्या हो कि तीन-तीन दिन में एक बार आपूर्ति हो वहां कृषि के लिए सिंचाई तो कल्पना मात्र प्रतीत होती है। राजस्थान के निवासी ऐसी परिस्थिति में अपने चेहरों की मुस्कुराहट को लुप्त नहीं होने देते हैं। यह उनके अदम्य साहस व हिम्मत का प्रतीक है।

राजस्थान के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय अत्यंत निम्न है। राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार ने राज्य के निवासियों की गरीबी उन्मूलन हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं। इन कार्यक्रमों ने गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार प्रदान करने में अपूर्व योगदान दिया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने के साथ-साथ सामुदायिक परिस्थितियों का निर्माण भी करना है जिससे ग्रामवासियों के आय के स्रोतों को धीरे-धीरे विकसित करके गरीबी के शिकंजे से मुक्त किया जा सके। राजस्थान में यह कार्यक्रम 1 अक्तूबर, 1980 को प्रारम्भ हुआ जो राज्य की सभी 237 पंचायत समितियों में लागू है। इसमें कुल व्यय योग्य राशि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार व शेष 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार उपलब्ध कराती है। राज्य में यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 1986-87 में कार्यक्रम पर 27.56 करोड़ रुपये व्यय किया गया। 1988-89 में दिसंम्बर, 88 तक 38 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय करके एक करोड़ तिहत्तर लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित किया गया। 1989-90 के लिए 95 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गये।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

सितम्बर, 1983 में इस कार्यक्रम का उद्देश्य कम रोजगार वाली अवधि में भूमिहीन परिवारों में से कम-से-कम एक सदस्य को 100 दिन तक के रोजगार की गारंटी तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस कार्यक्रम का संचालन राज्य के सभी 27 जिलों में हो रहा है। कार्यक्रम के लिए सम्पूर्ण धन राशि केन्द्र सरकार राज्य को उपलब्ध कराती है।

इस कार्यक्रम ने राज्य के भूमिहीनों की गरीबी उन्मूलन व रोजगार प्रदान करने में अपूर्व योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भ से दिसम्बर, 1986 तक 13.63 करोड़ रुपये व्यय करके 86.33 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। वर्ष 1988-89 में कार्यक्रम हेतु 22.90 करोड़ रुपये प्रस्तावित थे जिनसे तिहत्तर लाख मानव दिवस सृजित होने थे। वित्तीय वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम के लिए 31.22 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राज्य में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का चयन करके उन्हें जीविकोपार्जन के साधन सुलभ कराना तथा सामाजिक-आर्थिक विकास द्वारा उनके जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम सन् 1978-79 में राजस्थान के 112 विकास खण्डों में प्रारम्भ किया गया तथा 2 अक्तूबर 1980 का राज्य के सभी विकास खण्डों में प्रारम्भ कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष में एक विकास खण्ड के 600 परिवारों को लाभान्वित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्च, 1987 तक दस लाख पंद्रह हजार परिवारों का लाभान्वित किया जा चुका था। वर्ष 1988-89 में 2 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था। वर्ष 1989-90 के लिए इस कार्यक्रम पर 17.81 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया है।

स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसम)

ग्रामीण क्षेत्र के युवा वर्ग की बेरोजगारी दूर करने के लिए जुलाई 1979 से राजस्थान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विकास खण्ड के सौ ग्रामीण युवक-युवतियों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार में लगाया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका दी जाती है तथा प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरान्त स्व-रोजगार हेतु ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

राजस्थान में इस कार्यक्रम के तहत फरवरी, 1989 तक 10748 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका था। वर्ष 1989-90 में 14160 युवाओं को प्रतिक्षित कर स्वरोजगार में लगाने का लक्ष्य रखा गया था।

ड्वाकरा

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की स्त्रियों के आर्थिक उत्थान हेतु उनका चयन करना तथा उन्हें आर्थिक गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके बाद उन्हें ऋण व अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। राज्य में यह योजना अलवर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा एवं पाली जिलों में चालू है जिससे प्रत्येक जिले में 15-15 महिलाओं के समूह बनाकर, उन्हें आर्थिक कार्यक्रम प्रदान कर उसमें प्रशिक्षित किया जाता है।

सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974-75 में पश्चिमी राजस्थान के आठ जिलों व बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सूखे के प्रभाव को कम करके ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें तथा ग्रामीणों के आय स्तर में वृद्धि हो। 1979 में यह कार्यक्रम राज्य के तेरह जिलों के 79 विकास खण्डों में संचालित किया गया। 1982-83 में 61 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। इस कार्यक्रम में 1978-79 तक व्यय का दो-तिहाई भाग केन्द्र सरकार व एक-तिहाई भाग राज्य सरकार वहन करती थी। 1979-80 से दोनों सरकारें 50-50 प्रतिशत भार वहन कर रही हैं। 1985-86 में सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़ व कोटा जिलों के 12 विकास खण्डों में शुरू किया गया। वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक कार्यक्रम पर 6.92 करोड़ रुपये व्यय किए गए। वर्ष 1989-90 हेतु कार्यक्रम पर 5.14 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया था।

मरु विकास कार्यक्रम

राजस्थान के ग्यारह मरुस्थलीय जिलों की 85 पंचायत समितियों का समग्र विकास करने हेतु वर्ष 1977-78 में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, मरुस्थल के प्रसार को रोकना व मरुभूमि का आर्थिक विकास करना है। 1978-79 से इस कार्यक्रम पर होने वाले कुल व्यय का आधा-आधा भार केन्द्र व राज्य सरकार उठाती थी। 1985-86 से यह व्यय पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम वर्ष 1987-88 में राज्य के अलवर व भरतपुर जिलों की 10 पंचायत समितियों में प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन पंचायत समितियों के विकास को गति देने तथा वहां की जनता का सामाजिक एवं आर्थिक विकास का स्तर बढ़ाना है राज्य के मुख्यमंत्री मेवात विकास मंडल के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 1988-89 में कार्यक्रम हेतु 95 लाख रुपये प्रस्तावित किये गये। वित्तीय वर्ष 1989-90 हेतु 115 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

उक्त कार्यक्रमों के अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम राज्य में चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों द्वारा राज्य की जनता की गरीबी दूर कर, रोजगार प्रदान कर उसके आर्थिक स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

क्वाटर न.- 4,
पंचायत समिति—राजगढ़
जिला—अलवर, राजस्थान301408

ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम

लक्खी भूषण प्रसाद

भारत एक विशाल देश है। विश्व भर के सभी विकासशील देशों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से ऐसा आभास होता है कि गरीबी एवं बेरोजगारी, की समस्या से प्रायः ऐसे सभी देश ग्रसित हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता रहा है। सर्वप्रथम 1938 में देश में ग्रामीण विकास के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, जिसमें देश के बुद्धिजीवी, राज-नेताओं एवं प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी सम्मिलित किए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व की दशाब्दी में राष्ट्रकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 'ग्राम विकास' पर प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई गरीबी एवं बेरोजगारी की गम्भीरता को कम करने की मंशा से पंचवर्षीय योजनाओं में इसे प्राथमिकता दी गई और क्रमिक रूप से अनेक विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने का सतत् एवं सघन प्रयास किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने की ओर प्रारंभिक प्रयास सन् 1660-61 में किया गया और 'रूरल मेन पावर प्रोग्राम' देश के चुने हुए 32 सामुदायिक विकास प्रखण्डों में प्रयोग के आधार पर कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के 25 मीलियन बेरोजगारों को कम-से-कम 100 दिनों तक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। दूसरे चरण में इस कार्यक्रम को 1664-65 तक 1000 प्रखण्डों में विस्तारित किया गया लेकिन पर्याप्त साधन की अनुपलब्धता के कारण इस ओर शत-प्रतिशत विकास नहीं किया जा सका और 1666-67 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया। परिणामतः बेरोजगारी की समस्या यथावत बनी रही यों कहें बढ़ती ही गई।

अप्रैल 1969 में 'क्रैस स्कीम फॉर रूरल इम्पलाइमेंट' कार्यक्रम तैयार कर एक निश्चित उद्देश्य से तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुने गए प्रत्येक जिले में 1000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उलपब्ध कराना था। ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी सम्पत्ति सृजन की मंशा से देश के 350 जिले में इस कार्यक्रम को चालू किया गया, जिसमें तीन वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान रखा गया। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण, भूमि विकास एवं लघु सिंचाई के अधिकांश कार्य कराए गए, जिसमें अनुमानतः लगभग 316 मीलियन मानव-दिवस का सृजन हो सका।

'क्रैस स्कीम फॉर रूरल इम्पलाइमेंट' के कार्यान्वयन के साथ-साथ नवम्बर 1972 में "पाइलट इनटेंसिव रूरल इम्पलाइमेंट प्रोग्राम" की योजना तैयार कर देश के चुने हुए 15 सामुदायिक विकास प्रखंडों में कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य में—

- सामान्य मजदूरों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना;
- ग्रामीण क्षेत्र में गुणात्मक लाभ वाली परिसम्पति का सृजन करना एवं
- कार्यस्थल पर मजदूरों में कारीगरी कौशल का सृजन एवं विकास करना सम्मिलित था।

1970-71 वर्ष में ही एक अन्य कार्यक्रम 'रूरल वर्क्स प्रोग्राम' की योजना तैयार कर 13 राज्यों के 54 चुने हुए जिलों में कार्यान्वित किया गया। जिलों के चयन में निम्नांकित बिन्दुओं को प्रधानता दी गई—

- सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र,
- क्षेत्र में उपलब्ध सिंचाई सुविधा का अभाव एवं
- क्षेत्र में वर्षा की मात्रा एवं उसके वितरण में असंतुलन।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऐसी योजना को चयन में प्राथमिकता दी गई जो सूखा एवं अकाल के मियादी प्रभाव को कम कर सकें। फलतः इन क्षेत्रों में सिंचाई, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, वानिकी, ग्रामीण सड़क एवं भवन निर्माण तथा पेयजल आदि योजनाएं कार्यान्वित की गईं। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विचार करते हुए वर्ष 1973 में इस कार्यक्रम के स्वरूप में आंशिक परिवर्तन कर 'सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम' का रूप दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं देश में लेवी से संग्रहीत अनाज की खपत एवं भंडारन की समस्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अप्रैल 1976 में 'काम के लिए अनाज' या 'काम के लिए भोजन' कार्यक्रम का कार्यान्वयन निम्न उद्देश्य से किया गया—

- ग्रामीण क्षेत्र में आय एवं पोषण स्तर में वृद्धि के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार के अवसर का सृजन;
- ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि एवं रहन-सहन स्तर में सुधार लाने हेतु ग्रामीण संरचना को स्थायी सम्पत्ति के आधार पर सुदृढ़ करना एवं
- अतिरिक्त संग्रहित अनाज को मानव संसाधन विकास के लिए उपयोग में लाना।

1977-78 से 1979-80 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 979.32 मिलियन मानव दिवस का सृजन हुआ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लाभकारी परिसम्पत्ति का सृजन किया गया।

अल्प अवधि में ही यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में काफी प्रचलित हुआ। सखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में यह कार्यक्रम अपेक्षाकृत अधिक कारगर और सफल सिद्ध हुआ। लेकिन साथ ही साथ कतिपय कारणों से कार्यक्रम के अन्तर्गत चुनी गई अनेक परियोजनाएं जो समय पर पूरी नहीं हो सकीं या सही समय एवं रूप से उसे पूरा नहीं किया जा सका। फलत: पूर्व के अनेक प्रयोग एवं अनुभव पर आधारित ग्रामीण रोजगार के लिए एक संतुलित एवं समेकित रूपरेखा तैयार कर अक्तूबर 1980 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम' प्रथम चरण में कुछ चुने गए क्षेत्रों में एवं बाद में देश के सभी क्षेत्रों में निम्न उद्देश्यों से एक साथ कार्यान्वित किया गया—

- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अर्द्ध-रोजगार व्यक्तियों (पुरुष एवं महिला) के लिए रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध करना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे गरीबों के शीघ्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्थायी परिसम्पत्ति एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य पोषण एवं रहन-सहन स्तर में वृद्धि करना।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत द्वारा ग्राम सभा की सहमति से परियोजनाओं का चयन कर पंचायत समिति के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता था। पंचायत समिति की स्वीकृति के उपरान्त एक वार्षिक परियोजना तैयार कर जिला स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना था।

ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के ध्येय से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन सरकारी तंत्र के द्वारा कराया जाता था जिसमें ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को चयनित कर कार्य सम्पादन का भार सौंपा जाता था।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी के दो घटक थे। (1) नगद राशि (2) अनाज। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय प्रावधान—50 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार के हिस्से में था। व्यय में यह शर्त रखी गई थी कि मानव दिवस सृजन में अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा व्यय किया जाए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के चयन के लिए निम्नांकित इकाई को चिह्नित किया गया था:

वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी

वनरोपण एवं सामाजिक वानिकी का कार्य सरकारी, सामुदायिक या व्यक्तिगत भूमि पर करना। इस कार्यक्रम द्वारा सड़क के किनारे, बांध पर या बांध के किनारे, बंजर भूमि, रेल लाइन के किनारे आदि जगहों पर वृक्ष रोपण का कार्यक्रम चलाया जा सकता है। जलावन योग्य लकड़ी वाले पेड़, फल एवं चारागाह विकास का कार्य भी ऐसी जमीन पर किया जा सकता है जो कृषि योग्य नहीं है।

पेयजल कूप एवं सिंचाई कूप

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल कूप या सामुदायिक सिंचाई कूप का निर्माण एवं पुराने कुओं का जीर्णोद्धार का कार्य परियोजना श्रेणी में लिया जा सकता है।

ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण तालाबों की खुदाई, उसका विस्तार या पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार की परियोजना ली जा सकती है। वर्षा से सिंचित जल से मानव एवं पशु को लाभ पहुंच सके या मछली पालन के उपयोग में लाया जा सके, ऐसी परियोजना भी ली जा सकती है।

लघु सिंचाई

कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई नालियों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य, बाढ़ सुरक्षा के कार्य एवं भूमि सतहीकरण सम्बंधित निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है।

ग्रामीण सड़क

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क मरम्मत, सड़क पक्कीकरण एवं पुलिया का निर्माण कार्य किया जा सकता है।

भवन निर्माण

कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक लाभ के तहत स्कूल भवन, बालबाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, विज्ञान भवन, गोशाला, सामुदायिक कुक्कुट पालन या सूअर पालन के लिए भवन निर्माण किया जा सकता है। इसके साथ-साथ स्नानगृह, शौचालय, क्रीड़ास्थल, बायोगैस आदि से भी संबंधित कार्य लिए जा सकते हैं।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी एवं अर्द्धरोजगार की गंभीर समस्या पर नियंत्रण पाने या कमी लाने की मंशा से अगस्त 1983 में विशेष रोजगार कार्यक्रम के रूप में आर. एल. ई. जी. पी. प्रथम चरण में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में और पुनः दूसरे चरण में सम्पूर्ण देश में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य–

- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अर्द्ध-रोजगार व्यक्तियों (पुरुष एवं महिला) के लिए रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध करना,
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे गरीबों के शीघ्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखे हुए स्थायी परिसम्पति एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन करना,
- भूमिहीन परिवारों के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी एवं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य पोषण एवं रहन-सहन स्तर में वृद्धि करना,

इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के चयन में निम्न बातों पर विशेष ध्यान रखा गया था। ऐसे क्षेत्र–

- जहां पर बन्धुआ मजदूरी की प्रथा गंभीर एवं जटिल हो,
- जहां पर कमजोर वर्ग के परिवार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार) सघन रूप से निवास करते हों,
- जहां पर मजदूरों के बर्हिगमन की समस्या गंभीर हो एवं
- जहां पर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिलता हो।

इस कार्यक्रम में परियोजनाओं का चयन राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के द्वारा अलग-अलग तैयार कर राज्य स्तर पर गठित समिति से स्वीकृति प्राप्त की जाती थी। चयनित परियोजनाओं का कार्यान्वयन अधिकांशतः अलग-अलग विभागों द्वारा किया जाता था। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं कुछ खास कार्य प्रखण्डों द्वारा भी कराये जाने का प्रावधान था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यय का शत-प्रतिशत भार केन्द्र सरकार वहन करती थी।

कार्यक्रम के लिए आवंटित राशि में से 25 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत सामाजिक वानिकी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को सीधा या प्रत्यक्ष लाभ जैसी परियोजनाओं पर खर्च किया जाना रेखांकित था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाएं निम्न इकाइयों से चुनी जाती थी–

- ग्रामीण सम्पर्क सड़क,
- सिंचाई,
- लघु सिंचाई,
- भूमि विकास,
- सामाजिक वानिकी
- भवन निर्माण एवं
- कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्यक्रम।

जवाहर रोजगार योजना

1989-90 में राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एकीकृत कर 'जवाहर रोजगार योजना'–बना दी गई है और सम्पूर्ण देश में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य पूर्व के दोनों राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर एक कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा, कार्य एवं दायित्व आदि को प्रभावशाली न बनाए जाने की मंशा से जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम की कार्य प्रणाली को बड़े पैमाने पर विकेन्द्रित किया गया है। वर्तमान ग्रामीण नियोजन की वार्षिक योजना की रूपरेखा पंचायत स्तर पर ही आम लोगों की सहमति से तैयार कर कार्यान्वित की जा रही है। पंचायत स्तर पर वार्षिक योजनाओं की एक सूचि कार्यकारिणी समिति के द्वारा तैयार की जाती है जिसे जांच के लिए ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम सभा की स्वीकृति के उपरान्त परियोजना की सूची प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अंतिम स्वीकृति के लिए प्रेषित की जाती है। प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित अभियन्ता प्रत्येक परियोजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ही औपचारिक स्वीकृति के बाद इसे ग्राम पंचायत में कार्यान्वयन हेतु लौटाई जाती है।

इस कार्यक्रम पर व्यय का ब्यौरा–80 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ठेकेदारी पर रोक एवं सरकारी तंत्र की लम्बी तथा जटिल प्रक्रिया से बचने की मंशा से

(शेष पृष्ठ 20 पर)

राजस्थान में ग्रामीण विकास की अंत्योदय योजना

प्रो. माधोलाल मीणा

वह व्यक्ति जो हमारी सामाजिक बनावट में निर्धनता की अंतिम पंक्ति में आखिरी छोर पर बैठा है, के कल्याण के लिए 2 अक्तूबर सन 1977 में पहली बार राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना लागू की गई थी। अगले वर्ष इसी दिन उत्तर प्रदेश सरकार और बाद में बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि राज्य सरकारों ने इस योजना को शुरू किया। जब यह योजना लागू की गई तब निर्बल को पहली बार सम्बल का एहसास हुआ था। उसे लगा कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर उसके दुःख-दर्द को मिटाने की चिंता की है और उसके लिए रोजी-रोटी का प्रबंध करने की सोची है। वही अंत्योदय योजना राजस्थान राज्य सरकार ने फिर नए विश्वास के साथ आवश्यक विस्तार एवं सुधार कर लागू करने का संकल्प लिया है और इस योजना को राज्य में पुनः दो अक्तूबर, 1990 से लागू किया गया है। योजना का एकमात्र पवित्र लक्ष्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंक्ति में सबसे पीछे खड़े निर्धन परिवारों का आर्थिक उत्थान हो और वे स्वावलम्बी बनें।

गांव में सबसे गरीब कौन?

योजना का क्रियान्वयन करने हेतु गांव में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति किसे मानें व उसका चयन किस प्रकार हो। इसके लिए सर्वप्रथम वे परिवार सबसे गरीब माने गए हैं जिनके पास न तो कोई भूमि है न ही कोई अन्य आय का साधन है। ऐसे परिवार में 15 से 59 वर्ष का कमाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है एवं ये परिवार अशक्तता, अपंगता अथवा वृद्धावस्था के कारण जीवन-यापन की स्थिति में भी नहीं हैं। ऐसे परिवार को चयन में सर्वोत्तम प्राथमिकता मिलेगी।

चयन में द्वितीय प्राथमिकता उन परिवारों को मिलेगी जिनके पास भूमि, पशु व आय के अन्य कोई साधन तो नहीं है परन्तु एक या अधिक कमाने योग्य व्यक्ति, उस परिवार में है और सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय 2250 रुपये से कम है।

तृतीय श्रेणी ऐसे परिवारों की होगी जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत की सीमा तक भूमि धारक हैं किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3500 रुपये से कम है।

चौथे नम्बर पर उन परिवारों को चयनित एवं लाभान्वित किया जाएगा जिनको पूर्व में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया जा चुका हो एवं जो संसाधन उन्हें दिलवाए गए थे वे उनके पास मौजूद हों। ऐसे परिवारों की कुल वार्षिक आय 3500 रुपये से कम होनी चाहिए।

इस प्रक्रिया में आखिरी श्रेणी ऐसे परिवारों की होगी जो लघु कृषक के लिए निर्धारित जोत की सीमा तक भूमिधारक है किन्तु उनकी कुल वार्षिक आय 3500 रुपये से 4800 रुपये के बीच है।

चयन की प्राथमिकता

परिवारों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। पहले प्रथम श्रेणी के परिवारों का चयन होगा एवं स्थान उपलब्ध होने पर क्रमशः द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के परिवारों का चयन होगा। साधारणतया पांचवीं श्रेणी के परिवार चुनने से पहले यह विशेष रूप से सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रथम चार श्रेणियों का कोई परिवार नहीं बचा है। ऊपर बताई गई श्रेणियों में विधवा, परित्यक्तता एवं बेसहारा लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित एवं लाभान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जन जातियां एवं महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

कितने परिवारों का चयन

चयनित परिवारों की संख्या गांव की जनसंख्या पर आधारित होगी। 500 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में से 3 परिवार, 501 से 1000 की जनसंख्या के ग्रामों में से 5 परिवार, 1001 से 2000 तक की जनसंख्या वाले गांवों में से 7 परिवार एवं 2001 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में से 10 परिवारों का चयन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से चयन किए जाने वाले परिवारों की संख्या में अतिरिक्त सूची हेतु भी परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी संख्या क्रमशः 2,2,3 व 5 होगी। प्रथम चरण में केवल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से चयनित परिवार लाभान्वित नहीं हो सके तो आरक्षित सूची के परिवार को चयनित परिवार के स्थान पर लाभान्वित किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले सम्बंधित पटवारी राजस्व रिकार्ड के आधार पर व गांव के लोगों से जानकारी प्राप्त कर

चयनित होने योग्य परिवारों की श्रेणीवार प्राथमिक सूची बनाएंगे। इस प्राथमिक सूची में सम्मिलित परिवारों की संख्या चयनित आरक्षित सूची के परिवारों से दुगुनी होगी। वह प्राथमिक सूची ग्राम सभा की बैठक से दस दिन पूर्व सम्बंधित सरपंच एवं विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्राम सभा की बैठक एवं व्यवस्था

ग्राम सभा की बैठक जिला कलेक्टर या उपखंडअधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार बुलाई जाएगी। बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व गांव में डोंडी पिटवाकर, मुख्य स्थानों पर नोटिस लगवाकर ग्रामीणों को देनी होगी। सम्बंधित सांसद, विधायक, प्रमुख व प्रधान एवं गांव के सरपंच को भी 15 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाएगा। बैठक बुलाने से दो घंटे पूर्व भी गांव वालों को भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक में ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों के अलावा विकास अधिकारी, प्रसार-अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि में से कम-से-कम एक अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सम्बंधित उपखंड अधिकारी इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होंगे।

ग्राम सभा की बैठक में गांव के पटवारी चयन के लिए निर्धारित मानदंडों को पढ़कर सुनाएंगें। पटवारी द्वारा तैयार की गई प्राथमिक सूची की पूर्ण जानकारी भी ग्राम सभा में पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्राम सभा विचार-विमर्श एवं आवश्यक संशोधनों के बाद निर्धारित संख्या में परिवारों का चयन करेगी एवं आरक्षित सूची बनाएगी। यदि ग्राम सभा का यह मत हो कि कोई परिवार चयन हेतु पूर्ण रूप से योग्य है किन्तु प्राथमिक सूची में उसका नाम नहीं आ पाया है तो ऐसे परिवार का चयन भी किया जा सकता है। इस प्रकार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूत्रों को अंतिम माना जाएगा।

अंत्योदय परिवारों के विकल्प

अंत्योदय परिवारों के चयन के पश्चात् ग्राम सभाओं की बैठक में पटवारी और ग्रामसेवक द्वारा अंत्योदय योजना में दी जाने वाली सहायता का विवरण दिया जाएगा। चयनित परिवारों के मुखियाओं से सलाह करने के बाद उनके विकल्प प्राप्त करने के आधार पर अग्रिम योजना बनाई जाती है। बाद में यदि विकल्प के अनुसार परिवार को लाभान्वित करना संभव न हो तो परिवार की राय से विकास अधिकारी द्वारा विकल्प में उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकता है।

कार्यवाही का विवरण

ग्राम सभा की कार्यवाही का विवरण सम्बंधित पटवारी और ग्रामसेवक द्वारा मौके पर मौजूद सभी लोगों के सामने लिखा जाता है और ग्राम सभा में मौजूद सभी ग्रामवासियों, जन-प्रतिनिधियों व प्रभारी के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। ग्राम सभा की कार्यवाही के विवरण को विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा दिया जाता है और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जाती है।

पटवारी द्वारा ग्राम सभाओं की बैठक की कार्यवाही के साथ गांव के सम्बंध में व चयनित परिवारों के सम्बंध में जानकारी निर्धारित अलग-अलग प्रपत्रों में बैठक की तारीख से एक सप्ताह के अन्दर विकास अधिकारी को भेज दी जाती है।

चयनित परिवारों को सूचना के आधार पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार रजिस्टर पंचायत समिति द्वारा संधारित किया जाता है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सम्बंधित विकास अधिकारी की होती है। इस रजिस्टर में चयनित परिवारों के सम्बंध में दी गई आर्थिक सहायता और उसके बाद प्रगति के सम्बंध में जानकारी रहती है। परिवारों को सहायता के लिए जो विकल्प प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर योजना तैयार की जाती है जो चयन के एक माह के भीतर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजनी होगी। निर्धारित प्रारूप में चयनित परिवारों की सूचियां विकास अधिकारी द्वारा तैयार कर, सम्बंधित बैंकों, विभागों एवं जिला अभिकरण को भेज दी जाएगी।

परिचय पत्र

सभी चयनित परिवारों को एक परिचय पत्र दिया जाएगा। यह परिचयपत्र ग्राम सभा में चयन का कार्य पूर्ण होने के दो माह के अन्दर वितरित करने का दायित्व सम्बंधित विकास अधिकारी का है व इस कार्य हेतु ग्रामसेवक और पटवारी की सहायता ली जाएगी।

उत्थान की योजना

सरकार ने चयनित परिवारों के उत्थान एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है जिसके अनुसार सरकार की ओर से अनुदान, बैंकों से ऋण दिलाने की व्यवस्था की है तथा विभिन्न सरकारी विभागों की प्रवृतियों को केन्द्र बिन्दु बनाने एवं शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग, खादी आदि विभागों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से परिवारों को लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम बनाया है। इस योजना में चयनित परिवारों के साधन-विहीन, अशक्त, अपंग एवं वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन देकर सम्बल देने का भी कार्यक्रम बनाया गया है।

चयन की जिम्मेदारी

अंत्योदय परिवारों के चयन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत की होगी। सभी गांवों में चयन के लिए विस्तृत कार्यक्रम कलेक्टर बनाएंगे एवं उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार, प्रसार अधिकारी, गिरदावर, पटवारी व ग्रामसेवक इस कार्यक्रम को सम्पादित करवाएंगे। साथ ही साथ जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उपखंड अधिकारी एवं अन्य समकक्ष अधिकारीगण 5 प्रतिशत अथवा 10 प्रतिशत ग्राम सभा की बैठकों में स्वयं भाग लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन सही रूप से हो रहा है।

देखरेख की व्यवस्था

जो कार्यक्रम इस योजना हेतु राजस्थान सरकार ने निर्धारित किया है, उसका क्रियान्वयन निश्चित तिथि तक हो, यह दायित्व नीचे से ऊपर तक उन सबका है, जो इस योजना का लाभ निर्धन वर्गों तक पहुंचाने के लिए इससे जुड़े हैं। यह कार्यक्रम सामाजिक प्रतिबद्धता का कार्यक्रम है। इसकी सफलता क्रियान्वित प्रशासन की संवेदनशीलता का प्रतिबिम्ब होगी। करीब 12 वर्ष बाद फिर चयनित परिवारों को आर्थिक सम्बल मिलेगा।

योजना की सूझबूझ, मौलिकता एवं वहम और सफलता का प्रमाण यह रहा कि उसे राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अपनाया। बाद में 1978-79 में यही योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से देश भर में लागू की गई थी।

राजस्थान में अंत्योदय योजना सरकार द्वारा राज्य के दस जिलों टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, झुनझुनू, बूंदी, कोटा, गंगानगर, झालावाड एवं जयपुर में लागू की गई थी। गांव के सबसे गरीब पांच परिवारों के आर्थिक पुनर्निर्माण को अंत्योदय योजना में भूमि उपलब्ध कराने, स्वरोजगार विकास कार्यों में प्राथमिकता, वृद्धावस्था एवं अपाहिजों के लिए पेंशन, खादी ग्रामोद्योग, घरेलू धंधों और हस्तकला के द्वारा रोजगार जैसे कार्य सम्मलित किए गए थे। बाद में योजना को राज्य में चल रहे राजस्व अभियान से जोड़ा गया और भूमि सम्बंधी कार्य, अधिकार, नियमन तथा वृद्धावस्था पेंशन जैसे कार्य मौके पर ही पूर्ण किए गए।

द्वारा – 70, बाल मंदिर कालोनी
सवाई माधोपुर, राजस्थान

(पृष्ठ 17 का शेष)

एक नई रणनीति अपनाने का प्रयास किया गया है। अब कार्यों का कार्यान्वयन लाभार्थी के समूह द्वारा, किसी श्रमिक संगठन या श्रमिक समिति द्वारा या क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न सेक्टर में परियोजनाओं की चयन की सीमा निम्न रूप से विभाजित है—

(1) कृषि एवं कृषि उत्पादकता से सम्बन्धित कार्य-35 प्रतिशत,

(2) ग्रामीण सड़क एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य—25 प्रतिशत,

(3) सामाजिक वानिकी—25 प्रतिशत,

(4) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष कार्यक्रम—15प्रतिशत।

ध्यान में यह रखा गया है कि 15 प्रतिशत का व्यय जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रेखांकित है इसमें किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देख-रेख या पर्यवेक्षण के लिए पंचायत स्तर पर संविधानुसार एक या एक से अधिक 'विकास समिति' कार्य (न्यज समिति) के गठन का प्रावधान है जिसमें 5-7 सदस्यों होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला वर्ग से होता है। सरकारी प्रशासनिक या अन्य सेवा से निवृत एक व्यक्ति को भी इस समिति में सम्मिलित करने का प्रावधान है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत समुदाय की सीधी भागेदारी को सफल बनाने का प्रयास किया गया है। पंचायत स्तर पर योजना तैयार कर लाभार्थी समूह द्वारा कार्यक्रमों का कार्यान्वियन प्रजातांत्रिक पद्धति एवं पंचायती राज शासन को सदृढ़ करने की ओर एक ठोस कदम है। इस कार्यक्रम में योजना का चयन, कार्यान्वियन एवं निगरानी जनता द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास के दर्शन को कारगर बनाना पंचायती राज का लक्ष्य है अतः योजनाएं अब जनता की आम जरूरत को ध्यान में रखते हुए जनता द्वारा ही तैयार कर कार्यान्वित की जाती है। □

ग्रामीण बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन—एक चुनौती

बासुदेव लवानियां

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्पूर्ण सामाजिक दर्शन एवं दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि 'भारत गांवों में बसता है।' जिसकी लगभग तीन-चौथाई जनता ग्रामीण है जो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत का यदि वास्तविक दर्शन करना है तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास में नहीं गांवों में जाकर कीजिए, जहां गरीबी एवं बेकारी की समस्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, जहां तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी की कमी के चलते प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन सम्भव नहीं हो पा रहा है वहां जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है एवं जनाधिक्य की समस्या विद्यमान है। कृषि एवं कृषक पिछड़े हुए हैं और कृषि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति वाले देश के लिए कृषि विकास के साथ ग्रामीण औद्योगीकरण की अनिवार्यता को कदाचित नकारा नहीं जा सकता।

माना कि पिछले चार दशकों में गांवों की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग्रामीण जन-जीवन आज भी असुरक्षित है। पढ़े-लिखे लोग गांवों में रहना नहीं चाहते। गांवों में यदि अस्पताल, बैंक एवं पोस्ट आफिस खोल भी दिए जाएं तो उनके कर्मचारी वहां रहना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर न कोई सुरक्षा, न आत्म-सम्मान और न विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे—शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संचार, यातायात, जल-प्रबंध एवं विद्युत इत्यादि। इन सुविधाओं का लाभ भी प्रायः शहरी क्षेत्रों को ही मिला है जिसके कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर में रात-दिन का अन्तर होता जा रहा है। गरीब और अधिक गरीब एवं अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई गहरी होने के साथ-साथ चौड़ी भी होती जा रही है। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। अतः रोजगार की तलाश में ही ग्रामीण जनता शहरों की ओर पलायन कर रही है जहां उन्हें गंदे एवं दूषित वातावरण में ही जीवन-भर पापड़ बेलने पड़ते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के चहुंमुखी एवं सर्वांगीण विकास के लिए बहुत-सी योजनाएं जैसे सामुदायिक विकास योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, बाल एवं महिला विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, बैंक शाखा विकास कार्यक्रम एवं जवाहर रोजगार योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण विकास के लिए और भी बहुत-से कार्यक्रम बनाए गए, लागू किए गए किन्तु संतोषजनक परिणाम उपलब्ध नहीं हुए क्योंकि यह देखा गया है कि जिन क्रियाओं का परिवारों को विशेष ज्ञान है वे न दी जाकर अन्य क्रियाएं ही उन पर थोपी जाती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि देश में योजनाएं बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है और न ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष स्थान है। ग्रामीण कारीगर, मोची, लुहार, सुनार, कुम्भकार, बढ़ई, जुलाहें, दस्तकार, दाई एवं वैद्य इत्यादि को प्रायः बहिष्कृत कर रखा है। ग्रामीण कुशल दस्तकारों को कार्य कुशलता में तकनीकी योग्यता वृद्धि के लिए न प्रशिक्षण, न अनुदान, न औजार और न विद्युत शक्ति ही उपलब्ध कराई जाती है। यही नहीं उनके उत्पाद को शहर, कस्बों, सुसंस्कृत परिवारों और निर्यात में कोई स्थान नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण लाभान्वितों के दोषपूर्ण चयन एवं साख के प्रभावी पर्यवेक्षण में कमी के कारण भी इच्छित परिणाम उपलब्ध नहीं हुए हैं।

देश में 1951 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या की 82.4 प्रतिशत थी जो क्रमशः 1961 में 82.2 प्रतिशत, 1971 में 80.09 प्रतिशत तथा 1981 में घटकर 76.4 प्रतिशत ही रह गई है। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जनता का शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। सरकार असहाय बनी बैठी है और इस चुनौती को स्वीकार करने से डर रही है। सरकार को इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा। जिस क्षेत्र से देश को राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता हो उस क्षेत्र का विकास करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।

पलायन रोकने के उपाय

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों का समुचित विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य,

यातायात एवं संचार, जल-प्रबंध, विद्युत, आवास, बैंक-साख, व्यापार विकास एवं सुरक्षा इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का विकास करके ही ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है। शहरों में प्राप्त होने वाली सुविधाएं यदि ग्रामीणों को गांव में ही उपलब्ध हो जाएंगी तो पलायन वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। अतः निम्न उपायों से ग्रामीण जनता का शहरों की ओर पलायन रोका जा सकता है।

कृषि विकास

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर करता है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व तो कृषि विकास नाम मात्र के लिए किया गया, किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अवश्य ध्यान दिया गया है। मार्च 1968 में कृषि पर कुल राशि 67 करोड़ रुपये जो कुल ऋण राशि का 2.2 प्रतिशत मात्र थी, खर्च की गई तथा मार्च 1988 में बढ़कर कृषि ऋण राशि 12017 करोड़ रुपये जो कुल ऋण राशि की 17.6 प्रतिशत हो गई। अतः कृषि एवं सहायक क्रियाओं को साख के साथ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके ही समुचित विकास किया जा सकता है। कृषि को उचित दिशा प्रदान करने से ही देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकेगी।

लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना

ग्रामीण क्षेत्र में 'लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना' बेरोजगारी दूर करने का महत्वपूर्ण साधन है। योजनाओं में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्रों की औद्योगीकरण की समस्या पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामों से बेरोजगारी एवं निर्धनता तथा शहरी-ग्रामीण असमानताओं को लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना से ही दूर किया जा सकता है। अब तक के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना आवश्यक था जबकि बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। मार्च, 1968 में लघु उद्योगों के विकास पर कुल ऋण राशि का 6.9 प्रतिशत ही खर्च किया गया जबकि बड़े एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विकास पर 60.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लघु उद्योगों के विकास पर अवश्य थोड़ा-सा ध्यान दिया गया जो राशि मार्च 1988 में बढ़कर कुल ऋण राशि की 15.9 प्रतिशत हो गई किन्तु बड़े उद्योगों की राशि में कटौती की गई जो घटकर 37.5 प्रतिशत ही रह गई। निःसंदेह लघु एवं कुटीर उद्योगों को समुचित विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उपकरण के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए।

ग्रामों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास की समन्वित योजनाएं क्रियान्वित की जानी चाहिए। कृषि एवं कुटीर उद्योगों के विकास में ठीक संतुलन से ही कृषि भूमि पर जनसंख्या के भार को कम किया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

बैंकिंग विकास

भारत जैसे विकासात्मक देश के आर्थिक विकास में बैंकों का बड़ा योगदान है। यदि एक दिन भी बैंक अपना कार्य बंद कर देते हैं तो सारी अर्थव्यवस्था ही अस्त-व्यस्त हो जाती है। ग्रामीण विकास के लिए देश में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सभी योजनाओं में वित्त की परम आवश्यकता है जिसे केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार एवं भारतीय बैंक पूर्ण करने में लगे हुए हैं।

देश में 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अक्तूबर 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोली जा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र को अधिक साख मिले इसके लिए 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है। रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की नीतियों में अनेक ग्रामीण आधारित परिवर्तन किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के कल्याण में काफी सुधार हुआ है।

जुलाई 1968 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 1823 शाखाएं खोली गईं जो कि कुल शाखाओं की 22.2 प्रतिशत थी किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में शाखा-विस्तार तेजी से हुआ जो कि दिसम्बर 1987 तक बढ़कर 30545 शाखाएं हो गईं जो कुल शाखाओं की 55.8 प्रतिशत थी।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए शाखा-विस्तार तो किया ही जाना चाहिए किन्तु गुणात्मक सुधार इससे भी अधिक आवश्यक हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों में कृषि अधिकारियों की नियुक्ति के साथ उद्योग अधिकारियों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए विशेष रूप से चलाई जा रही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण लाभान्वितों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए बैंकों द्वारा सीधे ऋण दिए जाने चाहिए, किसी सरकारी एजेन्सी के माध्यम से नहीं।

उत्तम शिक्षा

शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को एक सुनागरिक बनाने के साथ-साथ समान रूप से जीवन-यापन के लिए तैयार करना भी

है। इस दृष्टि से ज्ञान और अवबोधन के साथ-साथ कौशल युक्त क्रिया सम्पादन भी शिक्षा का एक अविभाज्य अंग हो जाता है। वस्तुत: ज्ञान को जीवन से सम्बंधित करना अर्थात् अर्जित ज्ञान को निजी जीवन में उपयोग करना ही वास्तविक शिक्षा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सरकार ने देश की परम्पराओं, मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा को ढालने का प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में गांधीजी की 'बुनियादी शिक्षा' 1962 में 'सीखो-कमाओ योजना' और 1986 में नवीन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत 'व्यावसायिक शिक्षा' को सम्मिलित किया गया है जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपना स्वयं रोजगार चलाकर रोजी-रोटी कमा सकें।

सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों बार सुधार के प्रयास करने के बाद भी कोई संतोषप्रद सुधार नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि ये सभी प्रयास कागजी रहे हों क्योंकि देश में 1951 में साक्षरता 16.6 प्रतिशत थी जो बढ़कर 1971 में 29.45 प्रतिशत और 1981 में 36.23 प्रतिशत ही हुई जो कि बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्र में तो साक्षरता इससे भी कम रही है।

अत: शिक्षा के क्षेत्र में निम्न सुधार किए जाने चाहिएं:

(1) प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(2) 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा होनी चाहिए। उल्लंघन करने वाले अभिभावक दंडित किए जाने चाहिए।

(3) 10+2 में व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

(4) व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षण के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(5) व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी को सीधे (बिना अन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए) ही नौकरी दी जानी चाहिए। यदि वह स्वयं रोजगार चलाता है तो पर्याप्त साख सुविधा दी जानी चाहिए।

(6) नवोदय विद्यालय समस्त जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले जाने चाहिए ताकि ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्रों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

हालांकि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्रों (एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक), परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थापना एवं पीने के पानी की व्यवस्था कर रही है किन्तु फिर भी आशातीत परिणाम दिखाई नहीं दिए हैं।

सरकार को स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया में निम्न कदम उठाने चाहिएं:

(1) प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर एक एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक अस्पताल, पंचायत समिति स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं परिवार कल्याण केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए।

(2) प्रत्येक पांच ग्राम पंचायत पर, एक उप-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, ग्राम स्तर पर एक छोटी डिस्पेंसरी स्थापित होनी चाहिए।

(3) डिग्रीधारी डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट क्लीनिक खोलने हेतु पर्याप्त साख सुविधा एवं उपकरण खरीदने हेतु अनुदान भी दिया जाना चाहिए।

(4) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए 1 लड़की एवं 1 लड़की के बाद अगले तीसरे बच्चे पर कर व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि पहली दोनों ही लड़कियां हैं तो एक बच्चे की छूट दी जानी चाहिए।

(5) पीने के पानी की व्यवस्था में जहां पर मीठा पानी है, कुओं एवं हैन्ड पम्पों की व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां मीठा पानी नहीं है वहां पर जल-प्रदाय योजना के द्वारा पानी आपूर्ति करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(6) पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 50 छायादार/फलदार वृक्ष लगाने चाहिए।

आवास विकास

सरकार ने आवास विकास पर केवल शहरी क्षेत्रों में ही ध्यान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र की ओर तो झांक कर भी नहीं देखा है। इस दशक में जरूर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, जोकि जवाहर रोजगार योजना का ही एक भाग हैं, अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करने का प्रावधान रखा है। इसमें मकान समूह में बनाने की नीति अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि बस्तियों के समान सार्वजनिक सुविधाएं दी जा सकें। इस योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों का कोई डिजाइन तय नहीं किया गया है। शर्त केवल इतनी है कि मकानों का कुर्सी क्षेत्र 17 से 20 वर्ग मीटर होना चाहिए। इस योजना के तहत उपलब्ध कराई गई

राशि इतनी कम है कि उससे रहने योग्य एक मकान का निर्माण लगभग असम्भव है। प्रत्येक मकान के लिए 7200 रुपये रखे गए हैं। जिसमें से 1200 रुपये स्वच्छ शौचालय एवं धुआं रहित चूल्हे पर खर्च किए जाने हैं। मकान के निर्माण के लिए रखे गए 6000 रुपये में से 1500 रुपये मजदूरी के रूप में खर्च करना अनिवार्य बना दिया है। सारे खर्चों के बाद मकान में लगने वाली सामग्री के लिए केवल 4500 रुपये बचते हैं जो किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं।

अतः गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त जातियों के लोगों के आवास के लिए मकान कम-से-कम 50 वर्ग मीटर में होना चाहिए। मकान स्वयं सरकार द्वारा बनवाकर वितरित किए जाने चाहिए और उनकी कुल कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में छूट देकर शेष राशि छोटी-छोटी किश्तों में वसूल की जानी चाहिए।

विद्युत व्यवस्था

गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने तथा कृषि यंत्रीकरण को तेजगति से लागू करने के लिए विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई। निगम ने अपनी स्थापना के समय से ही सम्पूर्ण भारत के गांवों में विद्युत पहुंचाने के प्रयास तीव्र गति से प्रारम्भ कर दिये थे। वर्तमान में विभिन्न राज्यों में विद्युत मंडलों के सहयोग से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चल रहा है।

देश के 25 राज्यों में से तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा तथा केरल राज्यों में 95 से 99 प्रतिशत, 4 राज्यों में 75 से 94 प्रतिशत, 7 राज्यों में 50 से 74 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50 प्रतिशत से कम विद्युतीकरण हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गांव 1,12,561 हैं जिसमें से 65 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। सबसे कम गांव 229 मिजोरम एवं अरुणाचल राज्य में है, जहां पर सबसे कम 31 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है।

वर्ष 1987-88 में 3,98,120 पम्पों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 1988 तक 3,89,625 पम्पों को विद्युतीकरण किया जा चुका है अर्थात् 97 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। जनवरी 1988 तक कुल 70.46 लाख पम्पों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

यातायात के साधन

देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में यातायात के साधनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस देश में यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं हुआ है उसका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का स्वप्न देखना व्यर्थ ही है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जब तक यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं होगा तब तक कृषि एवं कुटीर उद्योगों के लिए न तो कच्चा माल ही आ सकेगा और न निर्मित माल बाहर भेजा जा सकेगा जिसके भय से लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना ही नहीं होगी। देश में अभी तक बहुत-से ऐसे गांव हैं जहां तक कोई 'एप्रोच रोड' नहीं जाता है।

अतः कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए यातायात के साधनों का समुचित विकास किया जाना चाहिए जिससे कच्चा माल बाहर से मंगाया जा सके और निर्मित माल बाहर भेजा जा सके। ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के साधनों के विकास से ग्रामीण बाजारीकरण में भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। यातायात के साधनों के विकास से रोजगार के अवसरों में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होगी।

संचार के साधन

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के साधनों का विकास करने का भरसक प्रयत्न कर रही है। दूरदर्शन पर सप्ताह के अधिकांश दिवसों में कृषकों के मार्ग दर्शन हेतु 'कृषि दर्शन' कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। रेडियो पर भी कृषकों के मार्ग दर्शक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए दूरदर्शन एवं रेडियो पर बहुत कम मार्ग-दर्शक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। निःसन्देह ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर भी। अतः कृषि दर्शन कार्यक्रम के साथ 'कुटीर उद्योग दर्शन' कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों को नवीनतम तकनीकी का ज्ञान हो सके और अपना आर्थिक विकास करने में सफल हो सकें।

निष्कर्ष

ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा एवं उक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास द्वारा गांवों का ही शहरीकरण हो जाएगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उनका शहरों की ओर पलायन स्वतः ही रुक जाएगा। जब ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो देश स्वतः ही आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो जाएगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 'देश वही सम्पन्न है जिसके गांव सम्पन्न हैं।'

गांव—नौगाया,
पो.—पोपला,
भरतपुर (राजस्थान)

रा. ग्रा. वि. को.

सरकारी निधि में दान दीजिए –
निर्धनों का कल्याण कीजिए – पूरी कर छूट का लाभ लीजिए

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष

अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष फार्म क्लीनिक लाभार्थियों के केन्द्र का निरीक्षण कर रहे हैं

ग्रामीण क्षेत्रों के आधार ढांचे में सुधार, ग्रामीणों की कुशलताओं का विकास तथा
ग्रामीण जनता के लिए संवितरण सेवाओं में सुधार के काम की व्यापकता को देखते हुए
सरकारी प्रयास को व्यक्तिगत प्रयास से समन्वित करने की आवश्यकता है। सरकार, ग्रामीण
विकास में संसाधनों को जनता की भागीदारी से बढ़ने के लिए स्वैच्छिक कार्य को बड़े स्तर
पर प्रोत्साहन दे रही है। सरकार के वित्तीय संसाधन आधार को सुदृढ़ किया जाना चाहिए,
जिससे केन्द्र व राज्य सरकारों के बजट प्रावधान से ज्यादा राशि ग्रामीण विकास गतिविधियों
के लिए उपयोग में लायी जा सके।

फरवरी 1984 में स्थापित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष ऐसे संसाधनों को जुटाने का
एक आकर्षक प्रयास है। इस कोष का मुख्य उद्देश्य आयकरदाताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण
विकास कोष में दिए गए दान की राशि पर शत-प्रति-शत आयकर की रियायत देते हुए
उनसे ग्रामीण विकास हेतु निधियां प्राप्त करना है। प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम 1987 ने
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-जी के अन्तर्गत ला
दिया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दिए गए दान की राशि पर 100
प्रतिशत छूट का प्रावधान है।

यह कोष भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासित है।
यह विभाग दान देने पर प्रमाण-पत्र जारी करता है, जिसके आधार पर दानदाता कर छूट का
हकदार हो जाता है। ग्रामीण विकास विभाग यह सुनिश्चित करता है कि दानदाता द्वारा चयन
की गयी विशेष परियोजनाओं हेतु यथासंभव उस कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां सौंपी जाए,
जिसके लिए दानदाता ने सुझाव दिया हो। अन्य मामलों में ग्रामीण विकास विभाग, इस निधि
के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को उन परियोजनाओं पर व्यय करता है, जिनके लिए सामान्य
बजट प्रावधान नहीं होता है।

राष्ट्रीय विकास के काम में भागीदार होने के इच्छुक प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय
ग्रामीण विकास कोष से यह सुअवसर प्राप्त है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार इसमें अपना
अंशदान दे। इसके लिए कर छूट एक प्रोत्साहन है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष क्या है?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष को एन.एफ.आर.डी. के नाम से जाना जाता है। इस कोष की स्थापना मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार 1984 में की गयी। इस निधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 सी.सी.ए. तथा 80 जी.जी.ए. के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की गतिविधियों के लिए किए गए पहले के प्रावधानों को बदल दिया गया है। प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम 1987 में संशोधन के बाद आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत इस निधि में दान देने वाले व्यक्तियों को आयकर में शत-प्रति-शत छूट दी जाती है।

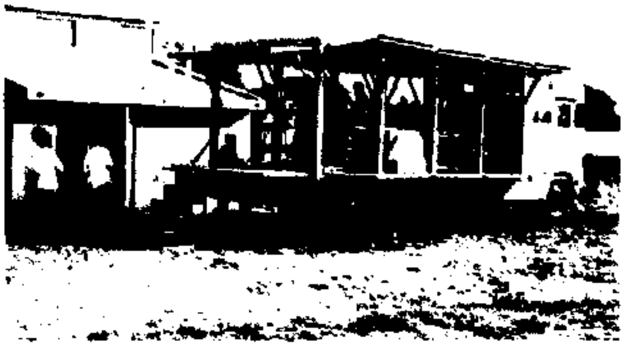

ग्रामीण महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्र होराहल्ली, कर्नाटक के लिए चल प्रशिक्षण वाहन

इस निधि का उद्देश्य क्या है?

सरकार यह भली भांति जानती है कि उद्योग व व्यापार में रत स्वैच्छिक क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठान, सहकारी संस्थाएं व कुछेक उदार व्यक्ति दान देकर ग्रामीण विकास गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस कोष की स्थापना ग्रामीण विकास के प्रयास को एक नयी दिशा देने व इसे व्यवस्था का रूप देने को ध्यान में रखकर की गयी है। इसके साथ-साथ दान देने वाले आयकर छूट व अन्य छूट के आकर्षक प्रोत्साहन का लाभ भी उठा सकते हैं। यदि ग्रामीण विकास के लिए अंशदान को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान के रूप में दिया जाए, तभी इस प्रोत्साहन और छूट का लाभ मिल सकता है।

प्रशासनिक प्राधिकारी

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय का ग्रामीण विकास विभाग इस कोष से दी गयी सभी वित्तीय सहायता का प्रशासन व प्रबन्ध करता है। प्रबन्ध समिति की ओर से यह विभाग, निधि से वित्त-पोषित सभी परियोजनाओं की मानिटरिंग का काम भी करता है।

कोष का प्रबन्ध कैसे होता है?

कोष का प्रबंध भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक प्रबन्ध समिति करती है, जिसमें योजना मंत्री, वित्त मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री इस समिति के सदस्य हैं तथा ग्रामीण विकास विभाग के सचिव इसके सदस्य-सचिव हैं।

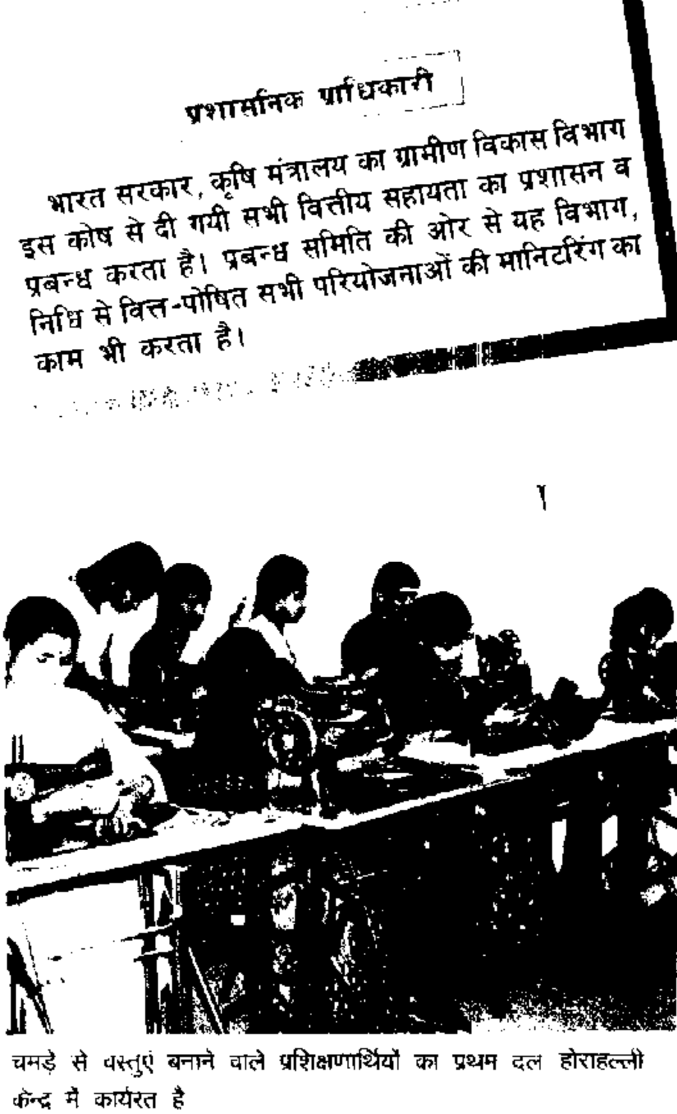

चमड़े से वस्तुएं बनाने वाले प्रशिक्षणार्थियों का प्रथम दल होराहल्ली केन्द्र में कार्यरत है

यदि आप राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान दें, तो आपको कौन से विशेष प्रोत्साहन मिलेंगे?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान देने पर आपको दो किस्म की विशेष छूट मिलेगी:

(क) आपके दान की पूरी राशि पर आपको आयकर छूट मिलेगी, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम 1987 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार होगी। जैसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में आपके दान की राशि हमें प्राप्त होगी आपको एक प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा जिसे आप अपनी आयकर विवरणी भरते समय छूट का दावा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान देते समय आप शुरू की जाने वाली अपनी पसंद की ग्रामीण विकास परियोजना बता सकते हैं और साथ ही आप अपनी पसंद के क्षेत्र व कार्यान्वयन एजेंसी के नाम की सिफारिश भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उस परियोजना को चलाया जाना है और जिसमें आपके दान की राशि के बराबर राशि दी जाएगी।

फार्म क्लिनिक लाभार्थियों को खेती की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

इस कोष में कौन अंशदान कर सकता है?

कोई भी संस्था या व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होना चाहे, वह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में वित्तीय दान दे सकता है। आप दान की राशि भेजने के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष' के नाम क्रास चैक या डिमांड ड्राफ्ट 'संयुक्त सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110 001' के पते पर भेजें।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की परियोजनाओं को चलाने का हकदार कौन है?

यदि दानदाता, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान देते समय जिस एजेंसी के नाम का सुझाव दे तो इस कोष की परियोजनाएं उस एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा सकती हैं अथवा अन्य स्थिति में यदि कोई दान, कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में किसी सिफारिश के बिना प्राप्त हो तो प्रबंध समिति जिस एजेंसी का चयन व अनुमोदन करे, वह एजेंसी इस कोष की परियोजनाएं कार्यान्वित कर सकती है।

इस प्रकार चयन की गई कार्यान्वयन एजेंसी का इनमें से कोई विधिपरक स्तर होना चाहिए: (क) आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत सुदृढ़ सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट या (ख) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा भारत के किसी भी भाग में इस अधिनियम के अनुरूप लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था अथवा (ग) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत निगमित कम्पनी अथवा (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से सम्बन्धित कार्य में रत केन्द्र/राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम।

कोष परियोजनाएं कौन अनुमोदित करता है और कार्यान्वयन एजेंसी को राशि पाने में कितना समय लगता है?

प्रबंध समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परियोजना प्रस्तावों के अनुमोदन का अधिकार केन्द्रीय कृषि मंत्री को प्रत्यायोजित कर दिया है, जो ग्रामीण विकास विभाग के भी प्रभारी हैं।

जैसे ही कृषि मंत्री आपकी परियोजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर देंगे, आपके द्वारा जिस कार्यान्वयन एजेंसी के नाम का सुझाव दिया गया हो उसे स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसमें उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष के वित्तीय अनुदानों को शासित करने वाली शर्तों का सहमति बंध पत्र भरने को कहा जाएगा। इस कार्रवाई के पूरा होते ही आपकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को निधियां, उपयुक्त किस्तों में जारी कर दी जाएंगी।

परियोजना प्रस्ताव के प्राप्त होने पर उनकी जांच, अनुमोदन, स्वीकृति एवं कार्यान्वयन एजेंसी को निधियों की रिलीज की प्रक्रिया का सारा काम लगभग चार से छह महीनों में पूरा हो जाएगा।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे करें?

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में दान देते समय आप अपनी पसंद की परियोजना, उसके क्षेत्र और उस कार्यान्वयन एजेंसी के नाम की सिफारिश भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा वह परियोजना कार्यान्वित की जानी है। इन सभी मामलों में आपके द्वारा सुझाई गयी एजेंसी को निर्धारित प्रपत्र में परियोजना प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेजना होगा, जो दान देने की तारीख से लेकर तीन महीने की अवधि तक उक्त विभाग को पहुंच जाना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष से मांगी जाने वाली परियोजना/सहायता की कुल राशि परियोजना कार्यान्वित करने के लिए आपके द्वारा दिए गए दान की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

...या निधियां एक ही किस्त में दी जा सकती हैं?

...हाँ, उन सभी मामलों में जहां परियोजना का आकार और ...के कार्यान्वयन की अवधि अपेक्षाकृत कम हो, राष्ट्रीय ...मीण विकास निधियां एक किस्त में दी जा सकती हैं। यदि ...पकी परियोजना का आकार और उसके कार्यान्वयन की ...वधि पर्याप्त रूप से लम्बी है, निधियों की आवश्यकता- ...सार उपयुक्त किस्तों में राशि चरणवार जारी की जाएगी। ...सी मामलों में ग्रामीण विकास विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी ... सीधे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि की राशि देगा।

...दि कोष अनुदान एक से अधिक किस्तों में दिया ...ाए, तो प्रक्रिया क्या होगी?

...प्रथम किस्त जारी करने के बाद, जैसे ही कार्यान्वयन ...जेंसी यह सूचना भेजे कि उसने पहले प्राप्त निधियों में से ...म से कम 75 प्रतिशत निधियों का उपयोग कर लिया है, ... उसे बाद की सभी किस्तें तुरंत जारी कर दी जाएंगी। इस ...न पत्र के साथ लेखा परीक्षित व्यय का विवरण तथा ...खापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र होना चाहिए कि ...रियोजना के लिए रिलीज की गयी निधियों का कम से कम ... प्रतिशत भाग उपयोग में लाया जा चुका है।

...ोष की परियोजनाओं की मानिटरिंग

...राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष परियोजनाओं को कार्यान्वित ...रने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसी को ...रियोजना कार्यान्वयन का भौतिक व वित्तीय प्रगति का ...माही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा ...मीण विकास विभाग के अधिकारी इन परियोजनाओं का ...रीक्षण भी करेंगे। पहली किस्त जारी करने के बाद, यदि ...रकार परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति से सन्तुष्ट ...गी तभी बाद की सभी किस्तें जारी की जाएंगी।

कोष के अन्तर्गत परियोजनाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष से वित्तीय सहायता प्राप्त कर प्रारम्भ की गयी ग्रामीण विकास की कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं: ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता, महिला व बाल कल्याण व पोषाहार, ग्रामीण सम्पर्क सड़कों, स्कूल भवनों, सामदायिक केन्द्रों जैसे आधार ढांचे का निर्माण व सुधार, स्वरोजगार प्रशिक्षण, कृषि उत्पादन व पशुपालन।

पूरी की गई परियोजनाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में भागीदारी निभाने वाले अधिकांश दानकर्ताओं ने इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए विशेष ग्रामीण-विकास परियोजनाओं को अपनाने की सिफारिश की है और अपनी पसंद की एजेन्सियों के नाम बताए हैं। अब तक पूरी की गई कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं:–

आनन्द प्रतिमान पर आधारित समन्वित परिवार कल्याण परियोजना इसका कार्यान्वयन ''त्रिभुवनदास प्रतिष्ठान'', आनन्द ने किया है। दानकर्त्ता: ''सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि०'', आनन्द, ज़िला कैरा। दानराशि: 15 लाख रुपए।

''शारदा धनवन्तरी धर्मार्थ अस्पताल'', सिन्गेरी तक पहुंच सड़क का निर्माण।

''सहकारी मत्स्यपालक कल्याण समिति लि०'' कौट्टयम्, केरल द्वारा मछुआरों की कालोनी के लिए शौचालयों का निर्माण। दानकर्ता: हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०, केरल। दानराशि: 10,000 रुपये।।

''सम्भलेरा विकास संस्था'' सम्भलेरा द्वारा सम्भलेरा ग्राम (उ.प्र.) में धर्मार्थ चिकित्सालय का निर्माण। दानकर्ता: श्री गोयल, ए.वी.एस.एम. (अवकाशप्राप्त) दानराशि: 15,000 रुपये।

ग्रामीण विकास में लोक सहयोग और कापार्ट

डॉ. अजय जोशी

ग्राम विकास के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों में जोड़ने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें इन कार्यक्रमों में सहयोग देने तथा भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाए। ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वयंसेवी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रयासों को बढ़ाने तथा उनका सहयोग लेने हेतु लोक कार्यक्रम तथा ग्राम टैक्नोलोजी विकास परिषद (कापार्ट) का गठन किया गया। इसका पंजीकरण सितम्बर 1986 में हुआ। यह केन्द्रीय ऐजेन्सी है जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं को जनता की भागीदारी से क्रियान्वित करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं तथा गैर-सरकारी ऐजेन्सियों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कापार्ट की प्राथमिकताएं

कापार्ट के माध्यम से जिन परियोजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है उनके लिए इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि ये परियोजनाएं ग्रामीण जीवन के किसी ऐसे पहलू से संबंधित हों जिसमें उस क्षेत्र के लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं झलकती हैं। देश के अधिकांश राज्यों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में इसके लाभार्थियों का सार्थक सहयोग लेने हेतु खंड स्तर पर लाभार्थी सलाहकार समितियां तथा पंचायत स्तर पर लाभार्थी उप-समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों के माध्यम से कापार्ट ग्रामीण लोगों को विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करता है।

उपलब्ध धनराशि

केन्द्रीय सरकार ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कापार्ट को धनराशि उपलब्ध कराती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सरकार ने कापार्ट को जो धनराशि उपलब्ध कराई है उसे तालिका-1 द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है :

तालिका-1 सातवीं पंचवर्षीय योजना में कापार्ट को उपलब्ध राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	1985-86 से 1988-89तक	1988-89 से (31.12.89 तक)
1.	ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी गतिविधियां	621	75.00
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास	400	75.00
3.	लाभार्थियों के संगठन	308	—
4.	जवाहर रोजगार योजना	885	—
5.	ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	750	237.50
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	269	—
7.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	75	—
8.	कार्ट-कापार्ट को सहायता	1066	250.00

कापार्ट द्वारा उपलब्ध वित्तीय साधन

कापार्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में लोक सहयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कापार्ट परियोजनाएं स्वीकृत कर उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय साधन उपलब्ध कराती है। कापार्ट द्वारा वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में विभिन्न परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका-2 के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कापार्ट विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करा कर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सफल

तालिका-2 कापार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	विवरण	1988-89 (31.12.88 तक)		1989-90 में 31.12.89 तक	
		स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	स्वीकृत परियोजनाएं	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी गतिविधियां	278	1548	60	614
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास	425	773	90	123
3.	लाभार्थियों के संगठन	723	241	83	22
4.	जवाहर रोजगार योजना	362	1565	111	420
5.	ग्रामीण जल/पूर्ति कार्यक्रम	277	1120	69	234
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	443	958	148	168
7.	समन्वित ग्रामीण विकास	104	146	38	50
8.	कार्ट/कापार्ट को सहायता	235	1237	20	57

क्रियान्वयन में जन सहयोग को आमंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है।

कापार्ट ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलोजी के विकास में भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। कापार्ट ने सुधरी बैलगाड़ी तथा कृषि यंत्रों की तकनीकों के सुधार में भी महत्वपूर्ण सहायता की है। कापार्ट के सुधरे कृषि उपकरणों के माध्यम से कृषि कार्य करने वाली महिलाओं तथा पुरुषों को काफी सुविधा हुई है। कापार्ट ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपयोग की वस्तुओं में तकनीकी सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने में सहायता प्रदान कर महिलाओं की महत्वपूर्ण सहायता कर रही है।

कापार्ट को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

कापार्ट ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। देश की विशाल ग्रामीण जनसंख्या तथा गांवों की संख्या को देखते हुए कापार्ट की गतिविधियों में विस्तार की काफी गुंजाइश विद्यमान है। कापार्ट द्वारा उपलब्ध की गई सहायता की राशि सीमित है तथा इसकी गतिविधियों का क्षेत्र भी सीमित है। ग्रामीण विकास में कापार्ट की भूमिका को बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। इस हेतु निम्न सुझावों की ओर दृष्टिपात किया जाना उपयुक्त होगा:

1. कापार्ट को प्रदान की जाने वाली धनराशि की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि कापार्ट अधिक प्रभावी तरीके से ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सके।
2. कापार्ट के विभिन्न कार्यक्रमों में सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों के संगठनों की संख्या तथा उनकी प्रभावशीलता बढ़ाया जाना नितांत आवश्यक है।
3. कापार्ट की गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी विकास की दिशा में बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम तकनीकों के यंत्र साधन व सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
4. ग्रामीण विकास में संलग्न विभिन्न ऐजेन्सियों तथा कापार्ट द्वारा परस्पर तालमेल बिठाकर विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का लाभ अधिकाधिक लोगों को मिल सके।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोक सहयोग की प्राप्ति हेतु कापार्ट की गतिविधियों का व्यापक प्रचार करना चाहिए तथा अधिकाधिक लोगों को इन गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए।

इन सुझावों के अनुरूप यदि कापार्ट की गतिविधियां संचालित की जाती हैं तो यह अधिक प्रभावी तरीके से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्रामीण लोगों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ सकेगी तथा कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। इस प्रकार तेजी से ग्राम विकास हेतु कापार्ट भी अपना अमूल्य योगदान कर सकेगी।

डी-423, मुरलीधर व्यास नगर
गजनेर रोड, बीकानेर-334001
(राजस्थान)

ग्राम्य विकास की योजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

ममता

ग्रामीण जनजीवन में जो भी सुधार हुआ है उसमें विकास योजनाओं के अलावा गांववासियों का बहुमूल्य योगदान भी शामिल है। सवाल यह नहीं है कि गांव और गांववासियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार हुआ या नहीं बल्कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि गांवों में जो भी बदलाव आया है उससे वहां के रहने वालों के कष्ट कम हुए हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी से जुड़ी दिक्कतें दूर हुई हैं तथा हो रही हैं। इस दिशा में और तेज गति से काम हो सकता है। बशर्ते गांवासियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। वहां के रहने वाले स्वयं आगे आएं और अपने क्षेत्र के लिए सामूहिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। लेकिन सच यह है कि यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है किन्तु व्यवहार में दिख पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्वैच्छिक संगठनों ने बहुत-से स्थानों पर काफी कुछ कर दिखाया है।

अपनी तरक्की के लिए जरूरी हैं अपने हाथ

अंध विश्वास, शिक्षा का अभाव, गरीबी और पुरानी रूढ़ियां आज भी ग्रामीण जीवन को बोझिल बनाए हुए हैं। इनके अंधेरों में भटकते हुए गांववासी न तो अपना जीवन स्तर ही ऊंचा उठा सकते हैं और न उनसे प्रगति की दौड़ में शामिल होने की उम्मीद की जा सकती है। गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का मोटा अर्थ वे सिर्फ कर्जे और उस पर मिलने वाली छूट से लगाते हैं। और हर समस्या का हल करने का जिम्मा केवल सरकार का समझते हैं जबकि बहुत-से अध्ययन, सफल प्रयोगों और उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि गांवों की बहुत-सी समस्याएं वहां के रहने वाले यदि खुद चाहें तो अपने स्तर पर किए गए प्रयासों से तुरन्त दूर कर सकते हैं। लेकिन बुरी तरह से व्याप्त उदासीनता के कारण हर आम आदमी के मन में यह बात घर कर गयी है कि अरे छोड़ों हमें क्या मतलब जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने आस-पास जो भी हो रहा है उससे सरोकार रखे और उसे सही दिशा देने में सहयोग प्रदान करें। जिस दिन यह बात गांववासियों को समझ में आ जाएगी उस दिन से बिचौलिए कदम-कदम पर उनका शोषण नहीं कर पाएंगे और गांवों की काया पलट हो जाएगी। योजनाबद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जितनी विपुल धनराशि अब तक व्यय हुई है उससे कहीं ज्यादा लाभ मिल सकता था बशर्ते ग्रामीणों की जागरुकता और उनका सहयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए साथ-साथ रहा होता।

असल स्थिति यह है कि विकास कार्यक्रमों, उन्हें चलाने वाली एजेंसियों और ग्रामीण के मध्य एक कम्यूनिकेशन-गैप-सा बना हुआ है। किसान मजदूर यह अपेक्षा करते हैं कि हर बात की जानकारी उन्हें घर बैठे मिलनी चाहिए और विकास कार्यकर्ता इसलिए परेशान हैं कि उसके पास इतना बड़ा क्षेत्र है, वह कहां-कहां जाए?

यही स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका का महत्व प्रकट होता है कि वह एक ऐसा माध्यम बनेंगी जो दोनों के बीच समन्वित ढंग से संपर्क सूत्र सिद्ध हो। शहरी क्षेत्रों में समाज कल्याण से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत-से संगठन सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति दूसरी है। एक तो ऐच्छिक एजेंसियों की संख्या बहुत कम है दूसरे जो हैं भी उनकी गतिविधियां ऐसी नहीं है कि आस-पास के इलाकों में भी लोग उनसे प्रेरणा ले सकें।

संगठन सही मायने में स्वैच्छिक संगठन हो सांठगांठ न हों

सितम्बर 1989 में लोक कार्यक्रम तथा ग्राम टैक्नोलोजी विकास परिषद अस्तित्व में आई जिसे कापार्ट भी कहते हैं यह परिषद एक ऐसी केन्द्रीय एजेंसी है जो ग्रामीण विकास में लगी स्वयं सेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त यह देहाती इलाकों के लिए उपयुक्त एवं किफायती टैक्नोलाजी के विकास और उसे ग्रामवासियों तक पहुंचाने के प्रयासों में तालमेल बनाए रखने का कार्य करती है। कापार्ट द्वारा आठ प्रमुख क्षेत्रों में सैकड़ों परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

कापार्ट की जनरल बाडी में सदस्यों की संख्या ज्यादा-से-ज्यादा 100 तक रहती है किन्तु कार्यकारी समिति में 25 सदस्य है। जिनमें से अधिकतर सदस्य स्वयं सेवी-संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं ताकि उनके परामर्श के अनुसार कापार्ट की गतिविधियां संचालित होती रहें। आवश्यकता है कि गांवों के विकास में रुचि रखने वाले सक्रिय एवं निष्ठावान सदस्य वहां तक पहुंचे और नई दिशा प्रदान करें।

ग्रामीण विकास में जन सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी संस्थानों का सहारा सफल सिद्ध हुआ है क्योंकि स्वयंसेवी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य, उन संगठनों की विकास सम्बन्धी क्षमताओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व को बढ़ावा देता रहता है। अतः ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। इस सम्बन्ध में एक कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी बनाया गया है। आशा है कि प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग एवं परामर्श से यह अधिक उपयोगी बन पड़ेगा।

ग्रामीण विकास में स्वयं सेवी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 201, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन बनाने के लिए 583, ग्रामीण टैक्नोलाजी के लिए 213, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हेतु 282, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु 184, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 59, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के लिए 321 तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के लिए 222 परियोजनाओं की स्वीकृति लोक कार्यक्रम एवं ग्राम्य टैक्नोलाजी परिषद (कापार्ट) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। कापार्ट द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को निर्धारित कार्यक्रम बजट से धन उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि का अभी और विस्तार होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सम्भावना है। सिण्डीकेट एग्रीकल्चर फाउण्डेशन मनीपाल की ग्रामीण विकास परियोजना के लिए 11.06 लाख रु., सामलेटा विकास संस्थान द्वारा धमार्थ चिकित्सालय निर्माण के लिए 15 हजार रु., केनरा बैंक हीरक जयन्ती ग्रामीण विकास ट्रस्ट बंगलौर को स्व-रोजगार प्रशिक्षण एवं आदर्श गांव परियोजना के लिए 20 लाख रु., भारत चैम्बर्स आफ कामर्स कलकत्ता द्वारा उच्च विद्यालय परिसर के निर्माण हेतु 1 लाख रु. तथा रायल सीमा सेवा समिति तिरुपति आन्ध्र प्रदेश द्वारा गांवों के सम्भावित विकास हेतु 5 लाख रु. की मंजूरी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से वर्ष 88-89 में दी गई। देश भर से ऐसी परियोजनाओं के लिए और अधिक धन एवं प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए। लोगों तक विस्तृत जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए गए प्रचार अभियान के अन्तर्गत वर्ष 89-90 में 40 प्रकाशन किए गए। फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनी आयोजन, रेडियो एवं टी. वी. से प्रसारणों के अतिरिक्त कुरुक्षेत्र तथा ग्रामीण विकास समाचार मासिक पत्रिकाएं हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। प्रायः कुरुक्षेत्र के प्रत्येक अंक में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषय पर तथा ग्रामीण विकास समाचार के अंक में किसी राज्य विशेष पर सामग्री दी जाती है।

स्वैच्छिक संगठनों को निदेशक मीडिया, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली से और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। यद्यपि प्रचार एवं संचार की व्यवस्था की गई है किन्तु वहां भी समस्या सामग्री एवं जानकारी ऊपर से नीचे तक पूरी, तुरन्त एवं सही ढंग से पहुंचाने की है। ब्लाक स्तर पर सूचना केन्द्र एवं पुस्तकालयों की स्थापना इस उद्देश्य को रखकर की गई थी किन्तु उनके रख-रखाव और संचालन आदि में पर्याप्त सुधार किया जाना आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका इस मामले में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। अतः इस दिशा में उन्हें आवश्यक पहल करनी चाहिए।

विकास खण्ड कार्यालय कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा तैनात ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर विकास कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आदि अनेक ग्रामीण गतिविधियों के केन्द्र हैं जो समग्र ग्राम्य विकास के केन्द्र बिन्दु सिद्ध हो सकते हैं। किन्तु उन्हें यथोचित मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। गांव में रहने वाला एक व्यक्ति यदि प्रतिदिन अपना केवल एक घन्टा देकर भी कार्य शुरू करे तो पूरे गांव की तसवीर को बदलने में काफी कुछ उपलब्ध करा सकता है।

ग्रामीण जीवन और कृषि से सम्बन्धित बहुत-सी टैक्नालोजी ऐसी है जो बिखरी पड़ी है। जो उपयुक्त होते हुए भी गांववासियों से दूर है। ग्रामीण कारीगरों को उनकी जानकारी होनी जरूरी है क्योंकि आज के वैज्ञानिक युग में समय और श्रम की बचत करना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में काम करने का ऐसा ढंग खोजना चाहिए जो पहले से बेहतर हो। ऐसा करने से ही कार्य क्षमता में वृद्धि सम्भव है। ग्रामीण दस्तकारी को चुन कर संकलित रूप में गांव की जनता तक पहुंचाने की दिशा में नेशनल रिसर्च डवलेपमेन्ट कारपोरेशन की त्रैमासिक पत्रिका ग्राम शिल्प का प्रयास अच्छा है। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने भी ग्राम प्रौद्योगिकी पर दो गाइड सरल सुबोध भाषा में प्रकाशित की हैं। किन्तु इस प्रकार के प्रकाशनों से लाभ तभी है जबकि गांव-गांव में ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाएं कार्यरत हों और उनमें यह पत्र-पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हों। वरना इनका लाभ चन्द हाथों तक सिमट कर रह जाएगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस नए संगठन 'कापार्ट' के उद्देश्य में प्रमुख हैं:

1. ग्रामीण सम्पन्नता बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
2. ऐसे स्वैच्छिक प्रयासों में सहायता करना।
3. ग्रामीण विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकियां सृजित करने एवं प्रचार करने हेतु राष्ट्रीय नाडल एजेंसी के रूप में कार्य करना।
4. परियोजनाओं की सहायता, मार्गदर्शन, गठन, विकास, रख-रखाव, समन्वय करना।
5. गांववासियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार करना।
6. अनुसंधान और विकास समस्याओं को सुदृढ़ करना ताकि ग्रामीण हितों के मामले सुलझ सकें।
7. महिलाओं एवं विकलांगों के हितों पर उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करना तथा ग्रामीण विकास के क्रियाकलापों पर गोष्ठी आदि करना।

ग्रामोन्मुखी स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करने से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार सुविधाओं के सदुपयोग, सार्वजनिक महत्वपूर्ण परिसम्पतियों में रख-रखाव, वस्तुओं की उपलब्धता, वैकल्पिक ऊर्जा, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण, अन्य अल्प बचत, सहकारिता, परिवार कल्याण, स्वरोजगार आदि क्षेत्रों में जन समर्थन प्राप्त किया जा सकता है। लोगों को बताया और समझाया जा सकता है कि जिससे उनके सोचने तथा काम करने का ढंग बदला जा सकता है। स्वच्छ पेयजल एवं जन स्वास्थ्य की दिशा में स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम कार्य करा सकते हैं। हमारे गांवों में कृषि तथा कृषि आधारित काम-धन्धों में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य उद्योग आदि प्रमुख हैं। अतः इससे सम्बन्धित नवीनतम टैक्नालोजी इनमें लगे गांववासियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है और यह टैक्नालोजी गांववासियों तक स्वैच्छिक संगठन आसानी से पहुंचा सकते हैं।

हरियाणा का गांव नीलोखेड़ी आज भी एक किसान कृष्णदेव दीवान का ऋणी है जिसने अकेले ही ग्रामीणों को संगठित किया और उस क्षेत्र की काया पलटकर रख दी। भारत सरकार ने उस से व्यक्ति को बिहार के पिछड़े हुए क्षेत्र वैशाली के गांवों में जाकर यही चमत्कार करने का अनुरोध किया जिसे उसने स्वीकारा और वहां भी किसानों की संस्था वास्का यानि 'वैशाली एरिया साल फारमर्स एसोसिएशन' बनाई और कृषि-उत्पादन के सामूहिक साधनों को हर छोटे-से-छोटे किसान को उपलब्ध कराया। बाद में दाउद नगर में इसी प्रकार दासफार्का परियोजना शुरू की। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं वरन् सातवें दशक की है। उस क्षेत्र में देखा-देखी कई परियोजना शुरू की गई, सिंचाई दल बने, उद्यम दल बने और खूब चले। गरीब किसानों मजदूरों को बहुत राहत मिली। उस क्षेत्र में बदलाव आया और 1986 में उसी किसान कृष्णदेव दीवान को ग्राम्य विकास के लिए पद्मश्री के अलंकरण से सम्मानित किया गया। श्री दीवान ने स्वैच्छिक संगठन के द्वारा ग्राम्य विकास को सार्थक कर दिखाया था।

छोटे किसानों के बड़े संगठन

श्री दीवान का प्रयास तो सिर्फ एक उदाहरण है। देश के विभिन्न इलाकों में 'पीपुल्स एक्शन फार डवलेपमेंट' (पाडी) की मदद से बहुत-से परियोजनाएं चली थीं जिनमें गांववासियों ने खुद मिल-जुल कर अपनी तरक्की के लिए प्रयास किए। ट्यूबवैल, ट्रैक्टर, गोदाम, सड़कें, सब में साझेदारी की। उन्होंने केवल समस्याओं पर चटखारे लेकर आलोचना या बहस करना ही उचित नहीं समझा बल्कि अपने सद्-प्रयासों से मूर्खतापूर्ण पूर्वाग्रहों को जड़ से उखाड़ फेंका। गरीबी, दुख और अज्ञान के अंधेरों को दूर किया। समय के साथ-साथ आगे बढ़े और पुराने मूल्यों को नए आलोक में परख कर पुनर्स्थापित किया। यही ग्रामीण भारत के लिए आवश्यक है जो गांवों का समग्र विकास करने में भी सक्षम है।

एच-88, शास्त्री नगर,
मेरठ (उ. प्र.)

ग्रामीण विकास एवं प्रशासनिक समस्याएं

डा. अभय कुमार

भारतीय अर्थव्यवस्था की मौलिक समस्या उसका तीव्र गति से आर्थिक विकास करने की है। आर्थिक विकास से आशय सभी लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध करवाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आजादी मिलने के बाद भारत में योजनाबद्ध ढंग-से विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की नींव रखी गई। अब तक सात पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इस दौरान देश ने चहुंमुखी प्रगति की है किन्तु अनेक मामलों में हम अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं।

भारत में आर्थिक विकास का आधार ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर आश्रित है। इसी क्षेत्र में उन सब परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। पिछले चालीस वर्षों में ग्रामीण विकास योजनाओं को नियोजन में प्रमुखता दी जाती रही है। लेकिन यह भी सच है कि नियोजन काल में शहरीकरण को बढ़ावा मिला है जिससे बड़ी संख्या में लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। भारत की लगभग तीन-चौथाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। श्रम-शक्ति का एक बड़ा भाग गांवों में ही निवास करता है। राष्ट्रीय आय में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत है। निर्यातित वस्तुओं में एक-चौथाई हिस्सा कृषि क्षेत्र का है और कृषि ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है। भारत में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय में ग्रामीण क्षेत्र का योगदान 46 प्रतिशत आंका गया है। ये सब बातें भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की महत्ता को दर्शाती हैं। वे क्षेत्र जो शहरी सीमा से बाहर होते हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिकाओं एवं नोटिफाइड समितियों के सीमा क्षेत्र में नहीं आते।

ग्रामीण विकास से अभिप्राय है—"ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित बनाना।" यह एक ऐसी व्यूह रचना है जो लोगों के एक विशिष्ट समूह—निर्धन ग्रामीण—के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए बनाई गई। इसमें विकास के लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-यापन की तलाश में लगे निर्धनतम लोगों तक पहुंचाना है। इस तरह ग्रामीण विकास एक त्रि-दिशायी कार्यक्रम है—

1. यह एक विधि है जिसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को शामिल किया जाता है।
2. यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परम्परागत ग्रामीण संस्कृति को विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है।
3. यह एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता में सुधार किए जाते हैं।

पिछले चार दशकों में ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम इत्यादि चलाये गए किन्तु इनका पूरा लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया है। शायद इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ कमी रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं जिनमें प्रशासनिक समस्याएं भी अधिक उत्तरदायी रही हैं। हमारे योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से सीधा संबंध रखता है। उन्नत कृषि तकनीकें, सिंचाई की सुविधाएं, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलापूर्ति, लघु एवं कुटीर उद्योग, परिवहन साधन, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि ऐसे कार्यक्रम हैं जो गांवों के आर्थिक विकास का मुख्य आधार माने जाते हैं। इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन गांवों में ग्रामीणों के सहयोग से ही संभव है।

अभी तक देश में ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम बने हैं उनके कार्यान्वयन और प्रबन्ध की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र की ही रही है। हालांकि 1959 के बाद पंचायती राज के प्रादुर्भाव से पंचायती राज संस्थाओं को भी विकास कार्यक्रमों में

भाग लेने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। कुछ वर्षों बाद इन संस्थाओं की स्थिति बड़ी नाजुक-सी हो गई। पिछले वर्ष पुनः इन संस्थाओं की मजबूती हेतु संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई और जवाहर रोजगार योजना को इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया गया। इस तरह ग्रामीण प्रशासन को दो ओर से जिम्मेदारी निभानी होती है। एक ओर तो उन्हें अपने विभाग के नियमों-कानूनों को अपनाना होता है दूसरी ओर उन्हें स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है।

इस तरह गांवों में विकास प्रशासन का ढांचा दो स्तरों पर रहा है—एक में पटवारी, ग्राम सेवक, शिक्षक, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, चिकित्सक, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार, एस. डी. एम., विकास अधिकारी, शिक्षा, कृषि, सहकारिता, प्रसार अधिकारी, जिलाधीश आदि विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं वहीं दूसरी ओर पंचयती राज के प्रतिनिधि पंच, सरपंच, प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला प्रमुख आदि विकास कार्यों में रुचि दिखाते हैं। जिला प्रशासन प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। इनमें से अधिकांश शहरी क्षेत्रों से आते हैं जिनके अभिभावक शहरी क्षेत्रों में उच्च पदस्थ सेवाओं में संलग्न होते हैं जिसके कारण इन अधिकारियों का गांवों में प्रायः मन नहीं लगता और इस सेवा के अधिकारी प्रायः अच्छे विकासात्मक प्रशासक नहीं होते। यद्यपि जिला प्रशासन को पर्याप्त अधिकार प्राप्त होते हैं किन्तु उसे पूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। यह बहुत जरूरी है कि निचले स्तर पर लोगों का इनसे संबंध बना रहे। प्रशासकों को व्यवहार तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उनमें समूह भावना एवं समन्वय की भावना विकसित हो।

ग्राम विकास प्रशासन में खण्ड विकास अधिकारी प्रमुख व्यक्ति होता है। उसके कार्य क्षेत्र का आधार बहुत स्पष्ट नहीं है। विकास खण्ड को विकास इकाई मान लिया जाता है। गांव मूल इकाई होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों एवं समूहों के मध्य टकराव एवं अविश्वास की स्थिति पाई जाती है। इन सबके बीच खण्ड विकास अधिकारी को कार्य करना होता है। दूसरे पंचायती राज संस्थाओं को भी प्रशासन में हिस्सा बंटाना होता है। योजना के अनुरूप प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में जिलाधीश प्रायः योजना समिति के प्रधान होते हैं। इन पर विभिन्न राज्यों में नौकरशाही का दोहरा अथवा तिहरा नियंत्रण पाया जाता है। अतः विकेन्द्रीयकरण नाममात्र को रह जाता है, शक्तियां एवं उत्तरदायित्व केन्द्रित ही रहते हैं। विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों में समन्वयन न होना सबसे बड़ी समस्या है। विकास के लिए तकनीकी अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों के मध्य समन्वय आवश्यक है। जिला स्तर पर जिलाधीश तकनीकी अधिकारियों का जिलाध्यक्ष होता है किन्तु खण्ड विकास अधिकारी की शक्तियां एवं अधिकार नियंत्रित रहते हैं जिसके कारण वह न तो अपने पूरे स्टाफ पर नियंत्रण रख पाता है और न ही साधनों, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं की संतुष्टि आदि में समन्वय ही रख पाने में समर्थ हो पाता है। दूसरे राजनीतिक दबाव, नियोजन में सहभागिता का अभाव, प्रशासनिक पहल का अभाव, कार्यों के बारे में प्रशंसा न मिलना तथा उन्नति के अवसरों के अभाव से भी निराशा होती है। जिलाधीश को तो अधिक अधिकार होने से सहयोग मिल जाता है किन्तु खण्ड विकास अधिकारी को अन्य विभागों से सहयोग नहीं मिल पाता। ग्राम सेवक के पास भी इतने अधिक कार्य होते हैं कि वह संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर पाता। ग्राम सेवक और प्रसार अधिकारी ग्रामीण अभिरुचि लिए हुए शिक्षित, परिपक्व एवं कृषि विभाग से चयनित कर्मचारी अच्छा कार्य कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उचित प्रेरणा की आवश्यकता होती है जिन्हें खण्ड विकास अधिकारी देने में असमर्थ होता है।

एक बात और कि आज तीन तरह के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है—जिनकी नियुक्ति होती है या पदोन्नति होती है या दण्ड के तौर पर। इस तरह इन लोगों की गांवों के विकास में कोई रुचि नहीं होती। उन्हें यहां की संस्कृति, समस्याओं, विशेषताओं का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता किन्तु गांवों में रहने पर जब उनको परेशानियां होती हैं तो वे नियुक्ति के थोड़े समय बाद ही अपना स्थानांतरण अन्यत्र कराने के प्रयास में लग जाते हैं जिसके फलस्वरूप परियोजनाओं के उचित क्रियान्वयन में कई तरह की बाधाएं उपस्थित होती हैं। डाक्टर गांवों में जाना नहीं चाहते तथा आवास और शहरी सुख-सुविधा की अनुपलब्धता के कारण अध्यापक गांव में रुकना नहीं चाहते। तो फिर गांवों का विकास कैसे हो? गांवों में अस्पताल हैं तो डाक्टर नदारद रहते हैं और स्कूल हैं तो शिक्षक नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है कि शहरी लोगों की प्रथम नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से की जाए तथा कम-से-कम पांच वर्ष वहां सेवा करना अनिवार्य किया जाए। शिक्षकों को चयन के पश्चात गांवों में रहना एवं सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में एक प्रावधान यह भी रखा जाए कि कर्मचारी ने एक निश्चित सेवा अवधि गांव में पूरी कर ली है या नहीं।

(शेष पृष्ठ 35 पर)

ग्रामीण विकास की समस्यायें एवं सुझाव

डा. एन. एस. बिष्ट,
एम. सी. सती

भारत में ग्रामीण विकास का प्रारम्भ 1920 में रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा किए गए प्रयासों से प्रारम्भ माना जा सकता है। वास्तव में स्वतंत्र भारत में ग्रामीण विकास के लिए प्रथम प्रयास सामुदायिक विकास परियोजना (1952) ही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में ग्रामीणों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना, रोजगार को बढ़ावा देना तथा ग्रामीणों के सहयोग से उनके रहन-सहन तथा जीवन-स्तर में वृद्धि करना, रखा गया था। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परावादी कृषि को आधुनिक कृषि में बदलने का प्रयास करके खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस परियोजना का उद्देश्य रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करके रोजगार तथा अतिरिक्त आय जुटाने का प्रयास किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास कार्यों में यह परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करती रही तथा इस परियोजना की सफलता विश्व के पिछड़े देशों में अग्रणीय मानी गई किन्तु तत्पश्चात इस परियोजना को भारत की योजनाओं में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया। सामुदायिक विकास परियोजना को पीछे छोड़कर विभिन्न नई योजनायें केन्द्र सरकार द्वारा छोटी-छोटी परियोजनाओं के रूप में प्रारम्भ की गई, जो आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रानुसार महत्वपूर्ण मानकर प्रारम्भ की गई। इनमें प्रमुखतः सघन कृषि जिला कार्यक्रम (1960), पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (1962), ट्राइबल एरिया डवलपमेंट कार्यक्रम (1964), संघन कृषि कार्यक्रम (1969), सघन क्षेत्र विकास परियोजना (1965), लघु कृषक विकास अभिकरण (1969), सीमान्त कृषक व कृषि श्रमिक अभिकरण (1969), सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (1971), रोजगार गारण्टी परियोजना (1972), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (1974), बीस सूत्रीय कार्यक्रम (1976), काम के बदले अनाज कार्यक्रम (1977), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (1977), समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (1978), ट्रायसेम (1979), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (1983), आदि विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए। विगत वर्ष (1988-89) से जवाहर रोजगार योजना के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रमों को मिलाकर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

समस्याएं

इन विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता तथा विफलताओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में किए गए प्रयास तदर्थ रूप से प्रारम्भ किए गए, जिनके परिणाम समस्याओं के रूप में प्रखर हुए हैं अतः इन समस्याओं का अध्ययन आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार निम्न प्रकार किया जा रहा है–

प्राथमिक क्षेत्र की समस्या–प्राथमिक क्षेत्र की समस्या भारतीय ग्रामीण विकास की प्रमुख समस्या है। जिसमें विशेष रूप से कृषि की जटिल समस्यायें हैं। कृषि का राष्ट्रीय आय में 37 प्रतिशत (1985-86) है। विश्व विकास रिपोर्ट (1988) के अनुसार 1986 में कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 32 प्रतिशत था, जबकि कृषि क्षेत्र से भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन निर्वाह हो रहा है। योजना आयोग के अनुसार कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान 37 प्रतिशत है। विगत दशकों में कृषि विकास प्रयासों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी जोत वाले कृषकों तक सीमित रहा है, जबकि छोटे तथा सीमान्त कृषकों को जो गांवों की बहुसंख्यक जनसंख्या है, आज भी आधुनिक कृषि उत्पादन वृद्धि के आदायों से वंचित हैं। कृषि में उपविभाजन एवं विखण्डन इतना बढ़ गया है कि प्रति कृषक के पास 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि रह गई है। परिणामस्वरूप ग्रामीण कृषक या तो कृषि श्रमिक बनने पर मजबूर हो गए हैं या फिर बंधुआ मजदूर।

ग्रामीण कृषि कार्य में कृषि आदायों की भारी कमी है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों तथा नवीन कृषि यंत्रों का प्रयोग असिंचित भूमि में लगभग नगण्य है। शुष्क कृषि को बढ़ावा देने की समस्या का हल अभी परीक्षण के रूप में चल रहा है। भूमि सुधार की समस्या का हल नहीं हो पाया है। जब तक कृषि क्षेत्र में उपर्युक्त कमियां बनी रहेंगी, तब तक ग्रामीण तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए

नई प्राविधियों का समावेश तथा प्रचार कठिन ही नहीं अपितु स्वप्नवत् बना रहेगा।

ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की समस्यायें—भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को कृषि विकास के साथ-साथ पूरक समन्वित कार्यक्रम के रूप में नहीं अपनाया गया। नियोजन के विगत 40 वर्षों में भारी एवं वृहद उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। परिणामस्वरूप असंगठित क्षेत्र के ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। विगत दशकों में इन उद्योगों की उत्पादन इकाइयों में उल्लेखनीय कमी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये उद्योग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लोगों द्वारा चलाये जाते थे परन्तु सामाजिक कुप्रथाओं तथा दुर्भावनाओं ने इन उद्योगों को बुरी तरह से कुचल दिया। ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की भारी हानि के कारण भारतीय ग्राम्य जीवन के आर्थिक आय के साधन को गहरा आघात पहुंचा।

वर्तमान समय में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का स्वरूप नई मांगों तथा प्रगति के अनुरूप बनाने के लिए अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया है, परन्तु इन उद्योगों के नाम पर लिए जा रहे ऋण तथा उपदान का चरम स्तर पर दुरुपयोग होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गरीबी का दुष्चक्र गहराता जा रहा है। इन उद्योगों में पूंजी निवेश असंतोषजनक नहीं है। ग्रामीण विकास योजनाएं मात्र कागजों पर गांधीजी का ग्राम विकास का सपना पूरा कर रही हैं। इस समस्या का निदान भारतीय ग्राम्य विकास कार्यक्रमों के नियंत्रण से बाहर हो चुका है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लगभग 1% लाभग्रहियों ने ऋण व राजकीय अनुदान का सदुपयोग किया है।

ग्रामीण रोजगार की समस्या—ग्रामीण रोजगार की समस्या भारतीय ग्रामीण विकास में अवरोधक बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की नितान्त कमी है। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण कृषकों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कृषक मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी के दुष्चक्र से घिरा रहता है। औद्योगीकरण की अन्धी दौड़ एवं केन्द्रीयकरण की नीति ने ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का पतन कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण कृषक अपने आप को बेरोजगारी से घिरा पाकर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में पलायन कर देता है। पलायन की इस गम्भीर समस्या से ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। दूसरी ओर बड़े-बड़े नगरों में झुग्गी-झोपड़ियों की समस्या कुकुरमुत्ता की तरह बढ़ रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के नाम पर विगत वर्षों में राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए, जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना प्रमुख हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उपर्युक्त परियोजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी में वास्तविक कमी आई है। वर्तमान में रोजगार के अवसर को संविधान के मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ने की चर्चायें जोरों पर हैं, परन्तु क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार की स्थिति आ सकेगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने का समय न राष्ट्रीय योजनाओं के पास है और न सरकार के पास, किन्तु समय आ गया है कि सही उत्तर की खोज करनी ही होगी। यह खोज भारत के ग्रामों में करनी होगी न कि शहरों में और न बड़े उद्योगों में।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समस्या—ग्रामीण विकास के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न होने के कारण भारतीय ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास के लिए मात्र कार्यक्रमों का बनाया जाना ही ग्रामीण विकास की समस्या का समाधान नहीं है। अपितु ग्रामीण विकास योजनाओं में योजना के कार्यान्वयन के संबंध में समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण आदि कार्य उचित समय पर किए जाने अति आवश्यक हैं। अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए कितने भी कार्यक्रम लागू किए जाएं, ग्रामीणों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया जा सकता। विगत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की असफलता का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि उच्च अधिकारियों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया। परिणामस्वरूप योजनाएं अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं।

ग्रामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों के नियोजन की समस्या—ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी नहीं है, परन्तु समस्या उनके नियोजित विदोहन की है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान नियोजन का जो स्वरूप अपनाया जा रहा है, वह क्षेत्रीय भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियोजन का विकेन्द्रीकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास में समस्याओं का अंबार लगता रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या की भारी वृद्धि के कारण वनों की कमी, ईंधन की कमी, पशुचारे की कमी तथा वातावरण-प्रदूषण की समस्या

उत्पन्न हो रही है जो चुनौती के रूप में प्रखर होती जा रही है एवं भारतीय ग्रामीण विकास पर प्रश्न चिह्न लगा रही है।

अन्य समस्याएं—उपर्युक्त ग्रामीण विकास की समस्याओं के अतिरिक्त अनेकों समस्याएं हैं जो भारतीय ग्रामीण विकास की विफलता के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें एक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अत्यधिक न्यून है। ग्रामीण अशिक्षित, भाग्यवादी तथा परम्परावादी दृष्टिकोण से ग्रसित हैं, जो किसी भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने में असमर्थ हैं। मात्र ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के संचालकों पर ही दोषारोपण करना न्यायोचित एवं तर्क संगत नहीं है। जब तक ग्रामीणों एवं कार्यक्रम संचालकों के मध्य समन्वय नहीं होगा, तब तक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलता स्वप्नवत् बनी रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि सुविधाओं की भारी कमी है, जो ग्रामीण विकास के लिए हानिकारक तथा ग्रामीण विकास अवरोधक सिद्ध हो रही हैं। विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम ग्राम्य विकास की समस्याओं के निदान के लिए परीक्षण के रूप में संचालित की जा रही हैं, परन्तु कार्यक्रमों की त्रुटियों को दूर करने की अपेक्षा नई परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं एवं पुरानी योजनाएं समाप्त की जा रही हैं। पिछली सात योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए अपनाए गए अनेक कार्यक्रम इसके साक्षी हैं परन्तु क्या इस प्रकार के परीक्षण अनन्त काल तक चलते रहेंगे। इस समस्या का समाधान नियोजन पोथियों में ढूंढ़कर नहीं मिल सकता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगन, विश्वास, ईमानदारी तथा निष्ठा की भावना से कार्य करने में है।

समाधान

ग्रामीण विकास की समस्याओं के निदान के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध होंगे :

कृषि के अन्तर्गत आने वाली समस्याओं के निदान के लिए यह अति आवश्यक है कि ग्रामीण कृषि भूमि सीमा को लागू किया जाए। भूमि अतिरेक का न्यायोचित वितरण किया जाए। भूमि जोतों के राजस्व स्रोतों को सही किया जाए। ग्राम स्तर पर कृषकों के लिए उत्पादन कार्यक्रम तैयार किए जाएं। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए तथा कृषि को समृद्ध करने के लिए ग्रामीण सिंचाई के साधनों को विकसित करने हेतु जल स्रोतों का सर्वेक्षण कर नहरों एवं गूलों का निर्माण किया जाए। ग्रामों में पम्पिंग सैटों का विस्तारण किया जाए। कृषि में प्रयुक्त होने वाली परम्परागत तकनीक एवं यंत्रों की अपेक्षा आधुनिक तकनीक एवं यंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नतशील बीजों एवं उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग किया जाए।

ग्रामीण संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की पुनर्स्थापना नितान्त आवश्यक है। इन उद्योगों को विकसित करने के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता का दुष्चक्र भेदा जा सकता है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए ग्रामीण जनसंख्या के मानक आधार पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए, जो इन उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए दीर्घकालीन वित्त आसान दरों पर उपलब्ध करा सकें। ग्रामीण रोजगार की स्थाई संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाए। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, निर्बल वर्ग तथा अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग के कम-से-कम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को पूर्ण रोजगार की गारण्टी दी जाए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावशाली तथा क्रियाशील बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में योजना संचालकों को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सफलताओं तथा असफलताओं का मूल्यांकन समयानुसार करके संबंधित उच्च-स्तरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाना चाहिए। मूल्यांकन का कार्य प्रत्येक क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के अर्थशास्त्र विभागों द्वारा कराया जाए, मूल्यांकन में पाई कमियों को तुरन्त दूर करने के प्रयासों को कड़ाई से लागू कराया जाए जिससे भविष्य में अपनाए जाने वाले नए कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जा सके। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सच्चे, कर्मठ तथा ईमानदार अधिकारियों एवं जन सेवकों के सहयोग की आवश्यकता है। अन्यथा इन कार्यक्रमों की सफलता की बात केवल मृगतृष्णा साबित होगी।

ग्रामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों का नियोजन विदेशी पदचिह्नों पर न करके गांधीजी के ग्रामीण विकास विचारों के आधार पर ग्रामीण उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, वित्तीय संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों के अनुरूप किया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास नियोजन परिवार स्तर से ग्राम स्तर, ग्राम स्तर से ग्राम सभा स्तर, ग्राम सभा स्तर से क्षेत्र स्तर, क्षेत्र स्तर से जिला स्तर, जिला स्तर से राज्य स्तर और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाना आवश्यक है, जिससे राष्ट्र के

प्रत्येक परिवार, ग्राम, क्षेत्र, जिला तथा राज्य की सभी प्रकार की असमानताओं एवं समस्याओं का समाधान करने में सफलता मिल सकती है। यद्यपि यह कार्य कठिन है, किन्तु असंभव नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए भारी मात्रा में इन सुविधाओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण शिक्षा के लिए ग्रामों से निर्धारित दूरी पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कोरे कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक धरातल पर अपनाया जाना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधाओं का विस्तारण किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान का संक्षिप्त सार यह है कि ग्रामीण विकास की समस्याओं का प्राथमिक सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण के समय ग्रामीणों की आवश्यकताओं, आय के साधनों, व्यय के तरीकों एवं मदों, भविष्य की योजनाओं, पूंजी निवेश क्षमता, कृषि भूमि, पशुपालन, उद्यान, कुटीर उद्योग, ग्रामीण रोजगार की प्रकृति, व्यापार, सेवा, ग्रामीण जनसंख्या प्राकृतिक संसाधन आदि का आंकलन करके ग्रामीण आर्थिक 'कार्यक्रमों की टोकरी' का निर्माण कर ग्रामीण समस्याओं की वास्तविक पहचान की जाए तथा उनका वास्तविक हल ढूंढा जाए यदि सत्य निष्ठा से ग्रामीण विकास करके ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर में सुधार करना है तो गांधीजी की त्याग, तपस्या तथा नैतिकता का अनुशरण कर सच्चा कर्मयोगी बनने का प्रयास निश्चित रूप से करना होगा। ठाकुर रवीन्द्रनाथ टैगोर का आह्वान इस संदर्भ में स्मरणीय है—''ग्रामों की ओर वापिस आओ।'' जब तक भारतीय बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय नेतृत्व ग्रामों की ओर नहीं लौटेंगे तब तक ग्राम्य विकास संभव नहीं होगा क्योंकि विदेशों में शिक्षित अधिकारी, नियोजन आज तक ग्रामों की ओर नहीं लौटे यही ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी समस्या है और इसका निदान लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के साथ विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली में निहित है, जो वर्तमान ग्रामीण विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अत्यावश्यक है।

विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र एवं
संकायाध्यक्ष (कला संकाय)
हे. न. ब., गढ़वाल विश्वविद्यालय
श्रीनगर (गढ़वाल) 246174

(पृष्ठ 31 का शेष)

विकास प्रशासन की मुख्य समस्याएं प्रबन्ध एवं मनोवृत्ति से संबंध रखती हैं। निचले स्तर से नियोजन केवल कागजों पर है, व्यवहार में नियोजन ऊपर से ही चलता है। विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन का कार्य केवल सूचनाएं एकत्र करने तक सीमित रह जाता है। कर्मचारी ग्रामोन्मुखी हों इसके लिए उन्हें कार्य पर भेजने से पूर्व विभागीय प्रशिक्षण के साथ ही जनसम्पर्क का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इसके लिए गांवों की संस्कृति, परम्पराओं, रीतिरिवाजों आदि की जानकारी गांवों में कार्य करने में लोगों को काफी मददगार होगी।

अन्तिम बात, केवल सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ही नीतियों के प्रति निष्ठा से कार्य नहीं करते, ऐसा नहीं है बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधि भी समाज के उच्च वर्ग से ही आते हैं। यहां तक कि ग्राम पंचायतों में भी ग्रामीण उच्च वर्ग, मध्यम स्तरीय किसान और वृद्ध लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्तर निम्न होता है और वे अपने मूल उद्देश्यों के प्रति समर्पित भी नहीं होते। अपने निहित स्वार्थ के कारण उन नीतियों को ये लोग कार्यान्वित होने नहीं देते जो उनके लिए जरा-सी भी कष्टदायक होती हैं। कभी-कभी तो राजनेता और प्रशासक उन निहित स्वार्थों के कारण एक भी हो जाते हैं या नाराज भी हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियां गांवों के विकास में रुकावट पैदा करती हैं। इस तरह जब तक प्रशासकों और राजनीतिक नेतृत्व की गांवों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता नहीं होगी तब तक हमारे गांवों की मौलिक संरचना में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं है। योजनाओं में लोगों की सहभागिता होने के साथ ही जागरुकता ही गांवों में विकास की गति को तीव्र कर सकती है।

विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण प्रशासन पर नये सिरे से ध्यान देने की महती आवश्यकता है। ग्रामीण प्रशासन जितना अधिक सक्रिय और संवेदनशील होगा, उतनी ही तीव्रता से हमारी विकास योजनाएं सफल हो सकेंगी। इसके साथ ही ग्राम विकास में जनसहभागिता ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की एक महती आवश्यकता है।

15, मानवेन्द्र नगर,
ऋषिकेश (उ. प्र.)

आह्वान कर रहे हैं ग्रामीण बैंक 'चलो गांव की ओर'

केवल आनन्द जोशी

आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल योजना व्यय का आधा यानि 50% ग्रामीण विकास की प्रक्रियाओं पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। चूंकि गांवों के विकास में ही भारत का विकास निहित है। यह सत्य है कि गांव भारत की आत्मा है। स्वतंत्रता के उपरान्त सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामों का विकास भारत के योजनाबद्ध विकास की प्रमुखता लिए रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ही विकास की किरणें अधिकांश ग्रामों तक पहुंची हैं। मैदानी ग्रामों की अपेक्षा पर्वतीय प्रदेशों पर ग्राम विकास उतना सार्थक नहीं हो सका फिर भी बिजली, पानी, पोस्ट आफिस, बैंक आदि जैसी सुविधाएं अब उपेक्षित क्षेत्रों तक अपना कदम बढ़ा रही हैं। आज के वर्षों तक गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, बैंकिंग सुविधाएं बढ़ी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या से आज गांवों में इन सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है किन्तु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि गांवों का अपेक्षित विकास अभी तक भी नहीं हो पाया है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य गांवों का बहुमुखी व सर्वांगीण विकास करना है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगति सम्मिलित है।

चूंकि भारतीय ग्रामीण कई आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के भंवरजाल में फंसे हुए हैं। गरीबी, बेरोजगार, निरक्षरता, अज्ञानता, ऋण-ग्रस्तता, शोषणयुक्त जीवन व भाग्यवादिता हमारे ग्रामीणों की नियति ही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास एक चुनौती भरा व भागीरथ कार्य है। ग्रामीण विकास कृषि विकास पर निर्भर करता है। भारतीय कृषकों की सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, प्रथम, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है जो कि अनिश्चित व अनियमित है तथा जिसमें भारतीय किसानों को भाग्यवादी बना दिया है। द्वितीय, भारतीय किसान ऋण-ग्रस्त बना दिया है। शाही कृषि आयोग ने इस समस्या की यथार्थता को इस प्रकार स्पष्ट किया कि भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है, ऋण में ही मर जाता है और अपने परिजनों के लिए ऋण छोड़ जाता है।

बैंकों का राष्ट्रीय विकास में वांछित सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने के दृष्टिकोण से 1969 को भारत सरकार ने 14 व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के प्रभावी उत्प्रेरक एजेंट के रूप में उभरे हैं एवं सामाजिक बैंकिंग विचारधारा विकसित हुई है। इन बैंकों ने देश के औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु इनका कार्य शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रह सका। बैंकिंग आयोग 1972 ने इस समस्या के समाधान तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लघु कृषकों, लघु व्यापारियों, दस्तकारों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता देने हेतु ग्रामीण बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया। इस सुझाव के आधार पर 26 सितम्बर 1973 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' अध्यादेश 1975 पारित किया गया। इस अध्यादेश के आधार पर 2 अक्तूबर 1975 को गांधी जयंती के सुअवसर पर देश के चार राज्यों में पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जिसमें राजस्थान का जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक भी सम्मिलित था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारे देश के ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण बैंकों का प्रथम उद्देश्य ग्रामीण विकास हेतु कृषि व सम्बद्ध व्यवसाय, लघु एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण दस्तकारों, कारीगरों, स्वनियोजित व्यक्तियों, लघु व्यापारी वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। द्वितीय सहकारी संस्थाओं से स्थानीय भाषा व समस्याएं, व्यवसायिक बैंकों के अनुभव से आधुनिक बैंकिंग पद्धति एवं व्यवहार दोनों का सममिश्रण करके ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त बैंकिंग सुविधा प्रदान करना तथा तृतीय उद्देश्य यह था कि बैंकों के माध्यम से सामाजिक विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण लोगों का सामाजिक विकास।

ग्रामीण बैंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उन सब कार्यों को सम्पादित करते हैं जिन्हें वाणिज्य बैंक कहते हैं। उदाहरणार्थ वे विभिन्न खातों के माध्यम से जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, ग्राहक के एजेन्ट के रूप में कार्य करते हैं तथा उन्हें 'लाकर' जैसी सुविधाएं प्रदान करते

हैं। इन बैंकों के द्वारा सामान्यतः उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण दिए जाते हैं, परन्तु कुछ परिस्थितियों में गैर-उत्पादक कार्य हेतु भी ऋण स्वीकृत किए जा सकते हैं।

चूंकि ग्रामीण बैंकों की स्थापना का आधार बैंकों का समाजोन्मुखी बनाना था, अर्थात देश की बुनियादी, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान में बैंकों को अधिकृत प्रेरक एजेन्ट के रूप में कार्य करना है। ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों ने अपना बैंक मानकर खुले दिल से स्वीकार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना गरीबों व कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु की गई है। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाएं व दिशाएं दी हैं। इन योजनाओं में गरीब व कमजोर वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व ग्रामीण बैंकों ने निभाया है। अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में कार्यरत समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास सम्बंधी कार्यों में सरकारी एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करते हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनके सदप्रयासों से ग्रामीण जनता में नवचेतना का संचार हो रहा है।

ग्रामीण बैंकों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों में विशेषकर ग्रामीणों में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि करके उनके विकास में सहयोग देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रामीण बैंकों ने ग्रामीण लोगों का कितना विश्वास अर्जित किया है जो कि ग्रामीण शोषण के शिकार रहे हैं। वे निर्धन, अशिक्षित, संकोची व भाग्यवादी हैं। साथ ही कई सामाजिक आर्थिक कुरीतियों में जकड़े रहते हैं। आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से भी पिछड़ापन अधिक है। गांवों की भौगोलिक स्थिति भी प्रतिकूल व कष्टदायक होती है। ग्रामीणों में उद्यम प्रवृति भी कमजोर ही होती है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण बैंकों की अपने उद्देश्य में सफलता तभी संभव है, जब उनका ग्रामीण लोगों से निकटस्थ सम्पर्क हो एवं उनमें ग्रामीणों के प्रति अपनापन व अपनत्व की भावना हों। ग्रामीणों की समस्याओं से पूरी तरह से अवगत हों एवं समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। बैंक कर्मचारी ग्रामीण संस्कृति, भाषा व वेशभूषा से स्नेह रखते हों।

ऋणग्रस्तता ग्रामीणों की एक जड़ समस्या है जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। यह एक ऐसा कुचक्र है, जिसमें से निकलना सरल कार्य नहीं है। ऋणग्रस्त व्यक्ति ग्रामीण जमींदारों, साहूकारों व महाजनों का बंधक मात्र बनकर रह जाता है। साहूकार व जमींदार आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक दृष्टिकोण से तो प्रभावी होते ही हैं, साथ ही शोषण करना उनका पुश्तैनी धंधा बन जाता है। निर्धन ग्रामीण इनके चंगुल से नहीं निकल पाता, चूंकि अन्यत्र उसे सहारा नहीं दिखता। ग्रामीण बैंकों के लिए यह एक चुनौती भरा कार्य है कि वे ऐसे गरीब व निर्धन व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उत्पादक, उत्पादकता व उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठायें साथ ही उन्हें शोषण से मुक्ति पाने का सु-अवसर प्रदान करें। यह कार्य वे ही बैंक कर्मचारी कर सकते हैं, जिनका दृष्टिकोण समाजोन्मुखी हो। ग्रामीण बैंक कर्मचारियों को इसी प्रकार का शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्रामीण बैंकों में इन समस्याओं को समझने वाले और संवेदनशील दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए। इन बैंकों में स्थानीय लोगों की नियुक्ति को तरजीह देनी होगी, ताकि पढ़े-लिखे लोग गांवों में ही रोजगार पा सकें।

ऋण देना ही पर्याप्त नहीं है अपितु ऋण सुविधाएं देने से प्राप्तकर्ता के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। शाखा प्रबंधक को चाहिए कि सप्ताह में नियमित रूप से एक दिन बिना काम-काज का माना जाये तथा उस दिन शाखा प्रबंधक उसे केवल जमा राशियां जुटाने, ऋण के उपयोग पर निगरानी रखने, ऋण की वसूली तथा उधारकर्ता को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने जैसे विकास के कार्य के लिए और अपने वर्तमान व भावी ग्राहकों से क्षेत्र में जाकर सम्पर्क करने के लिए उचित उपयोग और उसकी वापसी में भी सहायक होगा। ग्रामीण व्यक्ति कठोर परिश्रमी व धैर्यवान होता है।

बैंक कर्मचारी निकटस्थ संपर्क द्वारा उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर उनके आत्मविश्वास व मनोबल को ऊंचा उठा सकते हैं। इन बैंकों को ऋणों की वसूली पर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। सामाजिक सेवा एवं व्यावसायिक सुरक्षा तथा लाभदायकता के बीच समन्वय स्थापित करना निहायत आवश्यक है। बैंक के उच्चाधिकारियों को महीने में एक बार प्रत्येक शाखा पर जाकर वहां की जनता की शिकायतों को स्वयं सुनना चाहिए एवं भ्रष्ट, लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत व परिवेदनाओं को लिख सकें। इन शिकायतों का उचित समय में उचित निदान करके शिकायतकर्ता को सूचित करना चाहिए ताकि ग्राहकों का बैंक से रचनात्मक सहयोग व सम्पर्क बना रहे।

ग्रामीण बैंक लाये गांवों में एक नई भोर।
शहरों में अब क्या रखा है, चलो गांव की ओर।।

सेक्टर-7/289,
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली

पसीने की कमाई

प्रभुनाथ सिंह 'प्रजेश'

गोबरी का पैर छूकर सीताराम बोला, "मेरा बैल गुजर गया मालिक! अब नया बैल खरीदना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे दो हजार रुपये कर्ज दे दीजिए। गन्ना बेचकर आप का रुपया वापस कर दूंगा।"

गन्ने का नाम सुनते ही गोबरी के मुंह में पानी आ गया। वह सुर्ती थूककर बोला, "देखो सीताराम, जमाना बहुत खराब है। तुम अपना गन्ना वाला पूरा खेत मुझे रेहन पर दे दो, तभी कर्ज मिल पाएगा।"

"नहीं, ऐसा न कहिए मालिक!"—सीताराम गोबरी के पैर पर गिर पड़ा, "हम पर दया कीजिए, गन्ना वाला खेत न लीजिए मालिक! उसमें मैंने दो हजार रुपये की लगान लगायी है।"

परन्तु गोबरी पर सीताराम के रोने-गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह टस-से-मस नहीं हुआ। तब सीताराम अपना सिर थामकर बैठ गया। और काफी सोच-विचार के बाद मजबूरन उसे अपना खेत रेहन रखना पड़ा।

कर्ज लेकर सीताराम बैल खरीद लाया। तब तक उसका छोटा बेटा भी स्कूल से पढ़कर घर वापस आ गया था। खूंटे पर नया बैल बंधा हुआ देखकर बाप से पूछा, "दादा, मैंने सुना है कि आप गन्ने वाला खेत फसल सहित रेहन पर रखकर बैल लाये हैं? अब घर का और खर्च कैसे चलेगा?"

अचानक बेटे से ऐसा सवाल सुनकर सीताराम कुछ देर तक सोच में पड़ गया। फिर अंगोछे से मुंह पोंछकर बोला, "रुपया हमारे पास था बेटा, उसी से बैल लाया हूं।"

"मुझसे आप झूठ बोल रहे हैं दादा?"—बेटा बाप की ओर देखकर फिर बोला, "आपने तो मुझसे कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। फिर आप खुद क्यों झूठ बोल रहे हैं दादा?"

सीताराम मन ही मन शर्मिन्दा हो गया। लज्जा से उसका चेहरा उतर गया। मन की पीड़ा मन में ही दबाकर बोला, "मुझसे गलती हो गई बेटा। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जो हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। बैल खरीदना बहुत जरूरी था, अब तुम्हारी फीस का भी इन्तजाम हो जाएगा।"

"हमारी फीस की चिन्ता न करिये दादा!" लड़का फिर बोला, "अम्मा मुझे रोजाना जो पच्चीस पैसे बिस्कुट खाने के लिए देती थीं, उस पैसे को बचाकर मैंने अपनी फीस स्कूल में दे दी है आज प्रिंसिपल साहब ने मेरी पढ़ाई और ईमानदारी पर खुश होकर मुझे इनाम भी दिया है।

सीताराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बेटे को अपनी छाती से चिपकाकर भरे गले से बोला, "वाह मेरे मुन्ना! तुम्हीं तो एक हमारे कुल के चिराग हो बेटा! इसी तरह से खूब मन लगाकर पढ़ोगे तो जीवन के हर इम्तहान में अव्वल पास होते रहोगे बेटा।"

पुत्र के चेहरे पर रौनक आ गई। वह छाती फुलाकर कहने लगा, "आप के पसीने की कमाई को मैं बरबाद नहीं होने दूंगा दादा। मैं पढ़-लिखकर विद्वान बनूंगा और अपने देश की तरक्की में हाथ बंटाऊंगा।"

"वाह भाई! वाह! इसी को कहते हैं कि बाढ़ें पूत पिता के धरमा, खेती उपजै अपने करमा।"—गांव का प्रधान चारपायी पर बैठकर फिर बोला, "तुम्हारे बेटा का विचार बहुत ऊंचा है भाई सीताराम यह जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता। अच्छा! यह बताओ कि बैल कितने में पड़ा है?"

जब बेटा घर में चला गया, तब सीताराम ने धीरे-से कहा, "अरे! परधानजी, कुछ पूछिये न, यही बैल खरीदने में दो बीघा गन्ने का खेत रेहन हो गया।"

"यह काम तो तुमने गलत किया भाई सीताराम।"

प्रधान ने सांस लेकर फिर कहा, "कुछ बचत करने की कोशिश करो, नहीं तो दीवाला निकल जाएगा। महाजन से हमेशा कर्ज लेना पड़ेगा।"

"कहां से बचत करूं परधानजी? सारी कमाई तो करजा पाटने में चली जा रही है और जो फसल-पात भी है, उस पर जमाखोरों की नजर पहले से ही गड़ गई है।"

सीताराम की बात सुनकर प्रधान ने अपना सिर खुजला कर शांत भाव से कहा, "सुनो भाई सीताराम। इस साल से हमने तय किया है कि हमारे गांव सभा के लोग जमाखोरों को एक ग्राम भी अनाज नहीं बचेंगे। अब सब गल्ला सरकारी खरीद केन्द्र पर बेचा जाएगा। वहां सबको अपनी गाढ़ी कमाई का उचित दाम भी मिलेगा और महाजन से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा।"

सीताराम को जैसे बुझी हुई राख में चिनगारी दिखाई देने लगी। उसका मन हरा हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रधान ने फिर कहा, "एक बात और सुनो भाई सीताराम, खेती के साथ-साथ बचत करना भी बहुत जरूरी है। तेते पांव पसारिये जेती लम्बी सौर। उतना ही खर्च करो, जितनी आमदनी हो। अपने पसीने की कमाई में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर जमा करोगे, तभी काम चलेगा। अच्छा, अब मैं चल रहा हूं, मेरी बातों पर जरूर ध्यान देना।"

जब प्रधान चला गया तब सीताराम की पत्नी घर से बाहर निकलकर बोली, "तुम्हें तो रोज एक किलो सुरती, बीस भरुका चाह और एक गगरी ताड़ी पीने को चाहिए। भला कैसे बचेगा।

औरत की बात सीताराम को तीर की तरह लगी। वह जोर से बोला, "पहले अपना फजूलखरची बन्द करो लल्लन की मां, तब मुझसे कहो।"

सीताराम को गुस्से में देखकर उनकी औरत ने मन मारकर कहा, "ठीक है, आज की तारीख से मैं नयी साड़ी नहीं मांगूंगी। फटा-पुराना पहनकर बसर करूंगी। अब अनाज भी कूटने-पीसने के लिए मसीन पर नहीं भेजूंगी, मैं घर पर ही सब कूट-पीस लूंगी। इससे कुछ पैसे की बचत होगी। लेकिन तुम भी सुरती खाना, ताड़ी पीना और अपना सब फिजूलखरची बन्द कर दो। आखिर कब तक करजा लेकर घर का काम होगा।?"

"काकी की बात सोलह आने सही है काका।"—अचानक इसी बीच में डाकिया भी आ गया। वह सीताराम को समझाकर बोला, "अगर आप अपने पसीने और मेहनत की कमाई का फायदा उठाना चाहते हों तो आज डाकखाने में अपना खाता खोल दीजिए। जैसे एक-एक बूंद से सागर बनता है वैसे ही एक-एक पैसा से हजारों रुपये की बचत की जा सकती है।

"अच्छा!"—सीताराम ने मुंह फैलाकर कहा।

डाकिया बोला, "जनते हैं कि नहीं, डाकघर बचत खाते में दो सौ या इससे अधिक रुपया जमा करने वाले खातेदारों के नाम से हर छठें महीने लाटरी निकाली जाती है जिसका नाम निकलता है उसे इनाम दिया जाता है।"

"क्या कहा लाटरी?"—सीताराम चौंक पड़ा, "अरे! इसका नाम मत लो डाकिया बेटा।"

"अरे! काका, अगर डाकखाने से लाटरी का इनाम नहीं भी निकला तो आप का कोई नुकसान नहीं होगा।"—डाकिया फिर समझाकर बोला, "अपने बचत खाते में आप जितना रुपया जमा किए रहेंगे, वह सब ब्याज सहित जब आप चाहेंगे, मिल जाएगा।"

सीताराम ने कुछ देर सोचकर कहा, "अब हम बचत का फायदा समझ गए डाकिया बेटा। अगर हम पहले से ही ऐसा किए होते तो आज हमें करजा नहीं लेना पड़ता। थोड़ी-सी सरसो रखे हूं, चलो उसी को बेचकर आज ही खाता खोल दूं।"

सीताराम ने अपना सब फिजूलखर्च बन्द करके थोड़ा-थोड़ा बचत करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। सच है कि जो मेहनत करता है उसी का साथ भगवान भी देते हैं। सीताराम को अपनी कमाई का फल मिल गया। डाकखाने में उसके बचत खाते की लाटरी निकल आई। उसका भाग्य खुल गया। डाकिये ने उसे इनाम मिलने की खबर दी। सीताराम खुशी से नाच उठा।

आज उसके जीवन का मुरझाया फूल फिर खिल उठा। मुसीबत के पत्थर पर सुख की हरी दूब निकल आयी। वह इनाम पाते ही पहले गोबरी का कर्ज देने उसके घर गया।

सीताराम को देखते ही गोबरी अपनी छाती पीटकर रोने लगा, "अरे! दादा हो दादा! अरे! माई हो माई! मैं लुट गया! बरबाद हो गया! मेरा सब सामान चोरी हो गया। चोर हमारा गहना-जेवर, रुपया-पैसा सब कुछ उठा ले गए। अब मैं क्या करूं? हाय! मुझे सुख से अपना दिन काटता देखकर चोरों की छाती फट रही थी। हमारी वह दशा हो गई कि अन्धा पीसे कुत्ते खायें। मैं दलित हो गया। हमारे जीवन भर की कमाई चली गई सीताराम।"

गोबरी का पैर छूकर सीताराम बोला, "अब रोने-धोने से कोई फायदा नहीं है मालिक! जो होना था वह हो गया। लीजिए, अपना रुपया रख लीजिए और हमारा खेत छोड़ दीजिए।"

रुपये देखते ही गोबरी का चिल्लाना बन्द हो गया। आंखों में बह रहे आंसू अचानक रुक गए। वह चकित होकर पूछा लगा, "यह रुपये तुमने कहां से पाए? इसी तरह हमारे भी रुपये थे। जल्दी बोलो सीताराम, इतनी जल्दी तुम कहां से लाये हो?"

"सब मेहनत का फल है मालिक!"—सीताराम ने शांतभाव से फिर कहा, "मैंने डाकखाने में बचतखाता खोल दिया है, जिससे मुझे बीस हजार रुपये की लाटरी का इनाम मिला है।"

"आंय! इनाम मिला है?"—गोबरी को जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह चौंक पड़ा और अविश्वास की नजर से एकटक सीताराम को देखने लगा। उसकी समझ में कुछ न आया और आंखों से फिर आंसू झरने लगे।

"अब क्यों रो रहे हैं?"—सहसा घर के भीतर से गोबरी की पत्नी ने अपना घूंघट उठाकर कहा, "अरे! अब आंख खोलिए। जो रुपया सीताराम ले आया है, उसी को डाकखाने या बैंक में खाता खोलकर जमा कर दीजिए।"

इतने में वहां डाकिया भी आ गया। वह अपने झोले-से एक किताब निकालकर बोला, "हां गोबरी काका, राष्ट्रीय बचत योजना से जनता, समाज और देश सभी का फायदा होगा। आप अपना बचतखाता खोलकर देश की तरक्की में सहयोग करिए। लीजिए, यह किताब इसमें सब लिखा हुआ है।"

गोबरी ने किताब लेकर डाकिये से कहा, "अब चलो बेटा इसी समय मेरा भी खाता खुलवा दो। हमारी गलती से हमारा सब रुपया और जेवर चोरी चला गया। लेकिन अब पसीना की कमाई अगर देशहित में लग जाएगी तो हमारी जिन्दगी सफल हो जाएगी।"

"हां गोबरी काका, पसीने से पवित्र और कुछ नहीं होता।"—डाकिया हाथ उठाकर बोला, "जिस मस्तक पर यह चमकता है उसे हमेशा आगे बढ़ाता है और जिस माटी पर पसीना गिरता है, वहां खुशहाली का मोती फैला देता है। आइए, अपने पसीने की कमाई से बचत करके देश के विकास में हम सब तन-मन-धन से जुट जाएं।"

स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुरा

(द्वारा बरही) गोरखपुर-273405 (उ. प्र.)

मेरे गांव में

सत्यदेव चूरा

पत्तों से छन कर आती
सुहानी धूप तले
आखर पढ़ते हैं लोग
मेरे गांव में,
हल का हत्था थामे
खेतों की ओर कूच करते
आगे बढ़ते हैं लोग
मेरे गांव में।

गांव की चौपाल पर
चर्चाएं होती हैं
राम की, रहीम की
गुरुद्वारे, गिरजे
जाते हैं, सब लोग
कोई हो त्योहार
गले मिलते
हर्षित होते हैं लोग
मेरे गांव में।

पूजते हैं लोग पेड़ों को
जलाते हैं दीपक
आंगन की तुलसी पर,
हिरनों के साथ
भरते हैं कुलाचें
जीने की हर शर्त पर
एक साथ हैं लोग
मेरे गांव में।

स्वामी विवेकानन्द मार्ग,
सोजत शहर (राजस्थान)

राठ क्षेत्र का विकास : कल,आज और अब

राजपाल सिरोहीवाल

अलवर जनपद के उपखण्ड बहरोड़ को राठ के नाम से जाना जाता है। यहां प्रशासनिक स्तर के अधिकारीगण प्रशासन की देख-रेख करते हैं। कल तक जहां तहसीलदार मुख्य प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाता आ रहा था, वहीं आज एस. डी. एम. तथा ए. सी. एम. मुख्य कार्यवाहक के रूप में कार्य करते नजर आते हैं। राठ क्षेत्र का विस्तार व्यापक होने से यहां के अधिकांश गांव सड़क मार्ग से अभी तक भी जुड़ नहीं पाये हैं, पर फिर भी सूचना मिलती रहती है कि अमुक-अमुक गांवों में सड़क का कार्य चल रहा है, किसी-किसी गांव में पूरा भी हो गया है। जहां सड़क नहीं पहुंच पायी है वहां के लोग बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी तथा सम्पन्न परिवार के लोग ट्रैक्टरों का इस्तेमाल आने जाने में करते थे, वहीं आज कार, मोटर साईकिल, ट्रैक्टर इत्यादि का उपयोग कर बहरोड़ तक पहुंचते हैं। दिन-प्रति-दिन इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी ही नजर आती है।

कल तक इस क्षेत्र के निवासी अपनी-अपनी समस्याओं के लिए तहसील तक जाते थे, आज भी जाते हैं, पर समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन अपनी भूमिका कर्तव्य एवं निष्ठा के साथ निभा रहा है। आज बिना किसी संकोच के आम आदमी एस. डी. एम. या डी. एस. पी. से सीधे बात करता है, पहले इन अधिकारियों से मिलने के लिए गांव के सरपंच या अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को साथ लाना अनिवार्य-सा माना जाता था, परन्तु अब नहीं। पहले तो वकीलों की संख्या भी बहुत कम थी पर अब भरमार है। वे अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आम आदमी की समस्याओं का हल बड़ी ही तत्परता के साथ करते हैं जो उनका मेहनताना होता था उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ये लोग काम के मुताबिक ही पैसा लेते हैं। काम न होने पर पैसे भी वापस कर दिए जाते हैं। परन्तु सारे पैसे नहीं, अपना मेहनताना कुछ कम दर पर वसूल करके लौटा देते हैं।

पुलिस प्रशासन का भी रवैया बदला है। चोरी या झगड़े की रिपोर्ट पहले बहुत ही जोर देने पर लिखी जाती थी, वहां आज किसी भी मामले की रिपोर्ट तुरंत दर्ज कर की जाती है, न केवल इतना ही अपितु कार्यवाही करने में भी देरी नहीं की जाती, कुछ एक अपवाद हो भी सकते हैं। डी. एस. पी. का कार्यालय यहीं है। अगर थानेदार या अन्य पुलिस अधिकारी किसी मामले को उलझा रहे हों, उनकी शिकायत डी. एस. पी. से कर देते हैं। इस पर डी. एस. पी. उनसे पूछताछ करता है कि यह बात गलत है या सही। सही पाये जाने पर वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने में कतई भेदभाव नहीं करता जिससे जनता के मन में न्याय के प्रति आस्था और दृढ़ होने लगी है।

पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया—'प्रशासन गांवों की ओर।' इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकारीगण गांव-गांव में गए, वहां जाकर गांव वालों की समस्याओं को सुलझाने के भरसक प्रयत्न किए गए जिससे एक तीर से दो शिकार वाली कहावत चरितार्थ हुई। पहली तो यह कि जनता को घर बैठे ही न्याय मिला, दूसरा यह कि अधिकारियों का जनता से सीधा सम्पर्क हुआ। उनकी समस्याओं से वे अवगत हुए, जिसके अनुरूप कार्यक्रम में उन कामों की ओर अधिक ध्यान दिया गया जो वर्षों से पड़े हुए थे या जिन पर सुनवाई नहीं की गई थी। ऐसा होने से जनता को राहत की सांस मिली है।

कल तक ऐसा होता था कि गांवों के अधिकांश मजदूर लोग जो दिन भर मजदूरी करते तथा शाम को जब वे अपने घर लौटते तब दारू पीये हुए होते। घर आकर वे अपनी पत्नी को पीटते या गांव के ही किसी व्यक्ति से झगड़ा कर बैठते। ऐसा करने से उनके परिवार की स्थिति और अधिक दयनीय होती चली गई तथा साथ ही मजदूर की पत्नी भी अपने बच्चों का लालन-पालन के मोह से वशीभूत होकर मजदूरी करने, घर की चाहरदीवारी से हाथ में फावड़ा लेकर निकल पड़ी। इस प्रकार की समस्या से अधिकांश परिवार के लोगों को दो वक्त रोटी तक को तरसना पड़ा, पर औरत के काम पर आने से स्थिति कुछ सुधरती नजर आई। किन्तु है, तो यह एक अमानुषिक प्रवृत्ति

गोबर गैस : ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत

अरविन्द कुमार जैन

भारत सहित विश्व के अनेक देश अन्य समस्याओं के साथ ऊर्जा समस्या का सामना कर रहे हैं। ऊर्जा प्राप्ति के वर्तमान में जो संसाधन हैं वे बहुत अल्प मात्रा में ही उपलब्ध हैं इन साधनों से अधिक समय तक ऊर्जा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी देश विज्ञान के क्षेत्र में कितना ही विकास क्यों न कर लें लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता। ऊर्जा प्राप्ति के संसाधन कोयला, तेल, गैस, वन, पानी, यूरेनियम भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये सभी एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे जबकि ऊर्जा की मांग में प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। सैन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 1994-95 तक ऊर्जा की मांग 3,84,764 मिलियन किलोवाट घंटा हो जाएगी जो वर्तमान मांग से लगभग 1,75,000 मिलियन किलोवाट घंटा अधिक है जबकि ऊर्जा की पूर्ति, मांग की अपेक्षा 2908 मिलियन किलोवाट कम होगी अर्थात् 1995 तक भी ऊर्जा समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक हो गया है कि ऊर्जा के वर्तमान संसाधनों के अतिरिक्त इसके गैर-परम्परागत स्रोतों पर गहन रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाए।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों में गोबर गैस संयंत्र, सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, समुद्र की लहरों से ऊर्जा इत्यादि प्रमुख हैं। इन स्रोतों से ऊर्जा प्राप्ति के अतिरिक्त पर्यावरण के दूषित होने का खतरा नहीं रहता।

गैर-परम्रागत ऊर्जा स्रोतों में गोबर गैस संयंत्र एक प्रमुख स्रोत है। गोबर गैस संयंत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त किया जा सकता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ पशुओं से लगभग 120 करोड़ टन गोबर प्राप्त होता है जिसमें से 40% भाग उपले बनाने में, 40% भाग खाद तैयार करने में तथा 20% भाग व्यर्थ चला जाता है जबकि गोबर गैस संयंत्र में इसका शत-प्रतिशत उपयोग किया जा सकता है। एक किलो गोबर से 1.3 घन फुट गैस तैयार होती है। गोबर गैस में मीथेन और कार्बन डाई आक्साइड गैस होती है इनका अनुपात 40:60 रहता है। गोबर गैस धुआंरहित ज्वलनशील गैस है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में रसोईघर में तथा प्रकाश (रोशनी) के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिंचाई पम्पों एवं थ्रेसर को चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सामान्यता प्रत्येक परिवार के पास जानवर हैं, वे इसे स्थापित करके लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के शौचालयों को बायोगैस से जोड़कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त होने वाली खाद की उर्वरक क्षमता साधारण खाद से कहीं अधिक होती है। इस प्रकार गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त होने वाले उपोत्पाद का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किया जाता है।

आर्थिक रूप से भी गोबर गैस संयंत्र लाभदायक होता है। यदि एक चार घन मीटर के बायोगैस संयंत्र की लागत लगभग 6,000/- रुपये मान ली जाये और यह मानकर चला जाए कि संयंत्र ने वर्ष में 80% ही काम किया तो वर्ष भर में इस संयंत्र से 1,664/- रुपये के मूल्य की गैस और 1,656/- रुपये के मूल्य का उर्वरक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 2-3 वर्ष में ही संयंत्र अपनी लागत के बराबर लाभ दे देता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो देश में 9 लाख से अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार इनसे वर्ष में (80% पर आधारित) 918 मिलियन घन मीट्रिक गैस का वार्षिक उत्पादन होगा जिसकी कीमत लगभग 127.3 करोड़ रुपये होगी जिससे 32 लाख टन जलाऊ लकड़ी की खपत होगी और यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त 153 लाख टन अच्छी खाद प्रतिवर्ष प्राप्त होगी जिसकी कीमत लगभग 127 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होती है। इस प्रकार बायोगैस संयंत्रों से देश को प्रचुर मात्रा में आर्थिक लाभ होता है।

देश में ऊर्जा के गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के माध्यम से इसके प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है। वर्ष 1974-75 तक देश में केवल 10,710 संयंत्र स्थापित किए गए थे जिनकी संख्या वर्ष 1986-87 में बढ़कर 8,36,198 हो गई। इसके अतिरिक्त 1986-87 में 10,100 शौचालयों को बायोगैस संयंत्रों से जोड़ने का लक्ष्य भी पूर्ण किया गया है। विभाग द्वारा इस संबंध में नित नये अनुसंधान कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विभाग के द्वारा निम्न पांच नये माडलों का निर्माण किया गया है:

(शेष पृष्ठ 47 पर)

पुरुष प्रवास एवं पहाड़ी कामकाजी महिला

डा. एस. एस. खनका

प्रवास है क्या? सरल शब्दों में, जब किसी व्यक्ति का संगणना-स्थान उसके जन्म-स्थान से भिन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रवासी कहते हैं और इस स्थिति को प्रवास या प्रवसन या देशावगमन कहते हैं। देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को, एक देश से दूसरे देश को मानव प्रवास की परम्परा काफी पुरानी है। इस प्रवास का कारण यदि कभी आर्थिक रहा है तो कभी राजनीतिक भी। इन प्रवास धाराओं की प्रकृति स्थायी, अस्थायी या मौसमी हो सकती है। यों तो प्रवास धाराओं का मूल एवं गन्तव्य दोनों स्थानों पर पड़ने वाले प्रभाव प्रवास के कारण एवं प्रकृति पर निर्भर करते हैं, फिर भी दोनों स्थानों पर आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव अवश्यम्भावी होते हैं। यह प्रभाव अच्छे एवं बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र भी प्राचीन काल से बाह्य-प्रवास की अविरल धारा से सम्बन्धित रहा है। हां, इस भू-भाग का प्रवास शुरू से ही आर्थिक कारणों से होता रहा है जिसे बहुधा 'धक्के का प्रवास' कहते हैं। इस प्रवास के पहाड़ी क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ते हैं उसके लिए पहाड़ की ग्राम-सभा से लेकर देश के आर्थिक विकास का उत्तरदायी योजना आयोग तक चिन्तित एवं भावुक लगते हैं। प्रवास के लिए ऐसी भावुकता कहां तक उचित है, प्रवास जारी रहने दिया जाए या इस पर रोक लगाई जाए, यदि इस पर रोक लगाई भी जाए जो कब, कैसे और कितनी? फिलहाल यह बहु-आयामी मुद्दा तो सदा की तरह बड़े शहरों-लखनऊ एवं दिल्ली की बड़ी सभागारों की बहस का विषय है। इसलिए हमारा उद्देश्य तो कुमाऊं के पहाड़ों से पुरुष पलायन के पश्चात पहाड़ में रह गई महिलाओं पर पड़ने वाले विविध दुष्प्रभावों को पर्यवेक्षण, अनुभव के आधार पर निपट पहाड़ी लहजे में उजागर करना है।

महिलाओं पर दुष्प्रभावों के विविध आयाम

पहाड़ से रोजी-रोटी के लिए होने वाले युवकों, शिक्षितों एवं उद्यमियों के चुनिन्दा प्रवास का प्रभाव पहाड़ में रह गई जनसंख्या की संरचना पर पड़ता है। यह प्रभाव दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम, पहाड़ी जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की अधिक संख्या जिसे जनांकिक लिंग-अनुपात अर्थात् प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में प्रकट करते हैं। पुरुष प्रवास के इस प्रभाव को तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

प्रवास की जनसंख्या की संरचना पर प्रभाव

जनपद/मण्डल/ प्रान्त	शुद्ध प्रवास	लिंग-अनुपात		
		कुल जनसंख्या पर	देहाती जनसंख्या पर	कार्यकारी जनसंख्या पर
अल्मोड़ा	8.1	1081	1118	1281
पिथोरागढ़	6.0	1014	1035	1177
नैनीताल	-26.5	841	848	782
कुमाऊं मण्डल	+7.5	947	980	1013
उत्तर प्रदेश	अनुपलब्ध	885	893	अनुपलब्ध

नोट : (+) शुद्ध आन्तरिक प्रवास (-) शुद्ध वाह्य प्रवास।

तालिका-1 से स्पष्ट है कि जहां प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या मूलत: भारतीय समाज की पुत्र चाह के कारण, 1,000 से काफी कम अर्थात् मात्र 885 है, वही कुमाऊं के पहाड़ों में 1081 तक है। इसका कारण पहाड़ के लोगों की पुत्र-चाह का कम होना नहीं वरन् पहाड़ी पुत्रों का रोजी-रोटी की तलाश में पहाड़ से मैदानी क्षेत्र को पलायन करना है। देहाती जनसंख्या एवं कार्यकारी जनसंख्या पर आधारित लिंग-अनुपात पुरुष प्रवास के इस प्रभाव को पुष्ट करने की ही प्रवृत्ति रखते हैं। शुद्ध प्रवास की संख्याओं से भी यही साबित होता है कि जहां प्रवास के कारण पहाड़ी जनसंख्या में 8 प्रतिशत की कमी होती है, वहीं मैदानी क्षेत्र में प्रवास प्रक्रिया से जनसंख्या में 26 प्रतिशत तब बढ़ोत्तरी होती है।

उपरोक्त तुलनात्मक आंकड़ों से एक यही तथ्य परिलक्षित होता है कि पुरुष प्रवास के कारण पहाड़ की असली जनसंख्या में महिलाएं ही रह जाती हैं जिन पर ही पहाड़ी अर्थतंत्र निर्भर

करता है। चूंकि पुरुषों की अनुपस्थिति में प्रायः सभी कार्य महिलाओं द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं, इसीलिए पहाड़ की असली कामगार श्रमशक्ति महिलाएं ही मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की मात्र 8 प्रतिशत महिला श्रमशक्ति भागिता दर की तुलना में कमाऊं में 27 प्रतिशत और फिर पहाड़ में 44 प्रतिशत महिला श्रमशक्ति भागिता दरें भी इसी तथ्य की सूचक हैं कि पहाड़ी महिलाएं तुलनात्मक रूप से अधिक कार्य करती है। घास, कृषि (हल जोतना छोड़कर) एवं पशु पालन का समस्त कार्यभार इन्हीं महिलाओं के संवेदनशील कन्धों पर रहता है। सरकारी रपटें एवं व्यक्तिगत सर्वेक्षण अध्ययन सभी यही उल्लेख करते हैं कि जहां तक पहाड़ी बेरोजगारी का सवाल है, पहाड़ी महिलाएं बेरोजगार तो कदापि नहीं, बल्कि अतिकार्य की स्थिति से ग्रसित रहती हैं। ये ग्रामीण पहाड़ी महिलाएं प्रतिदिन औसतन 12 घन्टे कार्य करती हैं। वर्ष के 365 दिनों में से ये महिलाएं 344 दिन कार्य करती हैं जिनमें से लगभग 129 दिन खेत में कार्य करती हैं।

काम के बोझ से दबी हुई इन ग्रामीण महिलाओं की दयनीय स्थिति का आभास कराने के लिए इनकी सामान्य दिनचर्या का पर्यवेक्षण पर आधारित एक लघु वृत्तांत प्रासंगिक लगता है।

पहाड़ की काम-काजी महिलाओं की दिनचर्या की शुरुआत अभी भी रात्री के तीसरे पहर चक्की घुमाने से शुरू होती है जिसकी धुन परिवार के वृद्धों एवं पुरुषों की गहरी नींद के लिए लोरी का काम करती है। आज भी कुमाऊं के 40 प्रतिशत गांव अविद्युतीकृत ही हैं। पहाड़ में तो अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है। गांव में बिजली न होने से आटा-चक्की नहीं है। दूर के गांव या कस्बे की आटा-चक्की तक जाने-आने की फुर्सत भी इन महिलाओं को नहीं है। पहाड़ी स्रोतों में पानी की कमी के कारण पहाड़ की पुश्तैनी पनचक्कियां भी लुप्त प्रायः हो गई हैं। दिशा-खुलने या भोर होने तक यह महिलाएं पनघट पहुंच जाती हैं। गौसाला के काम तथा परिवार जनों को कलेऊ अर्थात नाश्ता खिलाकर ये महिलाएं खेती के मौसम में तो खेत में और अन्य मौसमों में घास-लकड़ी लाने दूर जंगल को दौड़ती हैं। लगातार वन-कटाव के कारण घास-लकड़ी के लिए इनकी पद यात्रा सालों-साल बढ़ती जा रही है। कुछ इलाकों में तो इन्हें रोज 5 से 10 किमी. तक की दूरी तय करनी पड़ती है। जंगल से ये थकी-भूखी महिलाएं सांझ ढले ही घर पहुंचती हैं। यदि घर में वृद्ध सास-ससुर हों या फिर पतिदेव घर में ही हों तो दोपहर का बचा-खुचा बासी खाना खाने एवं नन्हे नवजात शिशु को खिलाने-पिलाने तक रात की काली घटा घिर आती है। न्यादर्श सर्वेक्षण से यह पता लगता है कि ये महिलाएं अपने शिशुओं की देखभाल के लिए एक घण्टा समय भी मुश्किल से ही दे पाती है। तब शिशुओं की क्या दशा होगी, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है। सच तो यह है कि ये काम-काजी महिलाएं न तो फुर्सत से खाना खा पाती हैं और न ही चैन की नींद सोती हैं। तब इसका सीधा कुप्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

आराम तो शायद इन काम-काजी महिलाओं के नसीब में होता ही नहीं है। इस सन्दर्भ में यदि गर्भवती महिलाओं का ही प्रसंग छेड़ें तो क्षेत्रीय शोध यह सूचित करते हैं कि पहाड़ी महिलाओं को प्रसव काल में भी आराम नहीं मिलता। 187 उत्तरदाता महिलाओं में से 97 को 1 से 11 दिन, 51 को 11 से 21 दिन तथा 11 को 22 से 30 दिन तक आराम की सुविधा मिलीं। लगभग 14 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं को प्रसवोपरान्त 1 दिन मात्र भी आराम नहीं मिला। 64 सन्दर्भित प्रसवों में से केवल 5 अस्पताल में, 15 को दक्ष, 30 को गांव की अनुभवी किन्तु अदक्ष तथा 14 को बिना किसी दाई की सहायता के घर में ही सम्पन्न कराए गए। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 77 प्रतिशत तक घर में सम्पन्न होने वाले प्रसवों में 69 प्रतिशत प्रसव बिना किसी दक्ष दाई की सहायता के ही सम्पन्न किए गए। तब प्रसवकाल में होने वाली महिलाओं की असामयिक मृत्यु का अन्दाजा लगाया जा सकता है। भले ही इसके लिए कोई विश्वसनीय आंकड़े, सूचना एकत्रीकरण की निश्चित पद्धति के अभाव में, उपलब्ध नहीं हैं।

पुरुष प्रवास के कारण महिलाओं पर अत्यधिक कार्यभार एवं कुपोषण का सामूहिक प्रभाव उनकी वृद्धावस्था में सापेक्षिक रूप से ऊंची मृत्यु दर में परिलक्षित होता है। जहां देश में इस जैविकीय सिद्धान्त के अनुसार कि प्रजनन आयु-सीमा को पार कर लेने के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक जीवित रहती हैं, वहां कुमाऊं में खासकर पहाड़ी क्षेत्र में वृद्ध-पुरुषों (60 वर्ष से अधिक) की तुलना में वृद्ध महिलाओं का अंश कम पाया जाना, हमारे पूर्वोक्त अधिक उम्र वाली महिलाओं में ऊंची मृत्यु-दर के कारण का ही बोध कराता है।

कुछ सुझाव

पूर्वोक्त विविध तथ्य एवं विवरण बारम्बार पहाड़ी कामकाजी महिलाओं की कष्टयुक्त एवं शोचनीय स्थिति को ही निरूपित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। चूंकि वर्तमान परिवेश में पहाड़ की असली मानव संसाधन महिलाएं ही हैं, इसलिए पहाड़ के विकास के लिए इस महत्वपूर्ण मानव संसाधन की स्थिति में सुधार अति आवश्यक है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि जब तक पहाड़ी महिला की स्थिति में सुधार नहीं

होता, तब तक पहाड़ का वास्तविक विकास सम्भव नहीं हो सकता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों का निर्माण खासकर महिलाओं के विकास पर आधारित होना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। इतिहास साक्षी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान होता है उसका उत्थान होता है और जहां नारी का अपमान होता हे, उसका पतन ही होता है। चूंकि नारी मां होती है, इसलिए नारी कल्याण का समाज की भावी पीढ़ियों पर गुणक सुधारात्मक परिणाम होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम केवल एक ही व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। लेकिन यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो समझिए कि हम 10 लोगों को शिक्षित करते हैं। महिला का शिक्षित होने का आशय है कि एक शिक्षित मां और फिर जिसका अर्थ होगा कम एवं स्वस्थ बच्चे। स्वस्थ एवं शिक्षित बच्चे ही देश की अमूल्य धरोहर होते हैं क्योंकि आज का बच्चा ही देश का भावी नागरिक बनता है। अतः स्पष्ट है कि पहाड़ के वर्तमान एवं भावी विकास के लिए आज की पहाड़ी कामकाजी महिला की दयनीय दशा को सुधारना अति आवश्यक है।

अन्त में पहाड़ी महिला के जीवन की कष्टप्रदता को कम करने का एक उपाय स्वयं पुरुष प्रवास को यथासम्भव कम करना है। यदि पहाड़ के पुरुष को पहाड़ में ही अनुकूल एवं उत्पादक रोजगार मिल जायेगा तो वह शहर की आपा-धापी के चक्कर में न पड़कर पहाड़ में ही शांति से रहना अधिक पसन्द करेगा। अब प्रवास बड़े शहरों की चकाचौंध से आकर्षित होकर नहीं वरन् मूल स्थान की मजबूरी के कारण होता है। इस दृष्टि से सरकार पहाड़ में रोजगार के अवसर सृजित करने के छुट-पुट प्रयास भी कर रही है। लेकिन इन प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभी भी इन कार्यक्रमों में पहाड़ के अनुकूल संशोधन एवं परिमार्जन करने की काफी आवश्यकता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि पहाड़ से व्यापक पुरुष प्रवास रुक जाए तो पहाड़ी कामकाजी महिला की दयनीय स्थिति काफी सीमा तक सुधर जायेगी।

वाणिज्य विभाग, कुमाऊं विश्वविद्यालय,
नैनीताल-263002 (उत्तर प्रदेश)

(पृष्ठ 44 का शेष)

(1) डाइजेस्टर माडल, (2) गैस होल्डर, (3) गनेश माडल, (4) प्रगति माडल, (5) दीनबन्धु माडल।

उपरोक्त पांचों प्रकार के संयंत्रों के लिए वर्ष 1987-88 में सबसिडी योजना के अन्तर्गत 3,700 संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

गोबर गैस संयंत्र की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। संयंत्र के निर्माण में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए 150/- रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसके अतिरिक्त खराब पड़े संयंत्रों की मरम्मत के लिए 500/- रुपये प्रति संयंत्र की दर से दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को विशेष अनुदान भी दिया जाता है।

गोबर गैस संयंत्र से देश की अर्थव्यवस्था को लाभ है। पशुधन का महत्व बढ़ने लगता है। इसके उपयोग से एक ओर जहां ऊर्जा एवं खाद की प्राप्ति होगी दूसरी ओर पर्यावरण पर दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि यदि आने वाली पीढ़ियों को हम ऊर्जा सुविधा विरासत में देना चाहते हैं तो हमें ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार में यदि 2-3 जानवर भी हैं तो भी इसे स्थापित किया जा सकता है। व्यक्तिगत संयंत्रों की स्थापना की अपेक्षा सहकारी संयंत्रों को स्थापित करना अधिक लाभदायक सिद्ध होगा।

व्याख्याता, वाणिज्य,
सर हरीसिंह गौर महाविद्यालय, सागर

पुस्तक समीक्षा

अस्तित्व के संघर्ष का दस्तावेज

दलित दस्तावेज/एम.आर. विद्रोही/दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली/डिमाई आकार-पेपर बैक/ पृ. 360/मूल्य: 50 रुपये/1989

कोई भी निर्माण और प्रगति निचले स्तर के बिना असंभव है। यह निचला स्तर ही निर्माण और प्रगति का आधार होता है। इसके ठीक विपरीत पतन और अवनति के लिए ऊपरी स्तर का होना आवश्यक है तभी पतन और अवनति संभव है। इतिहास गवाह है; जो परिश्रमी, ईमानदार और सहज विश्वासी होते हैं; उनको धोखा देकर 'कपटी और दलित मानसिकता' वाले लोग अपने लिए विलास के साधन जुटाने में लगे रहे हैं। हालांकि इनके निर्माण और प्रगति-कार्यों का आधार वही परिश्रमी, ईमानदार और सहज विश्वासी लोग होते हैं तथापि ये उनके सद्गुणों का सही सम्मान नहीं करते हैं। 'दलित दस्तावेज' को पढ़कर उसी 'कपटी और दलित मानसिकता' का पर्दाफाश होता है जो तमाम सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद लोगों को उनका अधिकार देने में, उनके प्रति मानवीय संबंध बनाए रखने में हिचकिचाती है।

पुस्तक में जितने भी चरित्रों को लिया गया है उनका छलपूर्वक एवं निहित स्वार्थवश शोषण किया गया। स्वयं आगे बढ़ने और ऊपर उठने के लिए उन्हें माध्यम भर बनाकर, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया।

पुस्तक में संकलित तीन चरित्रों संत रैदास, बाबा साहब डा. भीमराव आम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम से लोग भली भांति परिचित हैं। यह अलग बात है कि इन तीनों के बारे में बड़े-बड़े सुधारवादियों के पास मात्र अधकचरी जानकारी है। वे संत रैदास को नास्तिक मानने का भ्रम पाले हुए हैं, डा. आम्बेडकर के सिद्धांतों को स्वार्थ की सीमाओं में ही स्वीकारते हैं और बाबू जगजीवन राम का साथ तो उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि वे सत्ता में थे।

उक्त तीन विभूतियों के अतिरिक्त दस्तावेज में शंबर नरेश, जीवक, मातादीन, लोचन, झलकारी बाई कोरी, नन्ही बाई, ज्योतिबा फुले, पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर जैसे अन्यान्य क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं, सिद्धों आदि के जीवन और उनके संघर्षों का परिचय अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा सिन्ध का चमड़ा उद्योग, आदिवासी आंदोलन, सन् 1857 ई. के स्वतंत्रता संग्राम के समय कानपुर की पुलिस व्यवस्था आदि अध्यायों में सर्वत्र विभाजक और शोषक मनःस्थिति की पोल खोली गई है।

लेखक ने समाज में फैली विसंगतियों, अंधास्थाओं और उनमें सुधार लाने के लिए अनेक स्थलों पर दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं जैसे—

'पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस (पवित्र तालाब) की एक बूंद भी मुख में डाल ले अथवा शरीर में चुपड़ ले तो बहुत बड़ा पापी होते हुए भी सीधे स्वर्ग में जाता है। यदि इस तालाब के पानी को पीने से शरीर पर फोड़े-फुन्सियां, अजीर्ण हो जाएं तब क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम पानी की सतह पर फैले विषाक्त कीटाणुओं को नष्ट करना होगा। यदि फिर भी न लाभ हो तो समझना चाहिए झरने गंदे हैं, ऐसी अवस्था में तालाब को पाट देना होगा....सामाजिक सुधार भी उस गंदे तालाब के गंदे पानी को कीड़े मार जहरीली दवा से शुद्ध करके तथा अंत में पानी को निकाल कर तालाब को शुद्ध करने वाली एक प्रक्रिया है।'

प्रस्तुत दस्तावेज उन लोगों में उत्साह का बीज फूंक सकेगा जो स्वयं को असहाय और अशक्त समझने की कुंठा से ग्रस्त हैं। उन्हें सत्य, परिश्रम और संघर्ष पर आधारित अपने गौरवशाली अतीत से शिक्षा लेनी चाहिए। पुस्तक रोचक, प्रेरणाप्रद एवं संग्रहणीय है।

समीक्षा : डा. भगवती प्रसाद निदारिया
10841/44, मानकपुरा, करोल बाग
नई दिल्ली-110005

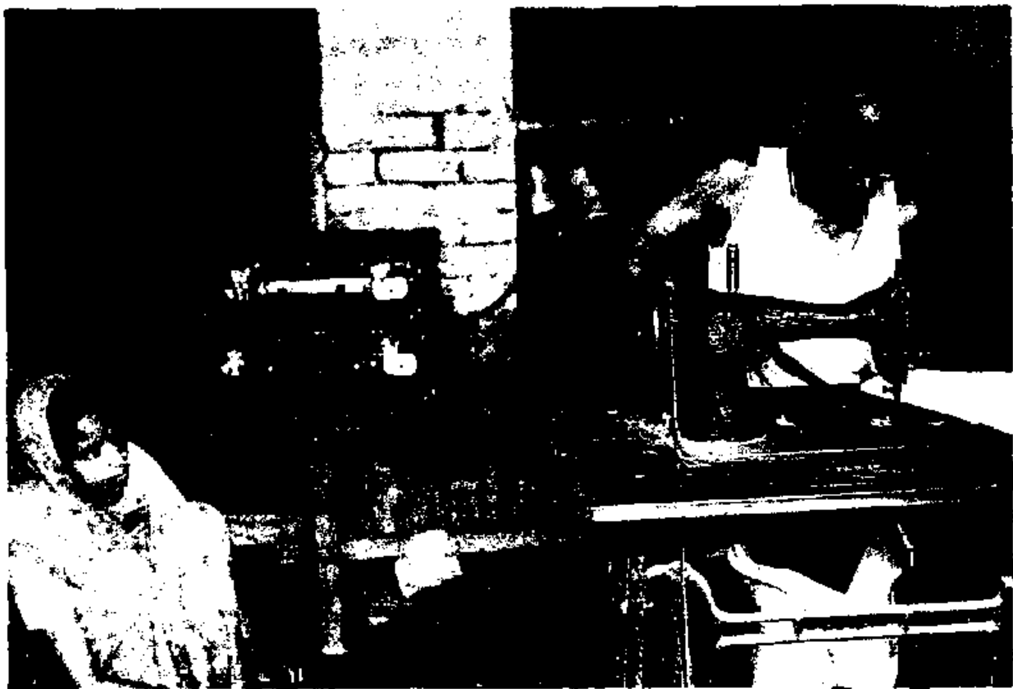

डाक तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दि ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/5
P & T Regd. No. D (DN) 9
Licenced under U (DN)-5
to post without pre-payment at NDPSO, New Delh

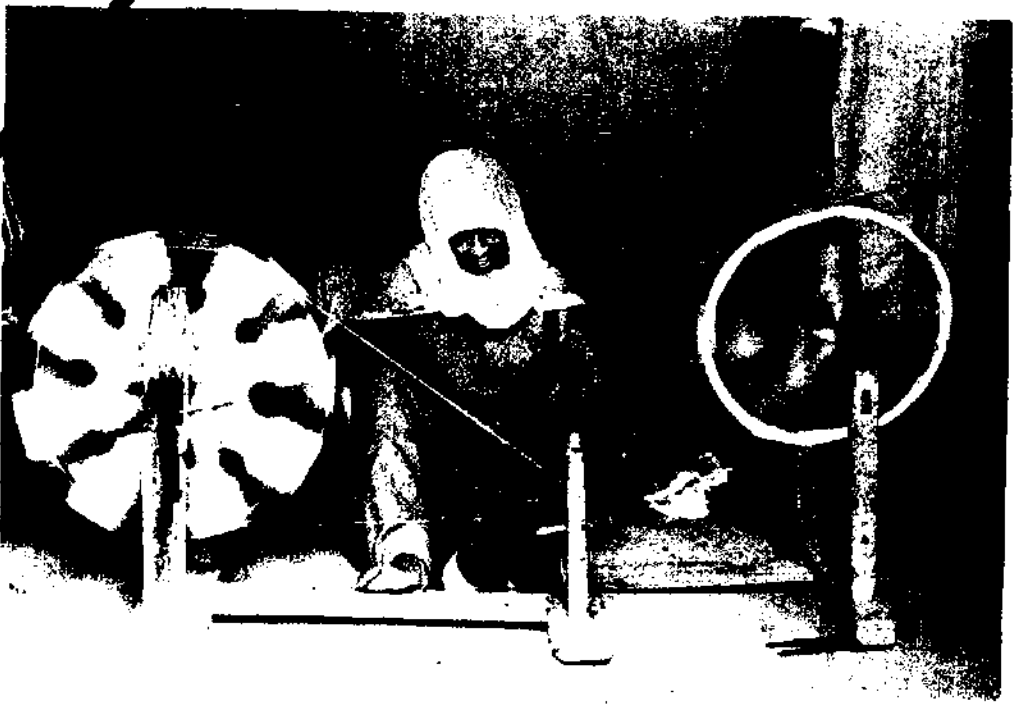

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली- 0001 द्वारा प्रकाशित और